ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

मास्क अप इंडिया

अप्रैल 2021 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

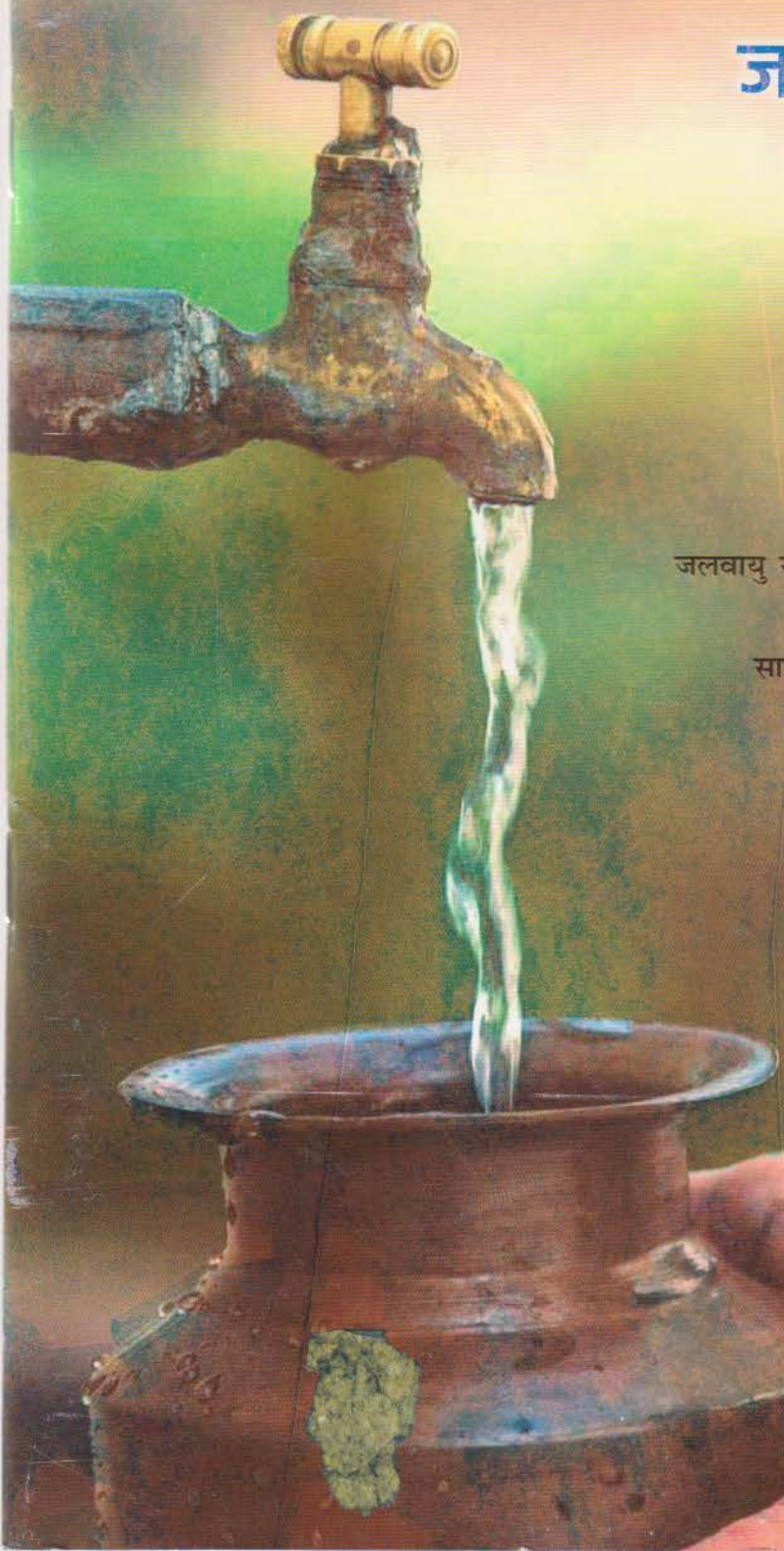

जल जीवन मिशन
हर घर जल

प्रमुख आलेख

हर घर और हर व्यक्ति को पानी
गजेन्द्र सिंह शेखावत

विशेष आलेख

जल सुरक्षा
सुरेश प्रभु

फोकस

जलवायु संकट और पानी का भविष्य: भारतीय अनुभव
सुनीता नारायण

सामाजिक क्रांति की दिशा में बढ़ते कदम
रतन लाल कटारिया

कवर आलेख

जल जीवन मिशन - हर घर जल
भरत लाल, मनोज कुमार साहू

जल जीवन मिशन

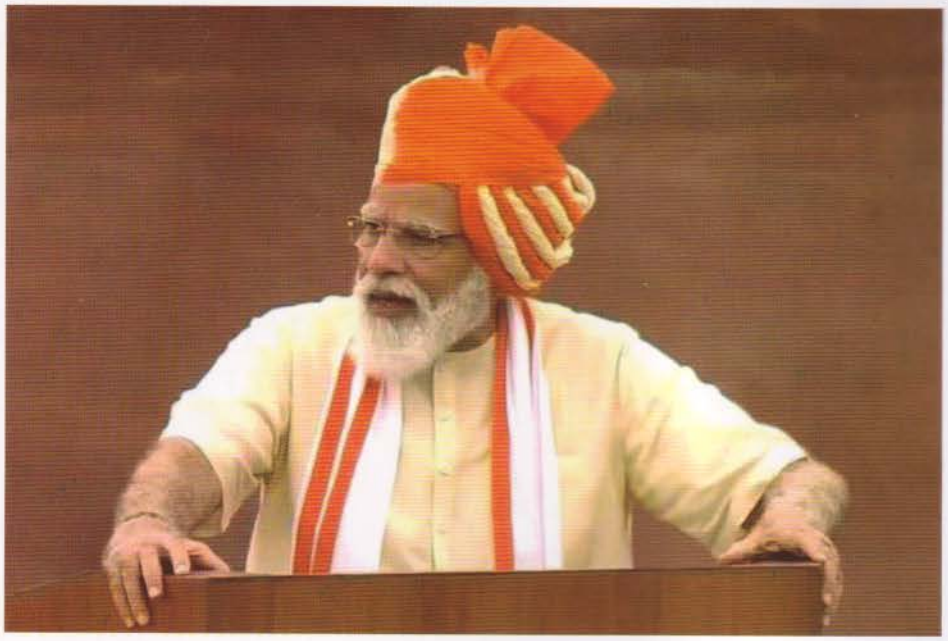

मैंने पिछली बार यहां पर जल-जीवन मिशन की घोषणा की थी, आज उसको एक साल हो रहा है। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जो हमने सपना लिया है कि पीने का शुद्ध जल, 'नल से जल' हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान भी शुद्ध पीने के जल से जुड़ा हुआ होता है। अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है और उसको लेकर जल-जीवन मिशन शुरू किया।

आज मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम एक लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं... पाइप से जल पहुंचा रहे हैं। और पिछले एक साल में 2 करोड़ परिवारों तक हम जल पहुंचाने में सफल हुए हैं। और विशेष करके जंगलों में दूर-दूर रहने वाले हमारे आदिवासियों के घरों तक जल पहुंचाने का काम... बड़ा अभियान चला है। और मुझे खुशी है कि आज 'जल-जीवन मिशन' ने देश में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का माहौल बनाया है। जिले-जिले के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, नगर-नगर के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, राज्य-राज्य के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है। हर किसी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री का 'जल-जीवन मिशन' का ये जो सपना है, उसको हम जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में पूरा करेंगे। कोऑपरेटिव कम्प्टीटिव फेडरलिज़्म की एक नई ताकत जल-जीवन मिशन के साथ जुड़ गई है और उसके साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

15 अगस्त, 2020

आज मैं लाल किले से घोषणा करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल-जीवन मिशन को आगे ले करके बढ़ेंगे। यह जल-जीवन मिशन, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले वर्षों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम इस जल-जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प लिया है।

15 अगस्त, 2019

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

द्वारा दिए गये भाषण के मूल पाठ से

विशेषांक

योजना

वर्ष : 65
अंक : 04

अप्रैल 2021
चैत्र-वैशाख, शक संवत् 1943

मूल्य : ₹ 30
पृष्ठ : 72

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

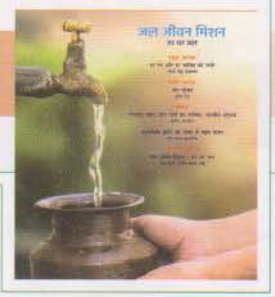

प्रधान संपादक : राकेशरेणु
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : के रामालिंगम

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-67** पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- **दूरभाष: 011-24367453**
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-
गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

@DPD_India

इस अंक में

प्रमुख आलेख

हर घर और हर व्यक्ति को पानी
गजेन्द्र सिंह शेखावत 6

विशेष आलेख

जल सुरक्षा
सुरेश प्रभु 10

फोकस

जलवायु संकट और पानी का भविष्य: भारतीय अनुभव
सुनीता नारायण 15

सामाजिक क्रांति की दिशा में बढ़ते कदम
रतन लाल कटारिया 19

जल शासन
पंकज कुमार 23

कवर आलेख

जल जीवन मिशन - हर घर जल
भरत लाल, मनोज कुमार साहू 26

नदी संरक्षण के लिए अवसंरचना
राजीव रंजन मिश्रा 32

भूजल प्रबंधन : एक आदर्श बदलाव
देवश्री मुखर्जी 36

आगे बढ़ता स्वच्छता अभियान
अरुण बरोका 40

तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास और जल संरक्षण के लिए एकीकृत जल प्रबंधन
भरत लाल 45

जल तक पहुंच, शिक्षा और अवसरों का खज़ाना
डॉ यास्मीन अली हक़ 52

सुरक्षित, पर्याप्त और स्थायी पेयजल
डॉ रोडेरिको एच ऑफरीन 56

सुनिश्चित जलापूर्ति के लिए तकनीकी नवाचार
प्रदीप सिंह, सिद्धांत मस्सन 59

नगरीय अनुभवों से सीखें गांव
अरुण तिवारी 62

आज़ादी का अमृत महोत्सव

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' इंडिया@75 के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का शुभारंभ 66

नियमित स्तंभ

क्या आप जानते हैं?
भारत में स्वच्छता अभियान का इतिहास 69

विकास पथ
विश्व जल दिवस के अवसर पर 'वर्षा जल संचयन अभियान' का शुभारंभ 70

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 38

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आवरण : जल शक्ति मंत्रालय के सौजन्य से

आपकी राय

yojanahindi@gmail.com

विषय समझने में काफी मददगार

'योजना' का फरवरी 2021 अंक 'भारतीय साहित्य' के प्राचीनतम इतिहास पर केंद्रित रहा है, जिसमें इतिहास के विभिन्न पक्षों, परंपरा, उद्भव और विकास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया था। जिससे हिंदी साहित्य के शोधार्थी और भारतीय इतिहास के अध्ययनकर्ता को भी विषय समझने में काफी मददगार साबित हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि साहित्य का जब उद्भव हुआ तो वह वाच्चिक माध्यम ही था बाद के दिनों में भाषा, कला, संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लिखित माध्यम विकसित किया गया। तब, अभी की तरह कागज का विकास नहीं हुआ था। जिस कारण पेड़ों की पत्तियां व छाल पर ही लेखन परंपरा की शुरुआत हुई। प्राचीनतम साहित्य का विकास विश्वपटल पर कैसे हो? और भारत की आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य के विभिन्न उतार-चढ़ाव को डॉ निशात ज़ैदी व मैनेजर पांडेय ने क्रमबद्ध लिख कर समझाने की कोशिश की है। इसके साथ भाषाविज्ञान के शोधकर्ताओं के लिए आलोक श्रीवास्तव के 'हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि का विकास' जैसे आलेख के अंतर्गत संस्कृत, उर्दू, तोल्कप्पियम, मराठी साहित्य जैसे गूढ़ विषय के अलग-अलग प्रसंग पर प्रकाश डाल कर देवनागरी लिपि के विकास को समझाने में आलेख काफी हद तक सफल साबित रहा है। प्रकाश मनु ने 'हिंदी बाल साहित्य का परिदृश्य' आलेख के माध्यम से बाल साहित्य के वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के संदर्भ में चुनौतियां व संभावनाएं पर विशेष जोर देते हुए कुछ बाल कविता के प्रसंगों को समझाया है, जिससे बाल कविता लेखन को नई दिशा दी जा सके। इसके साथ ही सूचना क्रांति के दौर में ई-प्लेटफार्म के माध्यम से बाल साहित्य को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ी के बच्चों तथा बालमन को संवारने की दिशा में बाल साहित्य के योगदान पर भी चर्चा है।

आशा है आगे भी ऐसे साहित्य पर केंद्रित अंक आते रहेंगे ताकि बच्चों, प्रतियोगी विद्यार्थियों और शोधार्थियों को गहन अध्ययन करने में मददगार साबित हो सकें।

– नितेश कुमार सिन्हा
गया (बिहार)

बजट का अच्छा विश्लेषण

योजना के बजट विशेषांक के संपादकीय में बजट के मुख्य प्रावधानों का अच्छा विश्लेषण किया गया है। किसी भी देश के लिए मानव-पूंजी में निवेश ही सर्वोत्तम निवेश होता है। मानवपूंजी में निवेश से लक्षित वर्ग का कल्याण तो होता ही है, साथ ही देश भी बहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है।

बजट के विभिन्न स्तंभ- यथा स्वास्थ्य तथा आरोग्य, भौतिक तथा वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को सशक्त करना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, कृषि क्षेत्र पर ज़ोर तथा न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन पर विभिन्न आलेखों से बजट को समझने में काफी मदद मिली।

हम आशा करें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में जिन जनकल्याणकारी नीतियों को समाहित किया गया है उनका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो और आम जन की अपेक्षाएं पूर्ण हो।

– विश्वनाथ सिंहानिया
जयपुर, राजस्थान

हमारी पत्रिकाएं

योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती

में विज्ञापन देने हेतु

संपर्क करें :
गौरव शर्मा, संपादक
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24367453, मोबाइल : 7503716820
ई मेल : pdjucir@gmail.com

संपादकीय

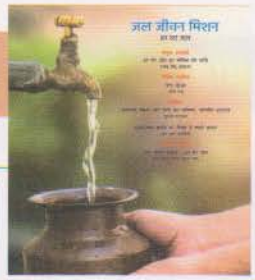

हर घर जल

''यह दिव्य जल हमारी रक्षा की अनुकंपा करे, यह हमारी प्यास बुझाए और हर्षोल्लास की धारा बन कर बहे''
– ऋग्वेद 10-9-4

बार-बार सूखे के प्रकोप, बढ़ते मरुस्थलीकरण और पानी की अपर्याप्त उपलब्धता से आज दुनिया भर में पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। मानवीय विकास के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। पानी और स्वच्छता की सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-6 में इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित उन लोगों तक इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गयी है। जल प्रबंधन को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए आम लोगों को केन्द्र में रखकर रणनीति बनायी गयी है ताकि उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जा सके।

कोविड-19 महामारी के दौर में लोगों को इस बात का अहसास हुआ कि 'हाथों को धोना' उनके पास महामारी से बचाव का सबसे आसान और बेहतरीन उपाय है। करीब एक साल तक जीवन में स्वच्छ पेयजल के महत्व और उपलब्धता पर बार-बार जोर दिया जाता रहा। साफ-सफाई और आरोग्य के लिए पाइप लाइनों के जरिए स्वच्छ जल की आपूर्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ पेय जल के महत्व को बहुत पहले महसूस कर लिया था और अगस्त 2019 में ही जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइनों के जरिए घरों तक पानी की आपूर्ति करने की घोषणा कर दी थी। इस पहल के जरिए देश में 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप वाले पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन के जरिए जल-स्रोत की निरंतरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य उपाय करने का भी प्रावधान किया गया है। इन उपायों में जल स्रोतों का पुनर्भरण और अवजल प्रबंधन के जरिए गंदे पानी को फिर से उपयोग में लाने योग्य बनाना, जल संरक्षण और वर्षा जल संचय भी शामिल हैं।

जल जीवन मिशन पानी के बारे में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर आधारित है जिसमें पानी के लिए जनांदोलन चलाकर इसे हरएक व्यक्ति की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती जल आपूर्ति प्रणाली की निरंतरता बनाए रखने की है। जल जीवन मिशन में पानी से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कमियों की पहचान की गयी है और मिशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसका उद्देश्य निरंतरता बनाए रखना है ताकि पाइप लाइनों और नलों से पानी की आपूर्ति जारी रह सके। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करना है जो सतत विकास लक्ष्य-6 के लिए निर्धारित लक्ष्य से पूरे छह साल पहले है। यह अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है और वे भी इस अपनाकर एसडीजी-6 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले चलाए गये स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को प्राथमिकता बनाकर और देश को खुले में शौच की बुराई से मुक्ति दिलाकर पहले ही बुनियाद तैयार कर दी है। अब स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत जैव अपघटनशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अवजल प्रबंधन और मल-जल प्रबंधन के कार्यक्रमों से अगले स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है। यहां दुनिया में उपलब्ध कुल भूजल संसाधनों के एक चौथाई से भी अधिक का उपयोग किया जाता है। भूजल ने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में नियोजन से लेकर क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण जैसे कार्यों में महिलाओं को शामिल करना बहुत जरूरी है। देश भर के गांवों में दीर्घकालीन जल सुरक्षा के लिए महिलाओं को ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजनाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए। अटल भूजल योजना इसी तरह की एक पहल है जिससे जन समुदाय के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर टिकाऊ भूजल प्रबंधन का पता चलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं को समेकित कर भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाना है। यह एक अग्रणी और अनोखा प्रयोग है जिसमें स्थानीय समुदायों को प्रेरित कर सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से भूजल के प्रबंधन में अभिनव सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर आधारित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर जैसी उपयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाना और किसानों को पानी की किफायत तथा संरक्षण करने वाले टेक्नोलॉजी संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, पर-ड्रॉप मोर क्रॉप और जलसंभर विकास जैसी चार सूत्री सोच से सुसज्जित इस योजना का उद्देश्य देश की सूक्ष्म सिंचाई क्षमता में अंतराल को पाटना है।

यह बात बड़ी दिलचस्प है कि किस तरह भारतीय अनुभव अत्यंत बहुमूल्य रहा है। इसने विश्व को सिखाया है कि किस तरह सबको पानी सुलभ कराया जा सकता है और इसकी आपूर्ति निरंतर जारी रखी जा सकती है। ऐसी पहलों के तहत पानी को समुदायों के नियंत्रण में दिया जाता है और विकेन्द्रित दुबारा भराई (रीचार्ज) तथा फिर से इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस तरह पानी हर एक की जिम्मेदारी बन जाता है। ■

प्रमुख आलेख

हर घर और हर व्यक्ति को पानी

गजेन्द्र सिंह शेखावत

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों में शामिल है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक परिवार को पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक घटकों के रूप में जल स्रोतों को पानी से लबालब बनाए रखने के उपायों जैसे भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण, गंदे पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने, जल संरक्षण और वर्षाजल संचय को भी शामिल किया गया है। जल जीवन मिशन पानी को लेकर सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाने और जल संरक्षण को जनांदोलन बनाकर इसे हर व्यक्ति की प्राथमिकता बनाने पर आधारित है।

लाहौल-स्पीति में समुद्र तल से 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित साधारण-सा गांव ताशिगंग की अनोखी विशेषता यह रही है कि यहां दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केन्द्र है। यह सुंदर गांव बड़ा ही अलौकिक प्रतीत होता है। सर्दियों के मौसम में कड़ी ठंड से यहां सब कुछ जम जाता है और घाटी बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाती है। ऐसे में अगर यहां दिन का तापमान शून्य से 10 डिग्री कम हो तो मौसम गुनगुनी धूप वाला खुशनुमा और सुहाना माना जाता है। लेकिन ऐसे कठोर मौसम के बावजूद ताशिगंग भारतीय लोकतंत्र के उच्च मानदंड के प्रमाण की तरह खड़ा है। हाल में इसने एक और असंभव को संभव कर दिखाया है। यहां सितंबर 2020 में ही एक असंभव कार्य को पूरा करते हुए पानी का पहला घरेलू कनेक्शन दिया गया। ताशिगंग का मतदान केन्द्र जहां इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने से छूटने नहीं पाता, वहीं घरेलू पानी का नल भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ''सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'' की परिकल्पना के साकार होने की पुष्टि करता है। चाहे वर्षा हो या बर्फ गिरे, चाहे रात हो या दिन, चाहे जो सड़क हो या जो भी ऊंचाई हो, जल जीवन मिशन सभी घरों में पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।

ताशिगंग जैसी कहानियां जल जीवन मिशन की अनेक यश गाथाओं का हिस्सा हैं जो भारत सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप लाइनों के जरिए पीने के पानी का कनेक्शन देना है। इस संकल्प की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के उन शब्दों से मानी जा सकती है जिसमें उन्होंने ''मन की बात'' कार्यक्रम के दौरान पानी को परमेश्वर और पारस की संज्ञा दी थी। लेकिन जल जीवन मिशन की टीम के लिए पानी उपलब्ध कराना अपने अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन जैसा था क्योंकि उसे नीति पर अमल की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, लेकिन हमारे लिए यह परमेश्वर को लोगों के घरों में लाने जैसा था। यह ऐसा कार्य था जो मानवता और ईश्वर दोनों ही की सेवा में किया जा रहा था। इसी से मंत्रालय के इतनी तेजी से इस काम को करने की तत्परता के कारण का पता चल जाता है।

जहां एक ओर पिछले 70 साल में देश भर में 3.23 करोड़ परिवारों को पानी के कनेक्शन दिये गये, वहीं जल जीवन मिशन की शुरुआत के एक साल में ही 3.73 करोड़ से अधिक परिवारों को नलों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया गया। पिछले साल देश में 81,154 गांवों, 41,835 पंचायतों, 669 ब्लॉकों, 52 जिलों और दो राज्यों में शत-प्रतिशत परिवारों को पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने में कामयाबी हासिल कर ली। इस साल कई अन्य गांवों, जिलों और राज्यों में कई परिवारों को पाइप लाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। वैसे तो आंकड़ों से ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए एक निष्पक्ष पार्टी की जांच

लेखक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री हैं। ईमेल: minister-mowr@nic.in

से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जब प्रमुख मीडिया संगठनों ने शत-प्रतिशत घरेलू पानी के कनेक्शन वाले गांवों का दौरा किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि संख्याएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि काम पर वास्तव में अमल हुआ है। हालांकि कुछ मामूली विवरणों की पुष्टि होना बाकी है, जो कुछ समय में हो जाएगी। जल जीवन मिशन के बारे में उनका आकलन सकारात्मक, उत्साहजनक और प्रशंसनीय है। मिशन की प्रगति से उत्साहित पेयजल और स्वच्छता विभाग के लिए बजट आवंटन 2020-21 के 21,518 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2021-22 में 60,030 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

फिलहाल पेयजल और स्वच्छता विभाग जल जीवन मिशन की वजह से खबरों की सुर्खियों में है। स्वच्छ भारत अभियान के बाद - स्वच्छ भारत अभियान 2.0 ने जो शानदार कार्य किया है वह भी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा उतना ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कराये गये एक अध्ययन के अनुसार मिशन के प्रयासों से 2014 और अक्तूबर 2019 के दौरान डायरिया और प्रोटीन-ऊर्जा न्यूनता से उत्पन्न होने वाले कुपोषण से 3,00,000 संभावित मौतों को टाला जा सका है। स्वच्छ भारत मिशन के जल, भूमि और खाद्य पदार्थों पर पर्यावरण संबंधी प्रभाव के बारे में यूनीसेफ के अध्ययन से पता चला है कि मलजल प्रदूषण की दृष्टि से खुले में शौच से मुक्त नहीं हो पाए गांवों के भूजल के संक्रमित होने की आशंका औसतन 11.25 प्रतिशत अधिक है (जो अकेले मनुष्यों की वजह से होने वाले प्रदूषणकारी तत्वों के मुकाबले 12.8 गुना अधिक है)। जहां स्वच्छता का दायरा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के समय के 38.7 प्रतिशत से बढ़कर 2 अक्तूबर, 2019 को शत-प्रतिशत हो गया, लेकिन सबको स्वच्छता सुविधा के दायरे में लाने की बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए हाल में आवंटित 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का उद्देश्य समग्र कचरा प्रबंधन की चुनौती से निपटना है। इसके लिए ग्रामीण भारत में अपशिष्ट प्रबंधन

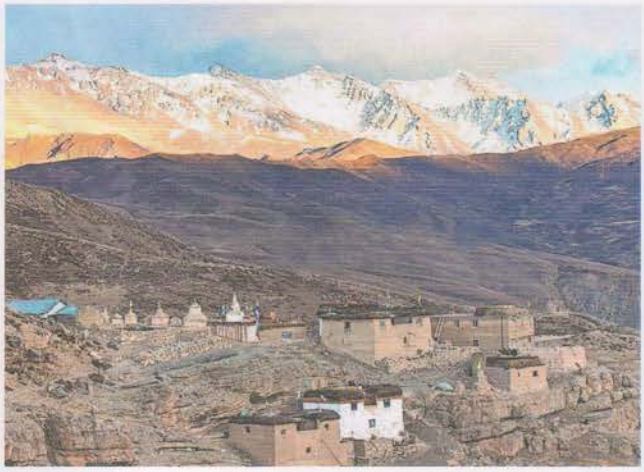

के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत जलमल प्रबंधन और अपशिष्ट जल का उपचार करने, अपशिष्ट को घर में ही छांटकर अलग करना, और सिर्फ एक बार इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा में कमी लाना भी शामिल हैं।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 बड़े सही समय में शुरू किया गया है। पूरे विश्व में प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण में भारत का हिस्सा बहुत बड़ा है। कचरे की मात्रा कम करने के लिए उपयुक्त सामुदायिक कार्रवाई और कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना आज समय की आवश्यकता बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के अन्य तीन प्रभाव क्षेत्र हैं जैव-अपघटनशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अवजल प्रबंधन और मलजल प्रबंधन। इस सरकार की दूरदर्शिता से देश भर में दो गड्ढों वाले 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाना एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इनमें मलजल का गड्ढे में ही उपचार हो जाता है। लेकिन अर्ध शहरी/शहरी इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से पहले निर्मित शौचालयों से उत्पन्न करीब 1,20,000 टन मलजल का उपचार नहीं हो पाता क्योंकि इन शौचालयों में से दो तिहाई मुख्य सीवर लाइन से नहीं जुड़े हैं।

स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की आवश्यकता मलजल के कुप्रबंधन से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जबरदस्त खतरे को दूर करने के लिए भी है।

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग देश में जल सुरक्षा बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण नीतियों का सूत्रपात भी कर रहा है। 6,000 करोड़ रुपये लागत की अटल भूजल योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए भूजल के सतत प्रबंधन में मदद करना और सात राज्यों के 78 जिलों की 8,353 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत पानी की कमी वाले इलाके के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में भूजल के सतत प्रबंधन के लिए पानी के मांग पक्ष को ध्यान में रखकर कार्रवाई करना है। **अटल भूजल योजना** देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय पर आयी है जब हमारे करीब 22 प्रतिशत भूजल संसाधन या तो नाजुक या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में आ चुके हैं। जिन 6,881 इकाइयों का मूल्यांकन किया गया उनमें से 1,499 या तो नाजुक या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में पहुंच गयी थी। भूजल की वार्षिक निकासी इसके पुनर्भरण से अधिक होने से मांग पक्ष का प्रबंधन वक्त की जरूरत बन गया था। अटल भूजल योजना इसी उद्देश्य के लिए खास तौर पर बनायी गयी। यह भी पाया गया कि अगर हमारे देश में जल संसाधनों का प्रमुख रूप से उपयोग करने वाला केवल कृषि क्षेत्र, पानी के किफायत से उपयोग करने के तौर-तरीकों को अपनाकर 10 प्रतिशत पानी की भी बचत कर ले तो अगले 50 साल तक सबको पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। सूक्ष्म सिंचाई के बारे में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर विधियों से सिंचाई जैसे प्रौद्योगिकी आधारित उपयुक्त उपायों से कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग में दक्षता को बढ़ाना और किसानों को पानी की बचत और संरक्षण करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को प्रेरित करना है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.), हर खेत को पानी (एच.के.के.पी.), पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी हर बूंद से अधिक फसल और जलसंभर विकास की चार सूत्री परिकल्पना के मजबूत स्तंभों पर आधारित यह योजना 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से स्थापित की गयी थी। इसका उद्देश्य देश की सूक्ष्म सिंचाई की कुल संभावित क्षमता का फायदा उठाना और इस क्षेत्र में क्षमता की कमी को दूर करना है। इस समय देश की सूक्ष्म सिंचाई क्षमता 6.95 करोड़ हैक्टेयर है जिसमें से 2014 तक सिर्फ 10 प्रतिशत का उपयोग हो रहा था। 2022 तक 100 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाने से किसानों की आमदनी में प्रति एकड़ 10,000 से 25,000 रुपये की संभावित बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

मंत्रालय इस तरह की कई पहल का नेतृत्व कर रहा है जिनसे एक ओर देश का पानी के मामले में लचीलापन बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोगों को स्वच्छ पेय जल मिल पाएगा। हमारे लिए यह बड़े उत्साह का वक्त है, जब देश का भाग्य बदलने वाला है। इस्राइल के प्रथम राष्ट्रपति बेन गुरियन ने ओल्ड टेस्टामेंट के विद्वत्तापूर्ण शब्दों से प्रेरणा लेकर अपने देशवासियों का आह्वान करते हुए रेगिस्तान को 'प्रोमिस्ड लैंड' में बदलने को कहा था। पानी की किल्लत वाला देश इस्राइल आज पानी के मामले में सुरक्षित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भी हमारे राष्ट्र पर वैसा ही असर है। उन्होंने पानी का महिमामंडन करते हुए उसे ईश्वर का दर्जा दिया है और हमें हर घर के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पानी परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया है। इस संबंध में मंत्रालय निश्चित रूप से ईश्वर का काज या सेवा कार्य ही कर रहा है। ■

भारत । ग्रामीण घरों में नल के जरिये जल आपूर्ति की स्थिति

घरों की कुल संख्या	15 अगस्त, 2019 को जल आपूर्ति के लिए नल के कनेक्शन वाले घरों की संख्या	मौजूदा समय में जल आपूर्ति के लिए नल के कनेक्शन वाले घरों की संख्या
		+1,13,717
19,19,10,552	3,23,62,838 (16.86%)	7,01,17,638 (36.54%)

इन घरों की संख्या जिनमें मिशन शुरू होने के बाद नल के जरिये पानी का कनेक्शन मुहैया कराया गया

3,77,54,800 (19.67%)

विशेष आलेख

जल सुरक्षा

सुरेश प्रभु

सदियों पुरानी सभ्यता- भारत, पवित्र नदियों सिंधु और सरस्वती के तट पर जन्मी और फली-फूली। प्राचीन ग्रंथों में जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के महत्व को प्राय: रेखांकित किया गया है। 2900 किलोमीटर तक फैली सिंधु नदी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी और कावेरी का स्थान आता है। भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। यहां पौधों की 47,000 किस्मों और जानवरों की 89,451 प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 के अनुसार, देश में वनों और वृक्षों का आवरण बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत हो गया है।

वर्षों से जनसंख्या में वृद्धि के साथ पानी की बढ़ती मांग के कारण, आज भारत जल क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। 130 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या वाले इस देश में पानी की कमी पहले से ही दिखाई दे रही है और 2050 तक आबादी के 160 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है जिससे यह समस्या और भी विकट हो जाएगी। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्वभर में जल चक्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 16 प्रतिशत है, लेकिन यहां जल संसाधन दुनिया के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत ही है। भारत में वर्षा से उपलब्ध वार्षिक जल लगभग 4,000 घन कि.मी. है। सतही जल और पुनर्भरणीय उपयोग योग्य भूजल 1,869 घन कि.मी. है, लेकिन इसका केवल 60 प्रतिशत ही लाभकारी उपयोगों के लिए रखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि भारत में उपयोग योग्य जल संसाधन केवल 1,122 घन कि.मी. हैं।

2018 समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) 2.0, एक अखिल भारतीय मेट्रिक्स मापक है जो जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों को मापता है और जीवनचक्र में उपयोग होता है। जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नीति आयोग द्वारा जारी की गई जल रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद सहित 21 बड़े शहर 2020 तक शून्य भूजल स्तर तक पहुंचने के कगार पर थे जिससे 100 मिलियन से अधिक लोगों के प्रभावित होने के आसार हैं। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दुगुनी होने का अनुमान है, जिससे करोड़ों लोगों के लिए जल की गंभीर कमी हो सकती है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत की हानि हो सकती है। यह माना जाता है कि पानी भी इस सदी में भूराजनीतिक संघर्ष का एक प्रमुख कारण होगा, इसलिए इस प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह से प्रबंधन करना जरूरी है।

हमें अपने देश के सभी नागरिकों के हित में, जल संकट से निपटने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जल संकट के समाधान के लिए सरकार अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन पर काम कर रही है। संपूर्ण आबादी को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की विश्वसनीय पहुंच और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल सुरक्षा सर्वोपरि है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार जल प्रबंधन को

लेखक सांसद (राज्यसभा), जी-20 के लिए भारत के शेरपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ईमेल: sprabhu@sansad.nic.in

मिश्रित बैग

नीति आयोग के संयोजित जल सूचकांक स्कोर के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश प्रभावी रूप से जल संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। मेघालय, उत्तराखंड और नगालैंड का स्थान सूचकांक में सबसे नीचे है।

निदेशकों ने विचार किया : भूजल पुनर्भरण, सिंचाई प्रबंधन, खेतों में जल के इस्तेमाल, पेय जल आपूर्ति, जल नीति रूपरेखा

लेकर 2014 से ही पूरी तरह सक्रिय रही है। भारत ने विशेष रूप से 'सतत विकास लक्ष्य 6: स्वच्छ पानी और स्वच्छता' में काफी प्रगति की है। इसके लिए 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके पांच वर्षों में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की गई। इस अभियान के लिए 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्रदान किया, इसी वर्ष महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती भी थी। हाल में, कैंब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स (सीईआरए) ने भी माननीय प्रधानमंत्री को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया, उन्हें यह सम्मान देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत विकास में भारत के नेतृत्व के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया।

राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रभावी तरीके से प्रदूषित होने से बचाने और इसके संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे *फ्लैगशिप* कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं और वे इस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए 1) व्यापक नियोजन तथा प्रबंधन के वास्ते अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए नदी घाटी मार्ग या पहलू को अपनाया जा रहा है और 2) पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखा जा रहा है।

डॉ मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक समिति के माध्यम से एक महत्वपूर्ण और कम होते प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल की सुरक्षा, संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन के लिए सिद्धांतों के साथ सर्वसमावेशी राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के प्रावधानों वाले राष्ट्रीय जल तंत्र विधेयक, 2016 के मसौदे का सुझाव दिया गया। इस समिति का गठन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 2016 में किया था। सरकार राष्ट्रीय जल नीति के 2012 संस्करण को अद्यतन करने और जल प्रबंधन में प्रतिमान संबंधी बदलाव लाने के लिए एक राष्ट्रीय जल उपयोग क्षमता ब्यूरो स्थापित करने की योजना बना रही है।

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके 2019 में जल शक्ति मंत्रालय बनाकर जल सुरक्षा और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के प्रयासों को दोगुना किया गया है। जल संरक्षण को संपदा निर्माण और व्यापक संचार के माध्यम से जन आंदोलन बनाने के लिए 2019 में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था। पांच महत्वपूर्ण गतिविधियों-जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन; पारंपरिक तथा अन्य जल निकायों / टैंकों का नवीनीकरण; पानी का दोबारा इस्तेमाल; संरचनाओं का पुनर्भरण, जल संभर विकास और सघन वन्य क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के 256 जिलों में जल की कमी वाले 1592 ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष उपायों वाले क्षेत्रों में ब्लॉक तथा जिला जल संरक्षण योजना, कृषि विज्ञान केंद्र मेला, शहरी अपशिष्ट जल का दोबारा इस्तेमाल, वैज्ञानिक तथा आईआईटी और 3 डी विलेज कंटूर मैपिंग शामिल हैं।

सरकार ने 15 अगस्त 2019 को भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल जल) को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। 2019-20 के दौरान, 7 महीनों में (अगस्त से मार्च तक), 84 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे।

सरकार ने 15 अगस्त 2019 को भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल जल) को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। 2019-20 के दौरान, 7 महीनों में (अगस्त से मार्च तक), 84 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए

थे। 19,19,10,552 घरों में नल कनेक्शन देने के लक्ष्य के तहत 27 फरवरी 2021 तक 7,00,03,921 (36.48 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए गए।

25 दिसंबर, 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95 वीं जयंती पर भूजल प्रबंधन योजना- अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत के सात राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इस योजना पर 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों में कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इस योजना से इन सात राज्यों के 78 जिलों की लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा।

2021-22 के केंद्रीय बजट में, सार्वभौमिक जल आपूर्ति और स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति के लिए जलजीवन मिशन (शहरी) शुरू करने की घोषणा की गई, साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 5 साल के वास्ते 2,87,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन को 2021-2026 तक 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

नदियों को आपस में जोड़ना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दीर्घ-कालिक सपना है और इस परियोजना में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की 14 और हिमालयी मूल की 16 नदियां शामिल हैं। नदियों को जोड़ने के लिए गठित कार्य दल के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री समतुल्य) के रूप में 2002 से 2004 तक मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने भारत सरकार के एक व्यापक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के हिमालयी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रमुख नदियों को जोड़ने के माध्यम से पानी की कमी को दूर करना सुनिश्चित करना है।

व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों और आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में वैयक्तिक परियोजनाओं के मूल्यांकन के मानदंडों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की दिशा में कार्यबल को आगे बढ़ाया गया। नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ आम सहमति तक पहुंचने के लिए जमीन तैयार की गई। मैंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ भी काम किया है और कई अन्य के अलावा दक्षिण एशिया-ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप और ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल के बारे में परिषद की अध्यक्षता की। 11 अफ्रीकी देशों में जल संबंधी नीतियों का अध्ययन करने के लिए संदर्भ समूह का भी सदस्य रहा। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मैंने 2014 से 2017 तक रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनों की शुरुआत की। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलदूत रेलगाड़ियां भेजी गईं।

25 दिसंबर, 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95 वीं जयंती पर भूजल प्रबंधन योजना- अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत के सात राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इस योजना पर 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों में कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इस योजना से इन सात राज्यों के 78 जिलों की लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा।

जल निकायों की बहाली, जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की स्थापना, वर्षा जल संचयन, कुशल जल उपयोग, स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र आदि के लिए नई जल नीति शुरू की गई।

कोंकण क्षेत्र के एक सांसद के रूप में मैंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत पेयजल, पुलों और बिजली जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। वे जल संरक्षण तथा प्रबंधन पर संसदीय मंच से भी जुड़ा रहा तथा वर्ल्ड वॉटर फोरम में एक विचारक नेता के रूप में भी कार्य किया।

जी 7 और जी 20 के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री के शेरपा के रूप में मैं इन समूहों के शिखर सम्मेलन के लिए प्रमुख मुद्दों पर भारत सरकार के आधिकारिक एजेंडे को आकार दे रहा हूं जिसमें 'सतत विकास लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता' पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

जल संकट को हल करने के लिए सरकार पहले से ही कई पहलों पर काम कर रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को कई मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है।

जल संकट को हल करने के लिए सरकार पहले से ही कई पहलों पर काम कर रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को कई मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत के 72 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण पर 'निसर्ग रक्षा' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है।

इन मुद्दों से निपटने के लिए, भारत के 72 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण पर 'निसर्ग रक्षा' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। यह समूचा अभियान विभिन्न हितधारकों के विचारों के साथ जल क्षेत्र में मेरे अनुभवों को देखते हुए संकल्पित किया गया था। यह अभियान लोगों द्वारा चलाया जाएगा और यह लोगों का अभियान होगा।

हमारा लक्ष्य लगभग 10 लाख निसर्ग रक्षक - देश के प्रत्येक गांव के लिए एक स्वयंसेवक को प्रशिक्षित करना है। इन स्वयंसेवकों को देश भर में 50,000 निसर्ग शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और वे स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की दिशा में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देंगे। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण घटक में ऋषिहुड विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेषज्ञों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों की स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल शामिल किए जाएंगे और संगठनों की सुविधा के लिए ई-सर्टिफिकेशन भी प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा, हम इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नेचर प्रोटेक्टर फोरम नाम से एक मंच बना रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस मंच के लिए, किसी प्रमुख संगठन से प्रत्येक राज्य से एक सदस्य को लिया जाएगा। राज्य-स्तरीय मंच के लिए, प्रत्येक जिले से किसी प्रमुख संगठन के एक सदस्य को लिया जाएगा। परियोजना को चार प्रभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा: राज्य→जिला→तालुका→गांव।

परियोजना का मुख्य घटक पर्यावरण और जल संरक्षण के बारे में काम करने के लिए स्थानीय साधनों का उपयोग करके परियोजना की प्रभावशीलता और कम लागत वाले तरीकों को बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना होगा। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जैसी परिवर्तन की स्थानीय कहानियों और स्थानीय संस्कृति के विषयों का उपयोग जल संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए नई पहल की कार्यनीतियों के लिए किया जाएगा।

जागरूक नागरिकों को प्रकृति संरक्षण अभियान में भाग लेने में मदद करने के लिए नेचर प्रोटेक्टर ऐप बनाया गया है। इस अभियान में भाग लेने वाले पर्यावरणविद लंबे समय के अनुभव और सुसंगत उद्यमशीलता को संयोजित करने में सक्षम होंगे। अभियान में भाग लेने के इच्छुक किसी भी नागरिक के लिए यह ऐप एक खुला मंच बना रहेगा। इस ऐप के माध्यम से प्रतिभागियों को उचित और उपयोगी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में अनुभव भी साझा किए जा सकते हैं। संचार के माध्यमों को तीन भागों में विभाजित किया जाएगा जो इस नेटवर्क को बनाने और बनाए रखने में मदद करेंगे। ये हैं- संगठनात्मक आउटरीच सामग्री (सोशल मीडिया और डेटा एनालिटिक्स)। यह राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पर्यावरण और जल संरक्षण पर अपनी तरह की पहली परियोजना होगी।

इसके अलावा, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के माध्यम से नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल क्षेत्र में युवा पेशेवरों के लिए एक साल का फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इन युवा पेशेवरों की भूमिका स्थानीय मुद्दों, प्रशासनिक संरचना को समझने और जल प्रशासन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ काम करना है। इस सीख का उपयोग करते हुए, वे पानी के मुद्दों पर उद्यमशीलता/उद्यमता समाधान विकसित करेंगे और सरकार को सर्वोत्तम उपायों को लागू करने और बढ़ाने में भी मदद करेंगे।

हमें यदि भविष्य को बचाना है और संधारणीय विश्व का निर्माण करना है तो पानी के सही, बहुआयामी महत्व का एहसास करने का यह उपयुक्त समय है। माननीय प्रधानमत्री के नेतृत्व में, भारत ने पिछले 7 वर्षों में सभी क्षेत्रों में कई चुनौतियों को पार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जल क्षेत्र प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में बहुत कुछ किया जा रहा है। ■

संदर्भ

1. प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार
2. swachhbharatmission.gov.in
3. jaljeevanmission.gov.in
4. ejalshakti.gov.in
5. knowindia.gov.in

जलवायु संकट और पानी का भविष्य : भारतीय अनुभव

सुनीता नारायण

भारतीय अनुभव न केवल हमारे, बल्कि पूरे विश्व के शिक्षण के लिए बहुमूल्य है कि जल-प्रबंधन को कैसे नया रूप दिया जाए कि वह किफ़ायती और टिकाऊ हो। ऐसा प्रबंधन जन-समुदायों के हाथों में होगा और विकेंद्रीकृत रूप में स्थानीय स्तर पर इसमें पानी के स्त्रोतों के पुनर्भरीकरण और पानी के बार-बार इस्तेमाल हो सकने की व्यवस्था होगी। जल-प्रबंधन हर व्यक्ति का काम और ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।

दो तथ्य तो निर्विवाद हैं: एक, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए पानी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। दूसरा, पानी को लेकर युद्ध टाले जा सकते हैं लेकिन अगर हम अपने संसाधनों का विवेक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसे युद्ध संभव हैं। कोविड-19 के दौर में हमने समझा है कि स्वच्छ पानी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। महामारी से बचाव का यही तरीका था कि हम बार-बार साफ पानी से हाथ धोएं। इसीलिए 2021 के केंद्रीय बजट में सरकार ने पानी को स्वास्थ्य के घटक से जोड़ कर रखा है। यह मेरी राय में निर्णायक कदम है क्योंकि इसमें साफ पानी को स्वास्थ्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है।

मेरा यह भी मानना है कि पानी के अभाव की स्थिति के ज्यादा बढ़ने के बावजूद, ऐसा होना अनिवार्य नहीं है कि शहरों में पानी खत्म हो जाए और हमारे पास पीने को पानी न बचे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जल एक पुनर्भरणीय संसाधन है। हर साल यह बर्फ और बारिश के रूप में आता है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि को छोड़ कर, हम पानी का पूरी तरह उपभोग नहीं करते। हम इसका इस्तेमाल करके इसे वापस कर देते हैं। इसलिए, इसका शोधन कर इसे फिर इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। इस तरह, इस क्षेत्र में हम भविष्य को बदल सकते हैं।

इसका मतलब है कि जल प्रबंधन की हमारी नीति और व्यवहार सही हों। अच्छी बात यह है कि पानी के बारे में समझ बढ़ी है। पिछले कुछ दशकों में देश ने जल प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझी हैं और एक नया परिदृश्य बनाया है। 1980 के दशक के अंत तक, जल प्रबंधन सिंचाई परियोजनाओं तक सीमित था। यानी पानी को जमा करके दूर-दूर तक इसकी आपूर्ति के लिए बांध और नहरें बनाना। लेकिन 1980 के दशक में जो बड़े सूखे पड़े, उनसे यह स्पष्ट हुआ कि बड़ी परियोजनाओं के जरिए पानी का प्रवाह बढ़ा देना ही काफी

लेखिका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक हैं। ईमेल: sunita@cseindia.org

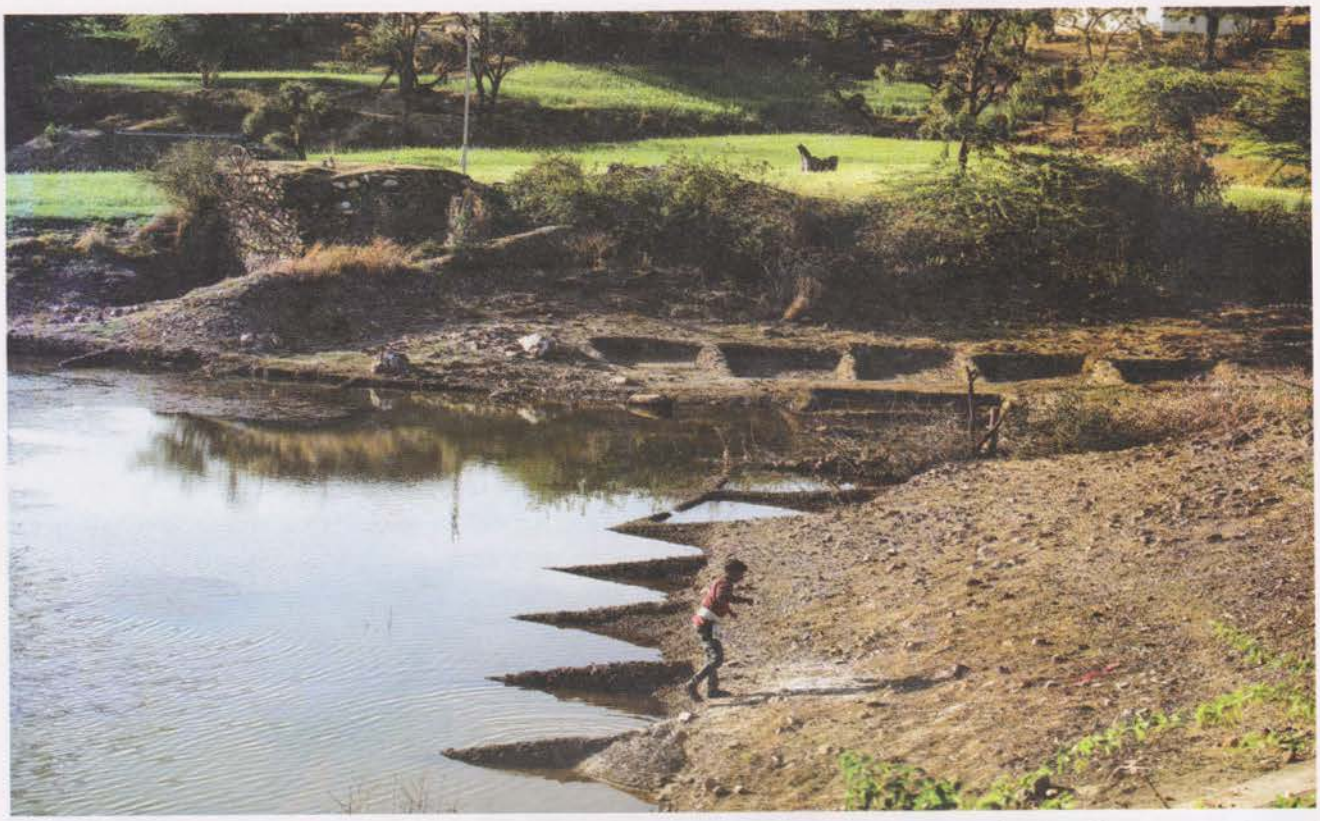

नहीं है। इसी दौर में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने अपनी रिपोर्ट – *'डाइंग विज़डम'* प्रकाशित की जिसमें भारत के पर्यावरणीय विविधता वाले क्षेत्रों में बरसाती पानी को समेट कर रखने की परंपरागत प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत किया गया था। इस समझ का नारा था, "बरसात सब जगह होती है और पानी की मांग भी सभी जगह है।" इसलिए, बारिश होते ही इसके पानी को समेट कर रखें।

इसके बाद नीतियों में एक बुनियादी बदलाव आया। 1980 के दशक के सूखों के दौरान, राज्य सरकारों ने बरसात के पानी को जमा करने के लिए तालाब-पोखरे बनाने और नदियों पर बांध बनाने के व्यापक कार्यक्रम चलाए। 2000 के दशक के मध्य तक, ये प्रयास महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा – एमजीआरईजीए) में समाहित हो गए जिसके तहत स्थानीय श्रमिकों को रोज़गार देकर गांवों में जल-ग्रहण के लिए व्यवस्थाएं की गईं। इस समय तक, यह बात भी समझ में आ गई थी कि जमीन के नीचे का भूजल, जिसे अब तक 'छोटा' संसाधन समझा जाता था, वास्तव में पेयजल और सिंचाई का 'बड़ा' संसाधन है। यह भी समझ में आया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा खेती अब भी बरसाती पानी पर निर्भर है इसलिए जल-संरक्षण और छोटी-छोटी परियोजनाओं के जरिए बरसात के पानी को जमा करना जमीन की उत्पादकता बढ़ाने और लोगों के बेहतर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हर कुंए और नदी-तालाब-पोखर जैसे जल-संग्राहक स्रोत को सूखने न देना ज़रूरी है।

50 प्रतिशत से ज्यादा खेती अब भी बरसाती पानी पर निर्भर है इसलिए जल-संरक्षण और छोटी-छोटी परियोजनाओं के जरिए बरसात के पानी को जमा करना जमीन की उत्पादकता बढ़ाने और लोगों के बेहतर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हर कुएं और नदी-तालाब-पोखर जैसे जल-संग्राहक स्रोत को सूखने न देना ज़रूरी है।

2010 के दशक में, शहरी घरों तक सूखे का संकट पहुंच गया। तब समझ में आया कि पानी की आपूर्ति बढ़ाना चुनौती का मात्र एक हिस्सा है। शहर दूर स्थित जल-स्रोतों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते गए। वहां से पानी को पंप करके लाने में वितरण में होने वाला पानी का नुकसान तो था ही, बिजली की लागत भी बढ़ती थी। इस तरह, पानी महंगा होता गया और इसका साधन-सम्पन्न और अन्य लोगों के बीच वितरण बेहद असमानता के साथ होने लगा। जल-आपूर्ति कम होने से लोगों ने जमीन के अंदर के भूजल को खींचना बढ़ा दिया लेकिन इसको फिर से भरने के कोई प्रयास नहीं हुए। शहरों में मकानों और संपत्ति के कारोबारियों ने तालाबों और अन्य जल-स्रोतों को सुखा डाला। दूसरी ओर, पूरी तरह अनदेखी की वजह से भी ये जल-स्रोत सूख गए। इस तरह, जमीन में पानी का स्तर और नीचे चला गया।

इससे भी बड़ी बात यह थी कि पानी की आपूर्ति प्रदूषण से जुड़ी थी। जितनी ज्यादा पानी की आपूर्ति होगी, उतना ही गंदा पानी बढ़ेगा। पानी की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने से नदियों-तालाबों का प्रदूषण बढ़ता है जिससे साफ पानी की उपलब्धता कम होती है और पानी साफ करने की लागत भी बढ़ती है।

कुछ वर्ष बाद, शोध से पता चला कि ज्यादातर शहरी निवासी भूमिगत जल-मल प्रबंधन व्यवस्था (अंडरग्राउंड सीवरेज नेटवर्क) से भी नहीं जुड़े हैं जिसमें ज्यादा पूंजी और संसाधन लगते हैं। वास्तव में, ज़्यादातर लोग घर की जगह पर ही 'जल-मल निस्तारण

(सीवरेज)' व्यवस्था से जुड़े हैं जिसमें घर का जल-मल सेप्टिक टैंकों या फिर, मामूली टैंकों या फिर आस-पास की खुली नालियों में ही निपटाया जाता है। जल-मल निस्तारण की यह व्यवस्था शहरों की मुख्य सफाई व्यवस्था से नहीं जुड़ी होती और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। सही जल-मल व्यवस्था नहीं होने से नदियों में प्रदूषण बढ़ता जाता है।

इस तरह, नए समाधानों की समझ बढ़ी। अगर वाजिब कीमत पर जल आपूर्ति की समस्या है तो शहरों में जल-वितरण पाइपलाइनों की लंबाई कम करनी होगी। यह तभी हो सकेगा जब तालाबों-पोखरों तथा बरसाती पानी जमा करने जैसी स्थानीय प्रणालियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। शहरों में सभी लोगों के लिए किफ़ायती जल तथा स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और घरों-मुहल्लों के आसपास की ऐसी स्थानीय व्यवस्थाओं को नया स्वरूप देना होगा जिसमें स्थानीय तौर पर हर घर से जल-मल संग्रहण और उसकी सफाई और निपटान की व्यवस्था हो। पीने के पानी की आपूर्ति के लिए दूर-दूर तक पाइप बिछाने और फिर घरों से जल-मल ले जाने तथा निस्तारण के लिए उससे भी लंबी पाइप लाइनों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस अनुभव से हमने सबसे बड़ी बात यह सीखी कि अगर इस शहरी-औद्योगिक जल-मल का सही तरीके से निस्तारण हो सके और इसे दुबारा इस्तेमाल के योग्य बनाया जा सके तो पानी बर्बाद नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी नदियां बर्बाद नहीं होंगी। इसीलिए, पानी के सही इस्तेमाल के तरीकों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा।

भारतीय अनुभव न केवल हमारे, बल्कि पूरे विश्व के शिक्षण के लिए बहुमूल्य है कि जल-प्रबंधन को कैसे नया रूप दिया जाए ताकि वह किफ़ायती और टिकाऊ हो। ऐसा प्रबंधन जन-समुदायों के हाथों में होगा और विकेंद्रीकृत रूप में स्थानीय स्तर पर इसमें पानी के स्रोतों के पुनर्भरीकरण और पानी के बार-बार इस्तेमाल हो सकने की व्यवस्था होगी। जल-प्रबंधन हर व्यक्ति का काम और ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।

इसलिए बड़ी चुनौती यह है कि पानी की आपूर्ति प्रणाली को निरंतर बनाए रखने की चुनौती सबसे बड़ी है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी और बेहद ज़रूरी 'हर घर जल' मिशन में जल अवसरंचना परियोजनाओं की इस बुनियादी कमी को पहचाना गया है और जल व्यवस्था को निरंतर टिकाऊ बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया है ताकि पाइपों और नालों में पानी की सप्लाई बनी रहे। इसके लिए इस बात पर फोकस करना होगा कि जो पानी जुटाया गया है, वह बर्बाद न हो; झीलों, तालाबों और पोखरों पर अवैध कब्जे न हों; वे सिमटें नहीं; पानी के निकास के लिए ज़रूरी जलागम और जल-विभाजक क्षेत्रों की देखभाल व संभाल की जाए।

समस्या यह है कि पानी और ज़मीन के विभिन्न मुद्दों से जुड़ा अमला अलग-अलग है। तालाब की व्यवस्था किसी के पास है, नाली-निकासी दूसरे के पास है, जलागम क्षेत्र किसी और के कार्य क्षेत्र में है। पानी के सुरक्षित प्रबंधन के लिए इस स्थिति को बदलना होगा। इसके लिए पानी से जुड़े संसाधनों और व्यवस्थाओं पर स्थानीय लोगों को ज्यादा नियंत्रण देने होंगे। इसलिए सही जल प्रबंधन के लिए लोकतन्त्र को और गहरे लाना होगा, जमीनी स्तर पर अधिकार देने होंगे।

इन सब बातों के साथ-साथ हमें अपना पानी का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। हर बूंद का किफ़ायती इस्तेमाल करना होगा। इसमें पानी के किफ़ायती इस्तेमाल वाली सिंचाई व्यवस्था तथा घरेलू उपकरणों और खान-पान में भी किफ़ायती तरीके अपनाने होंगे। ताकि हमारी फसलों में भी पानी का समझदारी से इस्तेमाल हो।

यही अवसर है - हमने जो कुछ सीखा है, इस दशक में उन सारी बातों को व्यवहार में लाएं और भारत में पानी की उपलब्धता की नई इबारत लिख डालें। यह संभव है। हम बस, पानी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें। पानी आजीविका से, भोजन और पोषण से, हमारे भविष्य से जुड़ा है।

जलवायु-संकट से घिरी हमारे दुनिया के लिए यह और भी ज्यादा ज़रूरी है। इस दशक में प्रकृति के बदले के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ने की आशंका है। इसलिए हमें जल-प्रणालियों में निवेश बढ़ा कर उन्हें ज्यादा टिकाऊ बनाना होगा ताकि वे न केवल अगली बारिश को, बल्कि अगली बाढ़ को भी झेल सकें। हमें अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ बारिश तो ज्यादा हो सकती है पर बारिश के दिन कम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें बारिश होते ही इसके पानी को समेटने के ज्यादा प्रयास करने होंगे ताकि भूजल का स्तर ऊपर उठे।

पानी को लेकर हमारा भविष्य पानी के बारे में हमारी समझदारी पर निर्भर है। हमें समझना होगा कि जल और संस्कृति का साथ है। पानी की कमी का मतलब महज कम बारिश होना नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि पानी की जो नेमत समाज को मिल रही है, वह उसे सही तरीके से बांटने और उसके अनुरूप जी पाने में असमर्थ हो रहा है। हमें पानी की सुरक्षा तभी मिल सकती है, जब हम पानी से जुड़े मुद्दों में समझदार बनें। ■

सामाजिक क्रांति की दिशा में बढ़ते कदम

रतन लाल कटारिया

प्रत्येक परिवार को पानी उपलब्ध कराना एक ऐसा दायित्व है जिससे कोई सरकार भाग नहीं सकती। पानी जीवन के लिए अमृत के समान है और ''इसे एक ऐसी उपयोगी वस्तु माना जाता है जिस पर सबका अधिकार है भले ही कोई इसके लिए भुगतान करने की क्षमता रखता हो या नहीं, क्योंकि यह जीवन के लिए अनिवार्य है।'' संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प संख्या 64/292 के अनुसार इसे मानवाधिकार की तरह प्रतिष्ठित किया गया है और सरकारों से अपेक्षा की गयी है कि वे घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ जल की पर्याप्त और वाजिब मात्रा सुनिश्चित करें।

मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। दलित परिवार में जन्म होने से गरीबी और उपेक्षा ही मेरे जीवन का जायका रहे हैं। मेरे माता-पिता की रोजमर्रा की गतिविधियां परिवार के लिए दो जून की रोटी जुटाने तक सीमित थी। मेरे पिता मोची का काम करते जबकि मेरी माता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर हाड़ तोड़ मेहनत करतीं। मुझे याद है एक खास कुएं से पीने का पानी लाने के लिए मां को रोजाना कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अपने बच्चों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के उसके संकल्प ने उसे जीवन में शारीरिक और सामाजिक मुसीबतों को झेलने का जज्बा दिया।

कमोबेश यही देश की अधिकांश ग्रामीण महिलाओं की एक जैसी कहानी है जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40.5 करोड़ है क्योंकि 15 अगस्त, 2019 तक देश के कुल 19.18 करोड़ परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पानी के नलों वाले कनेक्शन थे। समाज के सबसे दुर्बल तबके और खास तौर पर महिलाओं को नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने के कितने दूरगामी परिणाम होते थे इसका आकलन करने के लिए केवल आंकड़े काफ़ी नहीं होंगे।

भारत में महिलाएं और लड़कियां दिनभर काफ़ी समय रोजमर्रा के घरेलू काम करने में बिताती हैं (रोजाना 352 मिनट)। यह पुरुषों के

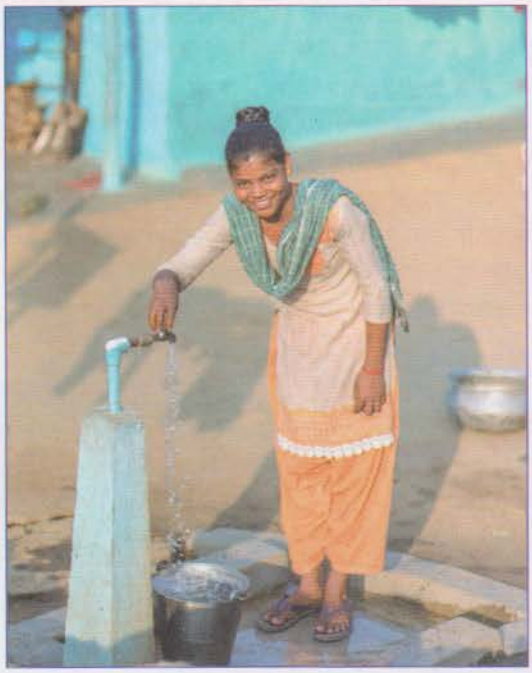

लेखक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ईमेल: mos-mowr@nic.in

मुकाबले (जो इसके लिए 52 मिनट देते हैं) 57.7 प्रतिशत अधिक है और दक्षिण अफ्रीका तथा चीन की महिलाओं की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है (ओईसीडी के आंकड़े)। अपने परिवार के लिए पीने का पानी लाना इसका मुख्य हिस्सा होता है। लड़कियों के स्कूल में दाखिला लेने में सबसे बड़ी बाधा परिवार के लिए पीने का पानी जुटाने की उनकी जिम्मेदारी ही है, खास तौर पर गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए। यह समस्या कितनी गंभीर है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को अभिशप्त हैं (पूर्ववर्ती योजना आयोग का अनुमान, 2004-05)।

मानसून की वर्षा और भूजल पर भारी निर्भरता के कारण पानी की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव की वजह से उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं। स्त्री-पुरुष असमानता की स्थिति पर तो इसका और भी बुरा असर पड़ता है। भारत में 70 प्रतिशत बारिश मानसून के मौसम में होती है और मानसून की अधिकता या कमी में भी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार हर साल अंतर आता रहता है। इसी का नतीजा है कि भारत की 42 प्रतिशत जमीन बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है (प्रारंभिक सूखा चेतावनी प्रणाली रिपोर्ट : मार्च 2019)। यह सर्व विदित है कि भीषण सूखे जैसी मौसमी आपदा से समाज के दुर्बल वर्गों पर विनाशकारी असर पड़ता है। इससे उनके मवेशी मर जाते हैं और फसल चौपट हो जाती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगती है जिससे उनके स्वास्थ्य और पोषण पर भी बुरा असर पड़ता है और इसका परिणाम अंततः मानवीय संसाधनों पर पड़ता है। इसका खामियाजा महिलाओं और बालिकाओं को भुगतना होता है और वे ही सबसे अधिक नुकसान झेलती हैं। इससे उनकी शारीरिक बढ़वार रुक जाती है जिसका दूरगामी असर पीढ़ियों तक चलता रहता है। एक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने बचपन में बड़ी संख्या में सूखे की स्थिति (औसत से कम वर्षा) को झेला है, उनके बच्चों को किसी न किसी एंथ्रोपोमीट्रिक यानी मानव शरीर संबंधी गड़बड़ी की 29 प्रतिशत अधिक आशंका रहती है। यानी अपनी उम्र के लिहाज से उनका वजन या कद कम हो सकता है (विश्व बैंक रिपोर्ट: अनचार्टेड वाटर्स)। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारी मानवीय पूंजी सुरक्षित रहे और हमारी भावी पीढ़ियों के बच्चों की बढ़वार न रुके।

समूचे मिशन में बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ने वाला दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन करना होता है जो पेयजल स्रोत सुदृढ़ीकरण, जल आपूर्ति, अवजल प्रबंधन और संचालन व रखरखाव के बारे में पंचवर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार करती है ताकि गांव के लोगों को नियमित आधार पर बिना किसी व्यवधान के नलों के जरिए पानी की सुनिश्चित आपूर्ति हो।

प्रत्येक परिवार को पानी उपलब्ध कराना एक ऐसा दायित्व है जिससे कोई सरकार भाग नहीं सकती। जीवन के लिए पानी अमृत तुल्य है और "इसे एक ऐसी उपयोगी वस्तु माना जाता है जिस पर सबका अधिकार है, भले ही कोई इसके लिए भुगतान करने की क्षमता रखता हो या नहीं, क्योंकि यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है।" संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प संख्या 64/292 के अनुसार इसे मानवाधिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और सरकारों से अपेक्षा की गयी है कि वे घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त और वाजिब मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध कराएं।

इसी के अनुसार 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नलों

से पेयजल उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प की घोषणा की। हाल में गठित जल शक्ति मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू कर रहा है और इसमें 2024 तक ''नल से जल'' और ''हर घर जल'' उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

दरअसल इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक साल की छोटी-सी अवधि में ही 3.77 करोड़ परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए जल आपूर्ति के कनेक्शन दिये गये हैं। जल जीवन मिशन के तहत गोवा और तेलंगाना शत-प्रतिशत परिवारों को पानी के कनेक्शन देकर क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं। आज की तारीख में 52 जिलों, 669 विकास खंडों, 42,000 ग्राम पंचायतों और 82 हजार गांवों ने हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

लेकिन इस मिशन के परिणामस्वरूप कई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हो रही हैं।

पानी के कनेक्शन जाति, समुदाय, धर्म, वर्ग आदि का ध्यान रखे बिना सभी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ''कोई भी व्यक्ति छूटने न पाए''। ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग अधिक संख्या में हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि रोजाना प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाए। इस तरह के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी दृष्टिकोण से मूलतः समाज के दुर्बल वर्गों और उपेक्षित तबकों के लोगों को फायदा हो रहा है और यह मिशन एक सामाजिक क्रांति साबित हुआ है।

मिशन के तहत अभूतपूर्व पैमाने पर जल आपूर्ति अवसंरचना की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए नलसाज, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिट्टर, पंप ऑपरेटर जैसी कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है जिसे संबंधित गांवों के लोगों को प्रशिक्षण देकर पूरा किया जाएगा। इस तरह इससे गांव में कुशल श्रम शक्ति के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और उद्यमिता के अवसर भी बढ़ेंगे।

समूचे मिशन में बॉटम-अप यानी नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ने वाला दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन करना होता है जो पेयजल स्रोत सुदृढ़ीकरण, जल आपूर्ति, अवजल प्रबंधन और संचालन व रखरखाव के बारे में पंचवर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार करती है ताकि गांव के लोगों को नियमित आधार पर बिना किसी व्यवधान के नलों के जरिए पानी की सुनिश्चित आपूर्ति हो। एक दिलचस्प बात यह है कि इन समितियों के सदस्यों में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों का होना जरूरी है क्योंकि उन पर ही पानी की व्यवस्था करने का दारोमदार होता है। परियोजना पर कारगर तरीके से अमल के लिए उनकी भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इतना ही नहीं, यह भी एक तथ्य है कि जिन पंचायतों में महिला सदस्यों की भागीदारी अधिक है, वहां पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता आदि की परियोजनाओं में अच्छा कार्य हुआ है (संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट)। इसके अलावा पानी समिति में समाज के दुर्बल वर्ग को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है जिससे यह मिशन उनकी भागीदारी के साथ-साथ सशक्तीकरण के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

आखिर में, सूचना टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर www.ejalshakti.gov.in पोर्टल पर देश भर के पानी से संबंधित डेटा को संकलित और प्रदर्शित किया गया है। कॉरपोरेट कंपनियां, संगठनों और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले ऐसे व्यक्तियों से जिनका अब भी अपने जन्म स्थान के प्रति लगाव है, अंशदान स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आर.जे.जे.कोष) बनाया गया है। बहुत जल्द ऐसे इंतजाम किये जा रहे हैं जिससे वे इस पोर्टल के जरिए पानी समिति के सदस्यों से बातचीत कर सकेंगे और माउस को क्लिक करके जल आपूर्ति संबंधी किसी खास परियोजना के लिए चंदा दे सकेंगे।

इसलिए जल जीवन मिशन कोई ऐसी योजना नहीं है जिसका मकसद अधिक संख्या में नलों के जरिए घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने तक सीमित है। बल्कि इसका उद्देश्य ऐसी आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक मुश्किलों को दूर करना है जिन्हें घर के पास नियमित, विश्वसनीय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से हमारे समाज के दुर्बल वर्गों को झेलना पड़ता है। इसके माध्यम से एक ऐसी सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें जन भागीदारी होगी, सशक्तीकरण होगा, समन्वय होगा, समावेशन होगा और समता होगी। ■

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रोग्राम

सामान्य अध्ययन

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) एथिक्स	श्री ए.के. अरुण भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	श्री राजेश मिश्रा भारतीय राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	श्री रीतेश आर जायसवाल सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे

द्वितीय बैच प्रारंभ

ऑफलाइन बैच

12 अप्रैल

सायं 3 बजे

वैकल्पिक विषय **भूगोल** द्वारा - कुमार गौरव	वैकल्पिक विषय **इतिहास** द्वारा - अखिल मूर्ति	वैकल्पिक विषय **राजनीति विज्ञान** द्वारा - राजेश मिश्रा

IAS (PT) 2021 सामान्य अध्ययन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़

कुल 25 टेस्ट

प्रत्येक टेस्ट के व्याख्या-सहित उत्तर

सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124	पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009	Website: www.sanskritiIAS.com Follows us on: YouTube

YH-1550/2021

जल शासन

पंकज कुमार

जल शासन यानी जल का समग्र प्रबंधन में विभिन्न मोर्चों पर कई मुद्दों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इन मुद्दों की जटिलता को देखते हुए, इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सबसे ऊपर, जल जैसे बहुमूल्य संसाधन के सतत उपयोग के लिए, इससे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता और समुदाय प्रेरण को, कार्यनीति के केंद्र में रखना भी महत्वपूर्ण है।

जल, जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है। भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत से अधिक है, जबकि इसके पास नवीकरणीय जल संसाधन विश्वभर के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत ही हैं। भारत में 3,880 बिलियन घन मीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है लेकिन समय और स्थान दोनों दृष्टियों से इसमें अत्यधिक भिन्नता है। कहीं-कहीं 50 प्रतिशत से अधिक वर्षा लगभग 15 दिनों में होती है और कई स्थानों पर एक वर्ष में 100 घंटे से कम वर्षा होती है। वाष्पीकरण के बाद, यहां लगभग 2,000 बिलियन घन मीटर पानी ही मिल पाता है। भूवैज्ञानिक और अन्य कारकों की वजह से इस मात्रा का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। उपयोग योग्य जल संसाधन लगभग 1,122 बिलियन घन मीटर (690 बिलियन घन मीटर, या 61 प्रतिशत, सतही जल और 432 बिलियन घन मीटर, या 39 प्रतिशत, भूजल) हैं। उपयोग किए जाने वाले जल संसाधन लगभग 700 बिलियन घन मीटर (सतह जल के 450 बिलियन घन मीटर और भूजल के 250 बिलियन घन मीटर) हैं। अनुमान है कि देश की पानी की वार्षिक आवश्यकता 2025 में लगभग 843 बिलियन घन मीटर और 2050 में 1,180 बिलियन घन मीटर हो जाएगी।

उपयोग किया जाने वाला लगभग 78 प्रतिशत पानी कृषि के लिए, 8 प्रतिशत घरेलू उपयोग के लिए, 6 प्रतिशत उद्योगों के लिए और शेष 8 प्रतिशत अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है।

बढ़ती जनसंख्या के साथ, भारत की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है । यह 2001 में 1,816 घन मीटर से घटकर 2011 में 1,545 घन मीटर हो गई। हमारे देश में पानी की उपलब्धता पहले से ही प्रति व्यक्ति परिभाषित उपलब्धता 1,700 घन मीटर से कम है। पानी की उपलब्धता और कम होकर 2025 तक प्रति व्यक्ति 1,340 घन मीटर और 2050 तक 1,140 घन मीटर हो जाने का अनुमान है।

बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जल प्रदूषण और अकुशल उपयोग के कारण देश के सीमित जल संसाधन दबाव में हैं। जलवायु परिवर्तन एक और बड़ी चुनौती बन गया है।

जल शासन के मुद्दे

उपरोक्त संदर्भ को देखते हुए, जल शासन से संबंधित कई मुद्दे हैं। पहला मुद्दा लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है। दूसरा मुद्दा सिंचाई और उद्योगों में पानी के किफायती उपयोग की दक्षता में सुधार करना है – पानी की एक बूंद की बचत से पारिस्थितिकी तंत्र में एक और बूंद शामिल होती है। तीसरा मुद्दा जल निकायों, विशेष रूप

लेखक जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। ईमेल: secydws@nic.in

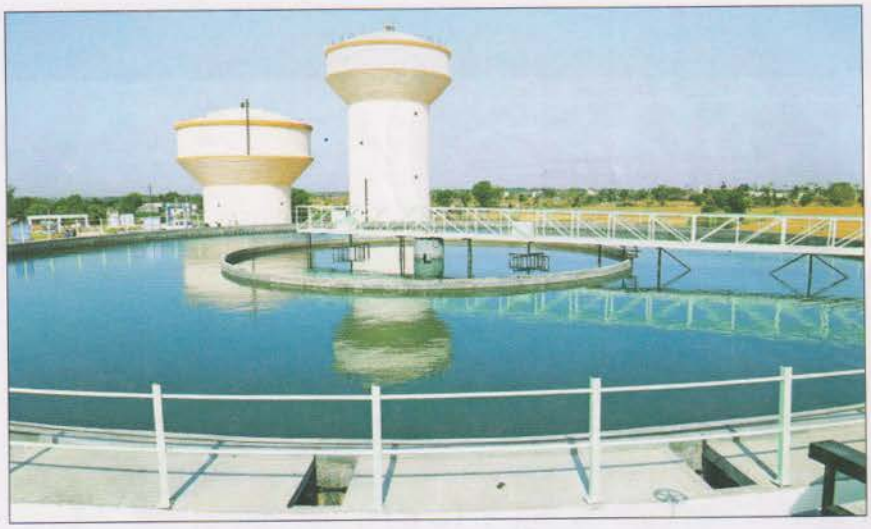

से नदियों के प्रदूषण से निपटने का है। चौथा मुद्दा पानी का पुनरूपयोग और पुनर्चक्रण है।

दृष्टिकोण

भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन में हाल के वर्षों में एक बदलाव देखा गया है क्योंकि देश के विकास के एजेंडे में जल शासन को सबसे आगे रखा गया है। मई 2019 में, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन पर जोर देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके, उच्चतम स्तर पर एक बहुत आवश्यक नीतिगत सुधार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप पानी के सभी पहलुओं को एक ही छतरी के नीचे लाना और वर्गीकृत की बजाए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना था।

2019 में शुरू किया गया जल शक्ति अभियान, एक जल संरक्षण अभियान है, जिसके तहत भारत सरकार के अधिकारी, भूजल विशेषज्ञ और वैज्ञानिक राज्यों तथा जिला अधिकारियों के साथ मिलकर सबसे अधिक पानी की कमी वाले जिलों में काम करते हैं। इस अभियान के लक्षित कार्य हैं - जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; पारंपरिक तथा अन्य जल निकायों / टैंकों, पुनरुपयोग व पुनर्भरण संरचनाओं का पुनर्निमाण; जल संभर विकास और सघन वनीकरण। इस अभियान के मूल में सामुदायिक जागरूकता और प्रेरणा है।

घरों में पाइप जलापूर्ति

2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है, जिस पर 3.60 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। पानी की कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव उन महिलाओं पर पड़ता है, जिन्हें पानी लाने के लिए काफी ऊर्जा और समय खर्च करना पड़ता है। उन्हें इससे उबारने के लिए जल जीवन मिशन के तहत घरों में पाइपलाइनों के जरिए पानी की आपूर्ति की जानी है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में 2.87 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई है। इसके तहत 2.68 करोड़ शहरी परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन में हाल के वर्षों में एक बदलाव देखा गया है क्योंकि देश के विकास के एजेंडे में जल शासन को सबसे आगे रखा गया है। मई 2019 में, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन पर जोर देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके, उच्चतम स्तर पर एक बहुत आवश्यक नीतिगत सुधार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप पानी के सभी पहलुओं को एक ही छतरी के नीचे लाना और वर्गीकृत की बजाए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना था।

जल उपयोग क्षमता में सुधार

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का प्रति बूंद अधिक फसल *पर ड्रॉप मोर क्रॉप* घटक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देता है। देश में माइक्रो सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रति बूंद अधिक फसल घटक के लिए 2018-19 के दौरान नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये की निधि बनाई गई थी। वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में, माइक्रो सिंचाई निधि के प्रारंभिक कोष में और 5,000 करोड़ रुपये डालकर इसे दोगुना करने की घोषणा की गई है।

राष्ट्रीय जल मिशन के तहत गतिविधियों का उद्देश्य पानी का संरक्षण और उसके न्यूनतम अपव्यय के लिए जल उपयोग दक्षता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

राष्ट्रीय जल मिशन के तहत 'सही फसल' अभियान कृषि में हितधारकों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल है, जिनमें पानी का कम उपयोग होता है। सिंचाई और उद्योगों में जल उपयोग दक्षता में सुधार के माध्यम से पानी की बचत की काफी संभावनाएं हैं।

जल प्रदूषण

अपनी तरह के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक, जलभर प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना (एनएक्यूयूआईएम), भूजल के स्थायी प्रबंधन की सुविधा के लिए जलभर प्रबंधन योजनाएं बनाने के बारे में है। अब तक कुल 24.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 13 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है।

राष्ट्रीय जल मिशन, जल उपयोग दक्षता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, पानी का संरक्षण, जल अपव्यय को न्यूनतम करने और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पर विशेष ध्यान देते हुए, राज्यों में और उनके भीतर दोनों तरह से पानी का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह, कैच द रेन और सही फसल जैसे अभियानों के माध्यम से पानी को सीमित संसाधन के रूप में देखने और इसके सदुपयोग के लिए विभिन्न हितधारकों को सक्षम बनाता है। ■

जल जीवन मिशन - हर घर जल

नल के जरिये हर घर स्वच्छ जल पहुंचा कर जीवन सुगमता में सुधार

भरत लाल
मनोज कुमार साहू

जल जीवन मिशन में न्यायसंगतता और समावेशन पर जोर दिया गया है। इसका मकसद हर ग्रामीण घर में निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की नल के जरिये पर्याप्त मात्रा में नियमित और स्थाई आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे गांववासियों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी जिंदगी की सुगमता को बढ़ाना है। मिशन के तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर को सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) मुहैया कराया जाना है। इसके लिये 3.60 लाख करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है। इसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 2.08 लाख करोड़ रुपये की और राज्यों का हिस्सा 1.52 लाख करोड़ रुपये का है।

जब जेजेएम की घोषणा की गयी उस समय लगभग 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3.23 करोड़ यानी 17 प्रतिशत के घरों में नल के जरिये जल आपूर्ति का कनेक्शन था। इस तरह 15.70 करोड़ ग्रामीण परिवार अपने घर के बाहर के पेयजल स्रोतों से पानी लाते थे।

भारत को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करने के लिये 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय बनाये गये। देश को दो अक्टूबर, 2019

श्री भरत लाल जल शक्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक और श्री मनोज कुमार साहू निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन हैं।
ईमेल: as.jjm@gov.in, mksahoo.ias@nic.in

को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त घोषित कर दिया गया। जेजेएम का मकसद सतत विकास लक्ष्य-6 को हासिल करने के लिये निर्धारित समय सीमा से छह साल पहले ही 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के जरिये जल आपूर्ति की व्यवस्था करना है। इस तरह यह सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में अन्य विकासशील देशों के लिये आदर्श बन सकता है।

इस मिशन से निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण घरों में नल के जरिये जल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने से महिलाओं को कम मेहनत करनी पड़ेगी। इससे उन्हें शिक्षा हासिल करने, अपने बच्चों को पढ़ाने, नया कौशल सीखने और आजीविका के बेहतर विकल्पों को खोजने के लिये समय मिल सकेगा।

सेवा पहुंचाने पर जोर

जेजेएम का लक्ष्य सिर्फ आधारभूत संरचना तैयार करने का नहीं है। इसमें हर ग्रामीण घर में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों तथा राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर और पंप ऑपरेटर जैसे काम करने वाले स्थानीय निवासियों की दक्षता बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि हर घर तक सेवा की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस मिशन में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा ग्राम पंचायतों और उनकी उपसमितियों की भूमिका सार्वजनिक सेवा की है।

जल जीवन मिशन के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गयी है। इन क्षेत्रों में खराब पानी वाले रिहायशी इलाके, रेगिस्तानी और सूखा प्रभावित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन गांव शामिल हैं। मिशन में मानव विकास सूचकांकों में पिछड़े 112 आकांक्षापूर्ण जिलों तथा जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 61 जनपदों को हर घर में नल के जरिये जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है।

दूषित जल के इस्तेमाल से पानी से पैदा होने वाले रोग होते हैं। हमारे देश में पेयजल का एक बड़ा स्रोत भूमिगत पानी है। देश के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहा, नाइट्रेट और भारी धातुओं का प्रदूषण तथा खारापन पाया जाता है।

जेजेएम के तहत उन गांवों को नल के जरिये जल आपूर्ति में तरजीह दी गयी है जिनमें अच्छी गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध नहीं है। इसके लिये प्रणाली के निर्माण में समय लगने की दशा में फौरी उपाय के तौर पर सामुदायिक जल शोधन संयंत्र लगाने का प्रावधान किया गया है। इन संयंत्रों के जरिये हर घर को रोजाना प्रति व्यक्ति आठ से 10 लीटर सुरक्षित जल मुहैया कराया जायेगा।

विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आम जनता के लिये पेयजल की गुणवत्ता

जल जीवन मिशन के लिए बजटीय प्रावधान (रुपये करोड़ में)

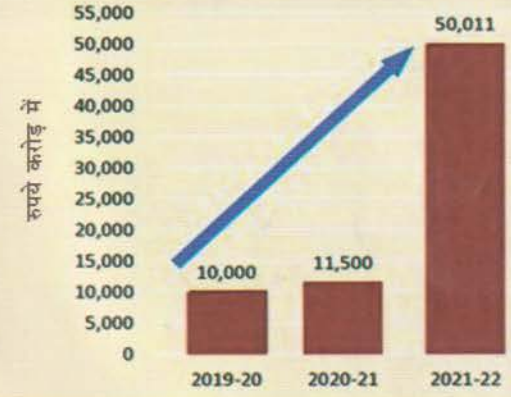

की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं खोली गयी हैं। इनमें मामूली रकम देकर पानी के नमूनों की जांच करायी जा सकती है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और पानी से होने वाले रोगों को घटाने में मदद मिलेगी। इसका फायदा समूची ग्रामीण आबादी तथा खास तौर से गर्भवती महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों को होगा। इसके अलावा हर गांव से कम-से-कम पांच लोगों और खास तौर से महिलाओं को पानी की गुणवत्ता की जांच के लिये फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है।

बच्चों पर विशेष ध्यान

दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की चपेट में ज्यादातर बच्चे ही आते हैं। वे अपना काफी समय स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र या आश्रमशाला में गुजारते हैं। इसलिये इन संस्थाओं में नल के जरिये पीने लायक पानी की आपूर्ति की व्यवस्था को तरजीह दी गयी है। सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और आश्रमशालाओं में पीने, दोपहर का भोजन पकाने, हाथ धोने और शौचालय में इस्तेमाल के लिये पर्याप्त मात्रा में पेयजल की नल के जरिये आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये दो अक्टूबर, 2020 से 100 दिनों का एक अभियान चलाया गया। अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में शत-प्रतिशत स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल के जरिये पीने योग्य पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है। देश भर में 5.4 लाख स्कूलों और 4.86 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को नल के जरिये पीने योग्य पानी मिलने लगा है।

जेजेएम का लक्ष्य सिर्फ आधारभूत संरचना तैयार करने का नहीं है। इसमें हर ग्रामीण घर में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गयी है। इन क्षेत्रों में खराब पानी वाले रिहायशी इलाके, रेगिस्तानी और सूखा प्रभावित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन गांव शामिल हैं।

पानी हर किसी का सरोकार

जेजेएम में एक समग्र नजरिया अपनाते हुए स्रोत की संवहनीयता, जल आपूर्ति, गंदे जल के शोधन और फिर से उपयोग तथा समूची प्रणाली के संचालन और रख-रखाव पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत हर गांव को 15वें वित्त आयोग के काल में ग्रामीण कार्ययोजना (वीएपी) तैयार करनी है। इस वीएपी में गांव के स्तर पर सभी उपलब्ध

पहले	अब

संसाधनों के तालमेल से इन लक्ष्यों को हासिल करने की योजना का विस्तृत विवरण दिया जाना है। दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, जेजेएम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, जिला खनिज विकास कोष, कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी कोष और सामुदायिक योगदान के धन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समग्र दृष्टिकोण से संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के जरिये जल सुरक्षा हासिल करने में सहायता मिलेगी।

जल जीवन मिशन का सूत्र वाक्य 'भागीदारी निर्माण, जीवन परिवर्तन' है। इसके तहत ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को योजना बनाने, संसाधन जुटाने, समुदायों को जोड़ने, सूचनाओं के प्रसार और महिला भागीदारी बढ़ाने का प्रशिक्षण देने में क्रियान्वयन समर्थन एजेंसी (आईएसए) के रूप में गैरसरकारी, समुदाय आधारित और स्वैच्छिक संगठनों तथा स्वयं सेवा समूहों की मदद ली जा रही है। प्रयासों और संसाधनों के तालमेल से जल सुरक्षा हासिल करने के लिये पानी के संकट वाले क्षेत्रों में 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया गया। इसके माध्यम से पानी को हर किसी का सरोकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सात राज्यों के जल संकट वाले 78 जिलों में अटल भूजल योजना शुरू की गयी है। इस योजना का मकसद ग्रामीण समुदाय और ग्राम पंचायतों के सहयोग से जल संरक्षण करना है।

जेजेएम का उद्देश्य पेयजल के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों तक पहुंच कर जनसाधारण की विशाल क्षमता का उपयोग करना है। मिशन में उन ट्रस्टों, फाउंडेशनों और गैरसरकारी संगठनों को क्षेत्रीय साझीदार के रूप में शामिल किया जा रहा है जो जेजेएम के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के मकसद से समुदायों को संगठित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये योगदान के इच्छुक हैं।

ग्राम कार्य योजना

मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली की कमियों का विश्लेषण

पीने, पशुओं और कृषि के लिए पानी की मांग

स्रोत की संवहनीयता

गंदा पानी प्रबंधन

प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना

सामुदायिक योगदान, प्रस्तावित उपयोगकर्ता शुल्क

समुचित प्रौद्योगिकी, वित्तीय कुशलता, व्यय के लिए पर्याप्त पूंजी तथा आसान संचालन और रखरखाव

महिलाएं पेयजल क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। इसलिये जल जीवन मिशन के हर कदम से उन्हें जोड़ने पर ध्यान दिया गया है। ग्राम सभा में गठित की जानी वाली ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति या पानी समिति के सदस्यों में आबादी के अनुपात में 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत कमजोर तबकों के प्रतिनिधि होते हैं।

क्रियान्वयन की रणनीति

हर घर में नल के जरिये जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये स्थितियों के अनुरूप अलग-अलग रणनीति अपनायी जा रही है। जिन गांवों में पाइप के माध्यम से पानी आपूर्ति की प्रणाली पहले से मौजूद है उनमें इसका आकलन कर जरूरी सुधार किये जा रहे हैं। जल स्रोतों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि अगले 30 वर्षों तक उनका उपयोग किया जा सके। इन गांवों में हर घर को नल के जरिये जल आपूर्ति के कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

जिन गांवों में निर्धारित गुणवत्ता वाला भूजल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है उनमें स्थानीय जल स्रोत पर आधारित पाइप के माध्यम से पानी आपूर्ति की ग्राम स्तरीय योजना बना कर सभी घरों को कनेक्शन दिया जायेगा। जिन गांवों में भूगर्भीय प्रदूषण वाला पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उनमें ग्राम स्तरीय जल आपूर्ति योजना में शोधन संयंत्र को भी शामिल किया जा रहा है।

भरोसेमंद जल स्रोत के अभाव से ग्रस्त पानी की तंगी वाले, सूखा प्रभावित और रेगिस्तानी इलाकों में तथा जल की अत्यंत खराब गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में शोधन संयंत्र समेत बड़े पैमाने पर पानी वितरण की प्रणाली बनायी जा रही है। ऐसी क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं के जरिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस तरह के सभी इलाकों में हर घर में पाइप से पानी पहुंचाया जा सके।

आदिवासी, पर्वतीय और वन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण या सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंध किया जा रहा है। इस तरह की योजनाओं के संचालन और रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम होने के कारण इन्हें चलाना आसान होता है। पहाड़ियों और पर्वतों में पेयजल के भरोसेमंद स्रोत के तौर पर झरनों का दोहन किया जा रहा है। गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में नवाचारी प्रौद्योगिकीय समाधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग

जल जीवन मिशन में पारदर्शिता, जवाबदेही, धन के सदुपयोग और सेवा की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेजेएम की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) एक सार्वजनिक समर्पित डैशबोर्ड के जरिये भौतिक और वित्तीय प्रगति का लेखाजोखा रखती है। कामकाज में सहूलियत के मकसद से सभी हितधारकों के लिये एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। जल आपूर्ति के परिमाण, गुणवत्ता और नियमितता को मापने और उनकी निगरानी के लिये सेंसर आधारित वस्तुओं के इंटरनेट (आईओटी) का सहारा लिया जा रहा है। जल आपूर्ति के लिये बनायी गयी हर संपदा की जियो टैगिंग की जा रही है। ग्राम स्तरीय योजनाओं में पेयजल स्रोत की तलाश और भूजल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण में हाइड्रो-जियो मॉर्फोलॉजिकल (एचजीएम) मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है। घरों में दिये जा रहे नल कनेक्शन को परिवार के मुखिया की आधार संख्या से जोड़ा गया है। इसके अलावा सभी तरह की वित्तीय लेन-देन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिये की जा रही है।

प्रगति

जेजेएम की घोषणा के समय से अब तक 3.77 करोड़ घरों को नल के जरिये जल आपूर्ति के कनेक्शन मुहैया कराये जा चुके हैं। देश में नल के जरिये जल प्राप्त करने वाले घरों की संख्या 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) से बढ़ कर सात करोड़ (37 प्रतिशत) हो गयी है। मौजूदा समय में गोवा और तेलंगाना 'हर घर जल' राज्य बन चुके हैं।

ग्राम जल और स्वच्छता समिति की भूमिका

- स्थानीय जल सेवा का कार्य
- ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन तथा संचालन और रखरखाव में प्रमुख भूमिका
- गांव के पूंजीगत व्यय के 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत हिस्से का नकदी, वस्तु या श्रम के रूप में योगदान करने के लिए समुदाय को एकजुट और प्रेरित करना
- एफटीके के जरिये समय-समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करना
- जल उपयोग शुल्क का निर्धारण और संग्रह

ग्राम जल और स्वच्छता समिति क्या है

- ग्राम पंचायत की उपसमिति
- इसे पानी समिति भी कहा जाता है
- सदस्यों की संख्या 10-15
  - 25 प्रतिशत तक ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य
  - 25 प्रतिशत सदस्य गांव के कमजोर तबकों (एससी/एसटी) से
  - कम-से-कम 50 प्रतिशत महिलाएं
- ग्राम सभा के निर्णय अनुसार सरपंच, उपसरपंच या पारंपरिक मुखिया में से कोई समिति का प्रधान होगा
- पंचायत सचिव, पटवारी या तलाटी में से कोई होगा समिति का सचिव

ग्रामीण घरों में नल के जरिये जल आपूर्ति की स्थिति

स्रोत : जेजेएम डैशबोर्ड, 08.03.2021

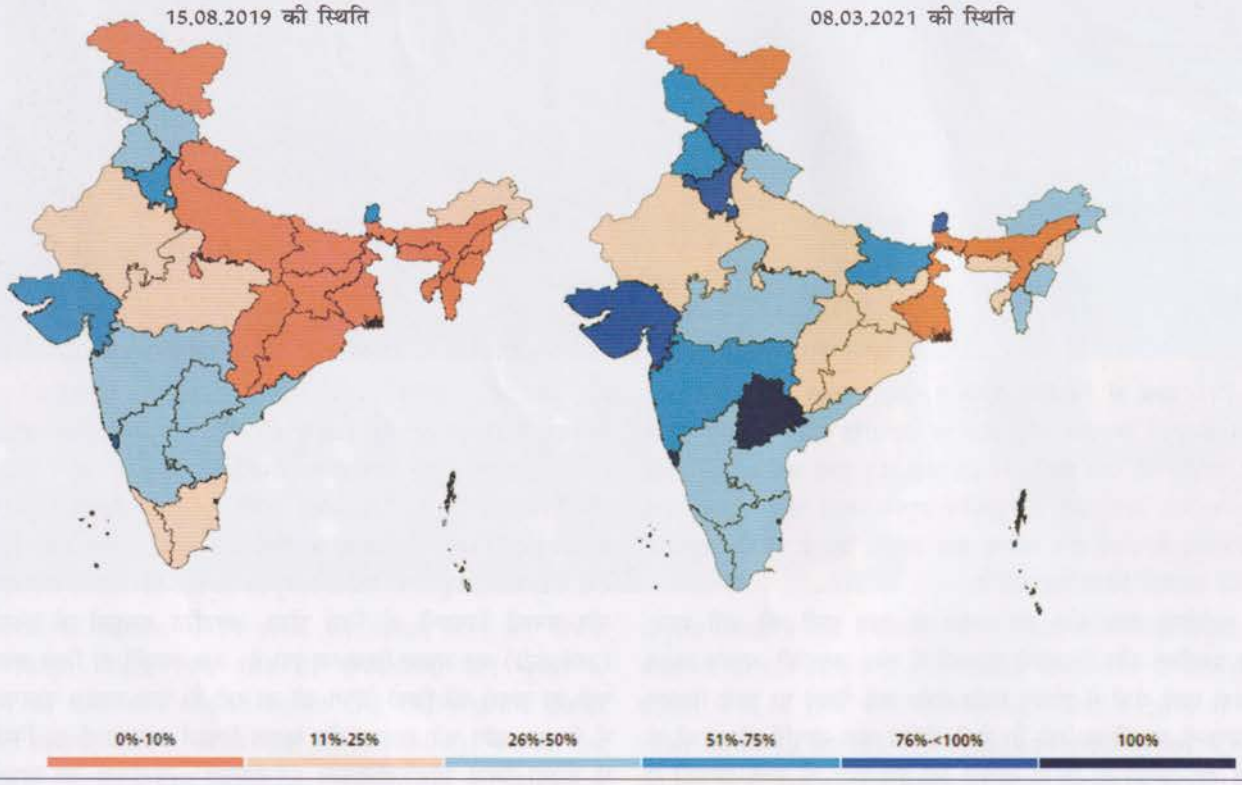

देश के 52 जिलों और 82 हजार गांवों में हर घर को नल के जरिये जल की आपूर्ति की जा रही है। इससे मिशन की रफ्तार और उसके विस्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। जेजेएम ने 'हर घर जल' सुनिश्चित करने के लिये राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। अनेक राज्यों ने 2024 से काफी पहले ही हर घर में नल के जरिये जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

निष्कर्ष

जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से स्थानीय समुदायों को ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के लिये योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण देकर उनका सशक्तीकरण जरूरी है। इस योजना में विभाग आधारित और निर्माण आधारित दृष्टिकोण के बजाय सेवा की डिलीवरी का नजरिया अपनाया गया है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि सशक्त समुदाय अपने गांवों में जल आपूर्ति का प्रबंधन खुद करें। ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी या पानी समितियों को स्थानीय जल आपूर्ति सेवा के तौर पर काम करना है। उनके पास हर घर को निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की स्थाई आधार पर नियमित और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कौशल होना चाहिये। इस तरह 'जल प्रबुद्ध गांव' से 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। ■

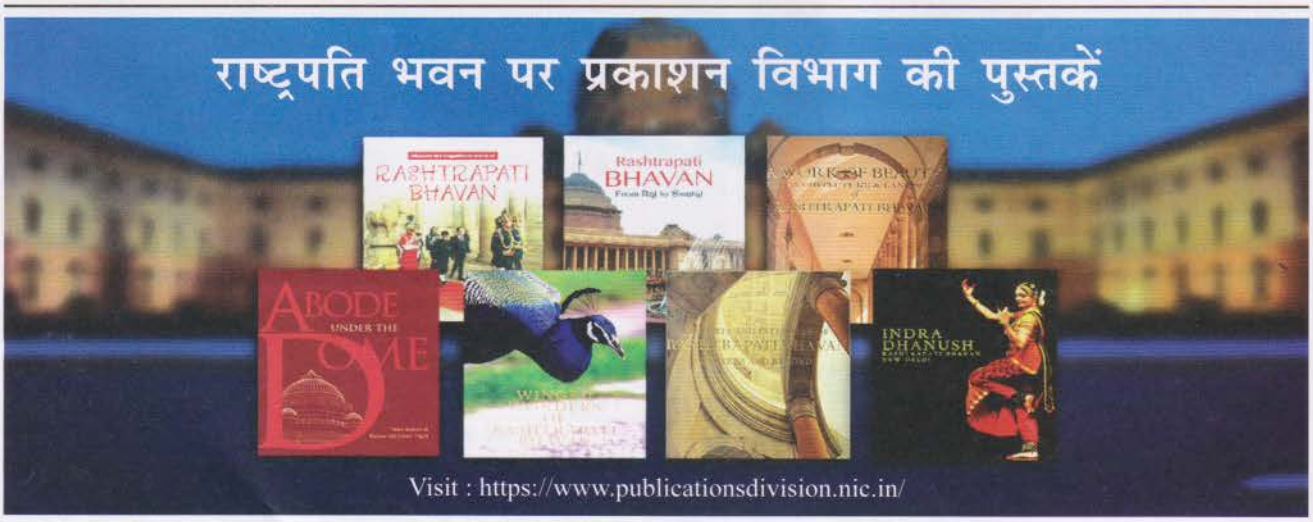

नदी संरक्षण के लिए अवसंरचना

राजीव रंजन मिश्रा

गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है जिसकी पूजा की जाती है। यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार है। इसके थाले में देश की 45 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। गंगा नदी का थाला कृषि और जैव विविधता की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण थाला है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। शहरीकरण, औद्योगीकरण और कृषि तथा अन्य गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर पानी निकाले जाने से गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता और बहाव के स्तर पर असर पड़ा है। हमारी खुद की भलाई के लिए गंगा और इसकी पारिस्थितिकीय प्रणाली का संरक्षण करना आवश्यक है। इसके लिए कई प्रयास किये गये। नमामि गंगे इसी तरह का एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसके अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं और देश में नदियों के संरक्षण का आधार तैयार हुआ है।

नमामि गंगे का शुभारंभ 2014-15 में गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि के आश्वासन से किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा-एनएमसीजी) नमामि गंगे मिशन को लागू करने वाली एजेंसी है। सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टीज.) के संघ के सहयोग से इस मिशन में मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बहु-क्षेत्रीय, बहु-एजेंसी और बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये श्रेणियां हैं: प्रदूषण में कमी लाना (निर्मल गंगा); नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी में सुधार (अविरल गंगा); नदी और लोगों के बीच संबंध को सुदृढ़ करने (जन गंगा) और अनुसंधान व ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा) पर जोर दिया जाता है। पहले के प्रयासों से अलग नमामि गंगे नदी की सफाई या कुछ गिने चुने शहरों में नदी की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नदी केन्द्रित और समूचे नदी थाले पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाकर नदी के समग्र संरक्षण पर जोर दिया जाता है।

अभिशासन में सुधार और संस्थाओं का सशक्तीकरण

एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अधिसूचना जारी की और अधिकार प्राप्त संस्थाओं का गठन किया। गंगा थाले की नदियों के संरक्षण के लिए समग्र ढांचे के विकास के साथ ही कुछ मूल सिद्धांत निर्धारित किये गये। इस दृष्टिकोण को देश की अन्य नदियों के संरक्षण के लिए लागू किया जाने वाला आदर्श बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। यह नदियों, उनकी सहायक नदियों, आर्द्र क्षेत्र, बाढ़ के मैदान, धाराओं और छोटी-छोटी नदियों को एक ही प्रणाली के अंतर्गत लाता है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर

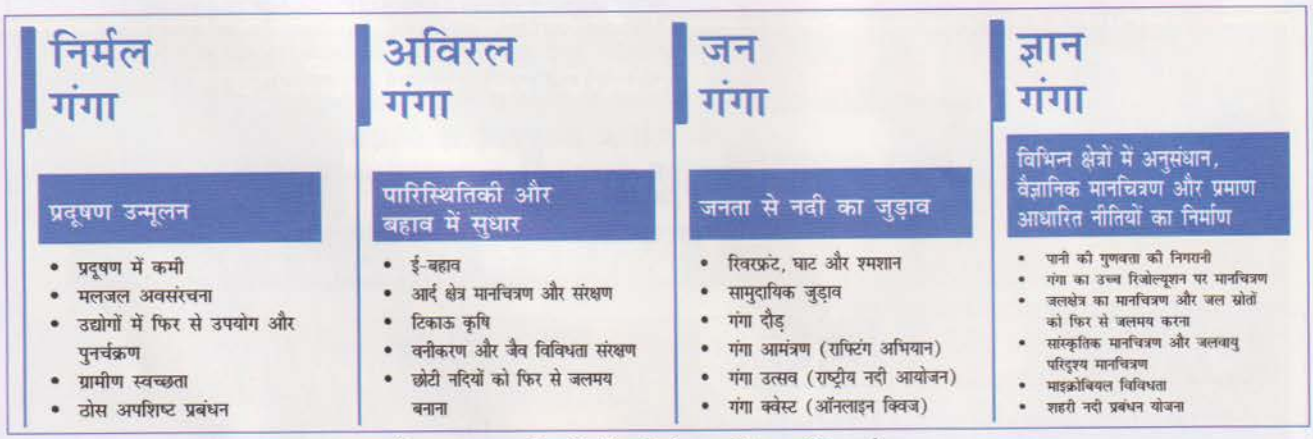

चित्र 1 : नमामि गंगे के अंतर्गत कार्यों का सिंहावलोकन

लेखक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं। ईमेल: dg@nmcg.nic.in

चित्र 2 : समन्वित संस्थागत ढांचा

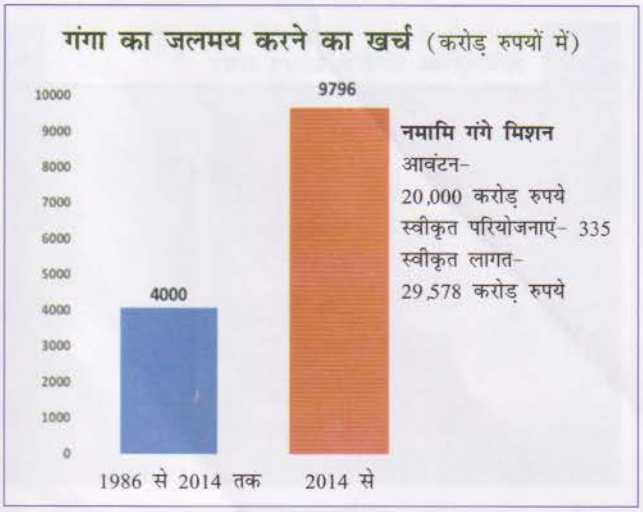

चित्र 3 : गंगा को पुनर्जीवित करने का खर्च

तक समन्वित प्रशासनिक ढांचा होने से साझा दृष्टिकोण अपनाने, तालमेल कायम करने, कारगर क्रियान्वयन और लोगों की सहभागिता हासिल करने में सुविधा होती है।

नमामि गंगे के अंतर्गत 29,578 करोड़ रुपये लागत की कुल 335 परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। इनमें से 142 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी पर अमल किया जा रहा है। क्रियान्वयन की रफ्तार कई गुना बढ़ गयी है जिसका पता 2014 से फरवरी 2021 तक हुए 9,795.62 करोड़ के कुल खर्च से भी स्पष्ट हो जाता है। यह राशि 1985-2014 तक हुए खर्च की तुलना में दुगने से भी अधिक है। (चित्र-3).

प्रदूषण में कमी (निर्मल गंगा)

गंगा थाले में 4856 एम.एल.डी. शोधन क्षमता का सृजन करने के लिए कुल 156 मलजल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी। 2014 में केवल 28 शोधन संयंत्र थे जिनकी क्षमता केवल 462.85 एम.एल.डी. थी। चित्र-4 से उत्पन्न मलजल की मात्रा और उसके शोधन की क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के प्रयासों में तेजी और 15 साल के लिए पर्याप्त क्षमता के सृजन का संकेत मिलता है।

नमामि गंगे ने भारत में पहली बार मलजल अवसंरचना के लिए पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल की शुरुआत की। हाइब्रिड एन्युइटी मोड (हैम) के जरिए 40 प्रतिशत पूंजीगत खर्च निर्माण के दौरान दिया जाता है और 60 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 साल की एन्युइटी पर ब्याज के रूप में दिया जाता है और संचालन व रखरखाव के लिए अलग से भुगतान किया जाता है। इस मॉडल को अपनाने से निर्माण के लिए भुगतान वाले तरीके में आमूल परिवर्तन आ गया है और भुगतान को कार्यनिष्पादन से जोड़ दिया

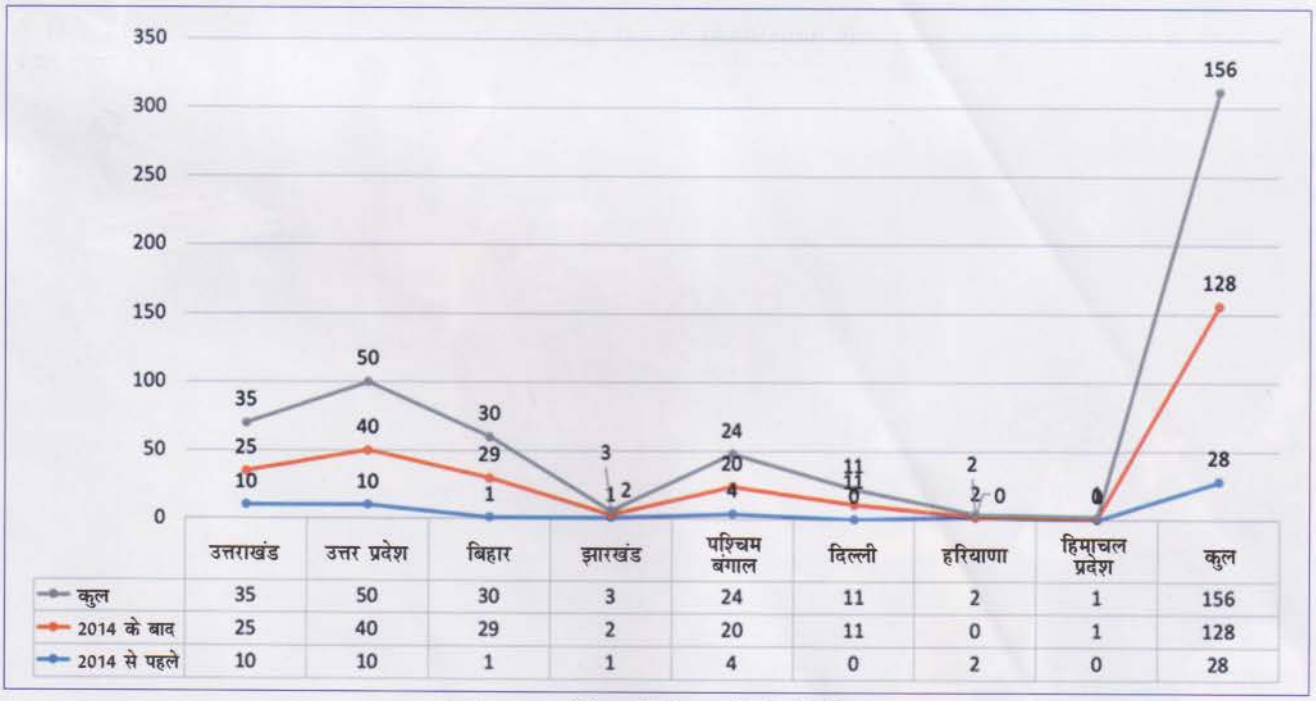

	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश	बिहार	झारखंड	पश्चिम बंगाल	दिल्ली	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	कुल
कुल	35	50	30	3	24	11	2	1	156
2014 के बाद	25	40	29	2	20	11	0	1	128
2014 से पहले	10	10	1	1	4	0	2	0	28

चित्र 4 : सीवेज परियोजनाओं की स्थिति

वाराणसी में 140 एम.एल.डी क्षमता का अत्याधुनिक सीवरेज शोधन संयंत्र

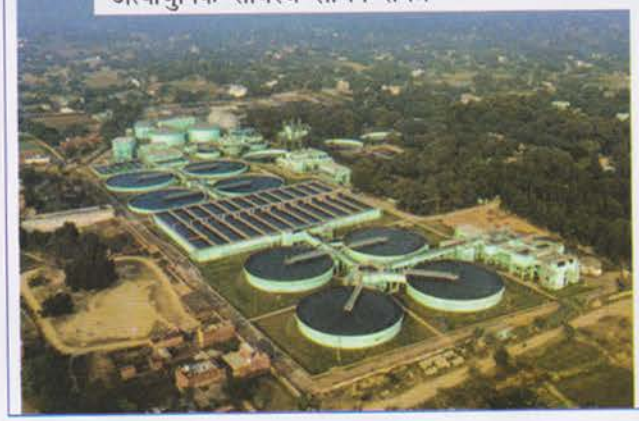

7.5 एम.एल.डी. क्षमता का पहला चार मंजिला चंदेश्वर नगर संयंत्र

गया है। एक शहर-एक ऑपरेटर वाले तरीके में पुराने का पुनर्वास और नयी परिसम्पत्तियों के सृजन का विलय कर दिया गया है और उन सबके लिए हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर संचालन और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है ताकि अभिशासन में सुधार हो। नीति आयोग ने भी हैम को स्वीकार कर लिया है और गंगा थाले के बाहर के राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है।

गंगा के किनारे के सभी 97 शहरों/कस्बों के लिए विस्तृत योजना के अनुसार परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिसमें पुनर्वास, पुराने संयंत्रों की हालत का आकलन करने के बाद उनके उच्चीकरण भी शामिल है। इसके बाद सहायक नदियों के लिए भी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। गंगा में गिरने वाले प्रमुख गंदे नालों को रोककर उन्हें जलमल शोधन संयंत्रों की ओर मोड़ दिया है। उत्तराखंड और झारखंड में गंगा नदी पर सभी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य गंगा शहरों में ज्यादातर परियोजनाएं भी पूरी कर ली गयी हैं। पानी की गुणवत्ता में सुधार की पुष्टि निगरानी केन्द्रों के जरिए हो चुकी है और आम लोगों को भी साफ दिखाई देती है। इसका एक उदाहरण कुंभ मेला है।

विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की वार्षिक जांच, ऑनलाइन निगरानी, प्रक्रियाओं में सुधार, संयुक्त अवजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) से औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिली है। घाटों की स्वच्छता में सुधार, ठोस अपशिष्ट को नदी में मिलने से रोकने, सतही जल की सफाई और शहरी स्थानीय निकायों की साफ करने की क्षमता में सुधार से नदियों की सफाई में बड़ी मदद मिली है। आज 4,500 गंगा ग्राम खुले में शौच की बुराई से मुक्त हो चुके हैं।

नदी के बहाव और पारिस्थितिकी में सुधार (अविरल गंगा)

अक्तूबर 2018 में गंगा नदी में पारिस्थितिकीय प्रवाह के बारे

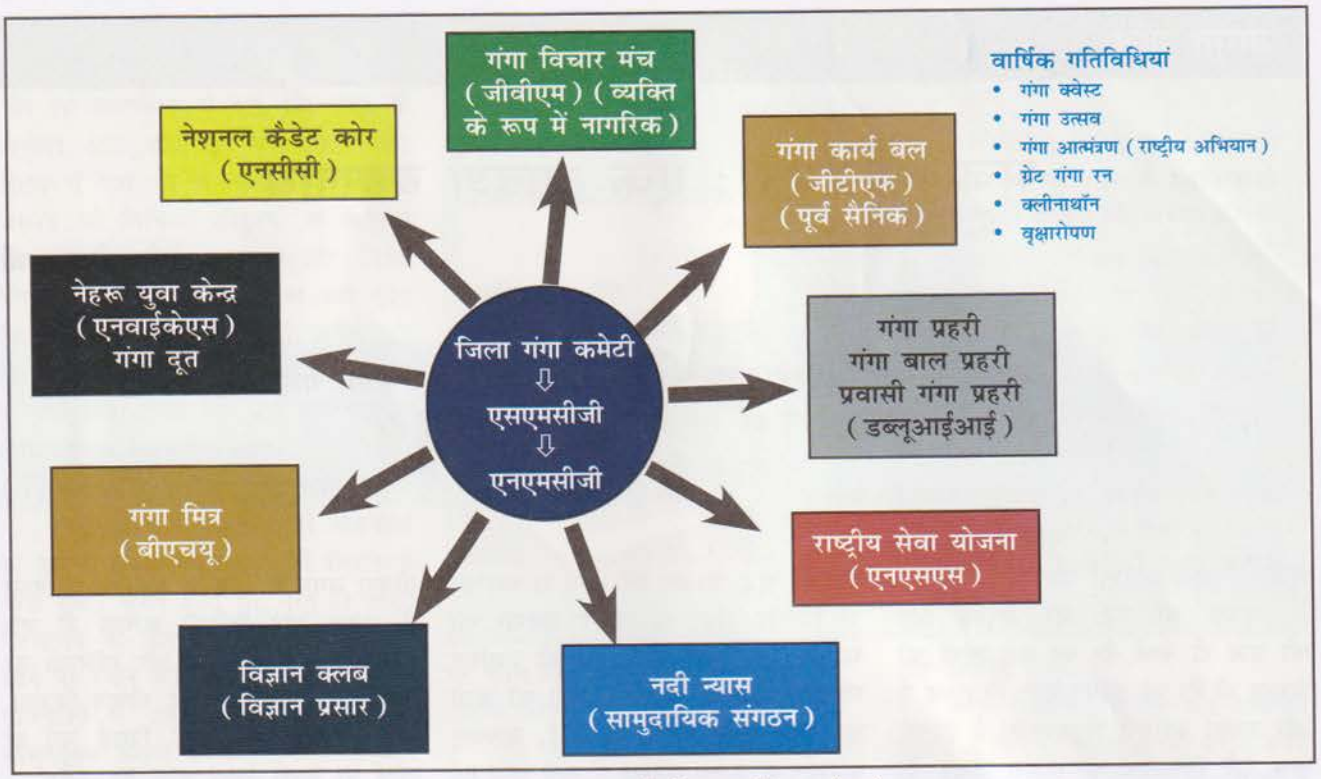

चित्र 5 : गंगा-रक्षा के लिए समर्पित कार्यकर्ता

में ऐतिहासिक अधिसूचना गंगा के प्रवाह को अविरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नदियों के खादर और बांगर भूमि का चिन्हांकन और संरक्षण, आर्द्र भूमि, खास तौर पर खादर और बांगर क्षेत्र की आर्द्र भूमियों, शहरी आर्द्र भूमियों, जल स्रोतों और छोटी नदियों के संरक्षण की परियोजनाओं पर अमल किया जा रहा है। जैव खेती, इको-कृषि, औषधीय पौधारोपण और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाकर सतत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मांग पक्ष के प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, जलसंभर मानचित्रण और भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण प्रगति पर है।

वन अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक योजना के अनुसार गंगा नदी के तटों के आस-पास वनीकरण का कार्य ऐसा मॉडल है जिसे 13 अन्य नदियों में भी अपनाया जाएगा। मात्स्यिकी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम के अंतर्गत आधार रेखा सर्वेक्षण, पर्यावास और प्रजाति सुधार और गंगा के जैव-विविधता की अधिकता वाले स्थानों पर सामुदायिक भागीदारी शामिल हैं। गंगा नदी में पायी जाने वाली डॉल्फिनों (राष्ट्रीय जलचर) के संरक्षण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

जनता और नदी के बीच संपर्क सेतु (जन गंगा)

पिछले प्रयासों के भिन्न, जन भागीदारी इस मिशन का केन्द्रीय विषय है। नदी तटों का सुधार किया गया है, उन्हें साफ-सुथरा बनाया गया है। 150 से अधिक घाट और शवदाह गृह बनाए गये हैं या उनमें सुधार किया गया है। जनता की भागीदारी से घाटों को गंदगी से भरे स्थान से सुंदर नदी तटों का रूप दिया जा रहा है।

गंगा उद्धार के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं के समूह जनसमुदाय में जाकर जागरूकता बढ़ाने के कार्य में लगे हैं। इन लोगों को कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें अपनी आजीविका सुधारने में भी मदद दी जाती है जिसके लिए उन्हें नदी और जैव विविधता के संरक्षण के कार्य से जोड़ा जाता है।

लोक संपर्क की कई अभिनव गतिविधियां, जैसे गंगा क्वेस्ट क्विज़ (www.gangaquest.com), राफ्टिंग अभियान, गंगा दौड़, गंगा उत्सव आदि आयोजन पूरे साल चलते रहते हैं ताकि सामुदायिक स्वयंसेवकों और आम लोगों को इनसे प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिले जिससे व्यवहार परिवर्तन हो और यह अभियान एक जनांदोलन का रूप ले सके।

अनुसंधान, नीति और ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा)

नदी थाले के दीर्घावधि अध्ययन और टेक्नोलॉजी संबंधी विकास के लिए आई.आई.टी. कानपुर में गंगा प्रबंधन और अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई थी। वैज्ञानिक मानचित्रण के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले डीईएम और जीआईएस सक्षम डेटाबेस के लिए लिडार मानचित्रण से जल स्रोतों के मानचित्रण, सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी विविधता, मात्स्यिकी, जैव विविधता और जलक्षेत्रों के हेली-सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमाणों पर आधारित निर्णय करने मदद मिलती है। प्राकृतिक, निर्मित और अमूर्त धरोहर के लिए अनोखा सांस्कृतिक मानचित्रण के जरिए पर्यटन, धरोहर और रोज़गार के परम्परागत अवसरों का विकास किया जा सकता है। नदियों की स्थिति को शहरी नियोजन की मुख्य धारा में लाने के लिए नदी-नगर नियोजन के रूप में एक नया आयाम जुड़ा है और शहरों के उपचारित अवजल को फिर से उपयोग में लाने के लिए नयी रूपरेखा तैयार की जा रही है। नमामि गंगे अब अर्थ-गंगा मॉडल के विकास की ओर अग्रसर हो रहा है जिसके अंतर्गत गंगा थाले के आर्थिक विकास को पारिस्थितिकीय सुधार और गंगा संरक्षण के साथ जोड़ा जाएगा। ■

भूजल प्रबंधन : एक आदर्श बदलाव

देवश्री मुखर्जी

तीव्रता से गहरे हो रहे जल-संकट से लड़ने के लिए, हमारे पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- अटल बिहारी वाजपेयी

भूजल - एक अदृश्य स्रोत

भूजल को कई बार अदृश्य स्रोत की संज्ञा दी जाती है। यह सब लोगों की जरूरत भी है। यह अधिकांशत: नि:शुल्क है और उनको आसानी से उपलब्ध है जिनके पास इसे निकालने के साधन मौजूद हैं। यह नहरों, आर्द्र प्रदेशों और जंगलों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की बुनियाद के तौर पर भी काम करता है। फिर भी यह अधिकतर अदृश्य स्रोत ही है और इसे इस्तेमाल करने वालों को भूजल को बनाए रखने वाली जलदाई जमीन के बारे में जानकारी नहीं होती और वह इस साझा-स्रोत के सुनियोजित एवं संधारणीय इस्तेमाल से भी अनजान रहते हैं।

भारतीय संदर्भ

भारत में विश्व में सबसे अधिक भूजल का इस्तेमाल होता है। समूचे विश्व के एक-चौथाई स्रोत का इस्तेमाल हमारे यहां होता है। देश में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूजल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाखों ट्यूब वेल्स के जरिए इसने 'हरित क्रांति' की सफलता की कहानी लिखी थी। मौजूदा समय में यह सीमित स्रोत सिंचित कृषि के 60 प्रतिशत से अधिक, ग्रामीण पेयजल की 85 प्रतिशत और शहरी पेयजल की 50 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति करता है।

बेहिसाब और असंधारणीय तौर पर भूजल निकाले जाने से इसमें भारी कमी आई और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ा है। शुद्ध पेयजल की कमी से स्वास्थ्य पर विपरीत असर के कारण रोज़गार का भारी नुकसान हुआ और लोगों को प्रवासित भी होना पड़ा है। इस तरह, पानी की कमी का गहरा असर पड़ता है। वहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण समस्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसके चलते वर्षा ढांचे में अनियमितता के कारण भूजल में कमी देखी गई है। मौजूदा समय में, देश के एक-तिहाई हिस्से में भूजल स्रोत विभिन्न कमियों से जूझ रहे हैं। भूजल की कमी और मलिनता का छोटे और हाशिये पर पड़े सीमांत किसान, महिलाएं और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।

केंद्रीय जल आयोग की 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में

लेखक जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग की अतिरिक्त सचिव हैं। ईमेल: aswrs-mowr@nic.in

उपयोगी जल की मात्रा प्रतिवर्ष 1122 अरब क्यूबिक मीटर्स (बीसीएम) तक रहती है और इस उपलब्धता में देश और काल के अनुसार अंतर होता है। वर्ष 2025 और 2050 में देश भर में भूजल की व्यापक जरूरत को विभिन्न परिदृश्यों के अनुसार इस मात्रा को क्रमशः 843 और 1180 बीसीएम आंका गया है। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम मौजूदा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करें तो भी 2050 में हम जरूरत से पीछे होंगे। इसके लिए हमें मांग पक्ष पर अधिकाधिक ध्यान देना होगा।

आपूर्ति-पक्ष मध्यवर्तन या हस्तक्षेप

अतीत में जल क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के कारण भूजल उपलब्धता की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ था, परंतु किफायत न बरतने के कारण इसकी मांग में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इन योजनाओं में आंशिक या ना के बराबर सामुदायिक दखल के कारण ऊपर से नीचे तक कमी रही। साथ ही, इनमें से अधिकांश योजनाओं को अकेले ही अमल में लाया गया, जिससे अन्य जारी योजनाओं का समुचित लाभ उठाना संभव नहीं हो सका। वहीं, अधिकांशतः गैर-सरकारी क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर चल रहे भूजल प्रबंधन के अनुभवों को भी इन योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था।

सामुदायिक पहल

देश में भूजल स्रोत गहरे संकट से जूझ रहे थे, इसलिए भूजल प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में परिवर्तन करने पर विचार किया गया। इस संबंध में रालेगांव सिद्धि के हिवरे बाजार और देश के अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक भूजल संरक्षण की लिखी गई सफलता की गाथाएं प्रेरणास्पद रहीं। महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गांव में ग्राम सभा, स्थानीय प्रशासन और गैर-सरकारी संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों से सूखा ग्रस्त गांव आज खुशहाल समुदाय में बदल चुका है। गांव में भूजल स्तर 70-80 फीट से 20 से 25 फीट तक बढ़ा, फसलों में परिवर्तन (ज्वार, बाजरा से प्याज, आलू, बागवानी फसलें) लाया गया, और आर्थिक समृद्धि से जीवनस्तर में व्यापक परिवर्तन आया। हालांकि, ऐसे उदाहरण इक्का-दुक्का ही थे और क्षेत्र के अनुसार व्यापक स्तर पर उन पर काम किए जाने की जरूरत थी।

भूजल संरक्षण की दिशा में एक कदम

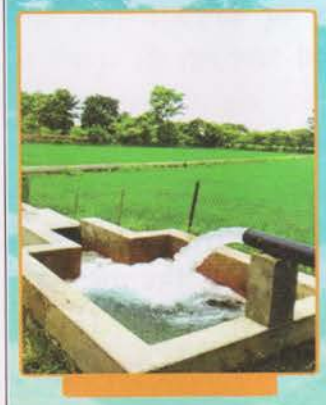

- भूजल संरक्षण में तेजी लाने के लिए मंत्रिमंडल ने 6000 करोड़ रुपये की राशि से महत्वाकांक्षी योजना- अटल भूजल योजना की घोषणा की।
- इसमें जल वितरण पर विचार के लिए ग्राम पंचायत, निगरानी समितियों और जल पंचायतों की स्थापना कर जल सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम से अगले पांच साल में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा।
- पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण और उसका पूरा सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए 3.5 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन की संगत परवर्ती योजना के रूप में है।

अटल जल - मांग प्रबंधन में सुधार

इस पहल को संस्थागत करने के लिए सरकारी दखल की जरूरत महसूस की गई। राज्य और जिला स्तरों पर संस्थानों को सशक्त करना, सामुदायिक एकजुटता, पानी के अधिक किफायती इस्तेमाल के लिए मौजूदा योजनाओं को जोड़ना, और पानी के संबंध में किफायत बरतने के लिए सामुदायिक सोच में परिवर्तन लाने के प्रयासों पर जोर देने की जरूरत महसूस हुई।

इस दिशा में अटल भूजल योजना (अटल जल) महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। अटल जल का उद्देश्य भूजल प्रबंधन के मामले में सामुदायिक पहल को आगे बढ़ाना है। योजना का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न योजनाओं को जोड़कर भूजल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन करना है। स्थानीय समुदायों को एकजुट कर सरकारी संस्थानों और नागरिक समाज की मदद से भूजल प्रबंधन की दिशा में कार्य करने वाला यह अग्रणी और अनोखा प्रयोग है।

अटल जल का उद्देश्य भूजल प्रबंधन के मामले में सामुदायिक पहल को आगे बढ़ाना है। योजना का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न योजनाओं को जोड़कर भूजल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन करना है।

अटल भूजल योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी लागत 6000 करोड़ रुपये की है। अभी तक यह योजना सात राज्यों में अमल में लाई गई है जिनमें पानी की कमी से जूझ रहे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। 80 से अधिक जिलों के 222 ब्लॉक/तालुकों की करीब 9000 ग्राम पंचायतों को इस योजना से लाभ पहुंचने की उम्मीद है। आंशिक तौर पर विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित इस योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 यानी सुशासन दिवस पर किया गया था।

सांकेतिक मानकों के संसाधन संवितरण

परिणाम आधारित इस योजना की प्रमुख विशेषता चुनिंदा संकेतकों के संबंध में राज्यों को कार्य के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन (डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स - डीएलआई) देना है। डीएलआई का चुनाव उन गतिविधियों के आधार पर किया जाता है जो भूजल के संधारणीय प्रबंधन, मापन और पहचान में आसानी पर आधारित होती हैं और साथ ही यह नतीजे पाने में साझीदारों की क्षमता पर भी निर्भर करता है। समग्रता में देखें तो योजना के उद्देश्य पर केंद्रित डीएलआई में योजना के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति पर अनुदान देने का प्रावधान निहित है, जो है, सामुदायिक सहभागिता से भूजल स्थिति में सुधार।

डीएलआई#1 – भूजल डेटा/सूचना एवं रिपोर्टों का सार्वजनिक प्रकाशन : इस डीएलआई के अंतर्गत भूजल संबंधित सूचना एकत्र और सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि भूजल प्रबंधन संस्थानों को सशक्त बनाया जा सके।

डीएलआई#2 – सामुदायिक जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी : इसके अंतर्गत निचले स्तर से भूजल प्रबंधन प्रक्रिया में सहभागिता शुरू करने को प्रोत्साहन दिया जाता है।

डीएलआई#3 – नई/जारी योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से स्वीकृत जल सुरक्षा योजनाओं को सार्वजनिक वित्तपोषण: डीएलआई भूजल योजना प्रक्रिया की जड़ों से शुरुआत को प्रोत्साहन देती है ताकि इससे जुड़े सार्वजनिक वित्तपोषण को बढ़ावा मिले और भूजल के संबंध में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल हो।

डीएलआई#4 – पानी के किफायती इस्तेमाल की आदतें अपनाना : डब्ल्यूएसपी के अंतर्गत मांग को अमल में लाने को प्रोत्साहन देना।

डीएलआई#5 – गिरते भूजल स्तर की मात्रा में सुधार : गिरते भूजल स्तर को रोकने को प्रोत्साहन देना।

योजना भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में परिवर्तन की अगुआ है। यह 'जल जागरूक' समुदायों के निर्माण को प्रोत्साहन देती है, यानी ऐसे समुदाय जिनमें उपलब्ध जल के अनुसार अपनी जरूरतें पूरा करने की समझ और क्षमता हो। जल प्रबंधन के क्षेत्र में, मांग और आपूर्ति मानकों को देखते हुए, योजना के तहत प्रोत्साहन लचीले तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

चुनिंदा राज्यों के अनुभव को देखते हुए, अखिल भारतीय स्तर पर पानी की कमी झेल रहे क्षेत्रों के लिए नए कार्यक्रम तैयार करने का कार्य चल रहा है। भूजल के सतत या लगातार इस्तेमाल के लिए जल-जागरूक समुदायों का सशक्तीकरण, निर्णय लेने में लाभदायक भरोसेमंद जल डेटा और सहभागिता नियामक तंत्र, तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनकी मदद से जीवन, रोज़गार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा और हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी सामना कर सकेंगे।

आगे की राह

योजना से जुड़े राज्यों ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ अमल में लाना शुरू कर दिया है। राज्यों को इसे अमल में लाने के लिए अपनी ओर से बदलाव करने की भी छूट दी गई है क्योंकि कर्नाटक की जरूरतें उत्तर प्रदेश की जरूरतों से अलग हो सकती हैं। नव परिवर्तन अभी नजर आ रहे हैं। महामारी के इस दौर में समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए कर्नाटक प्रशासन अपने गांवों तक डिजिटल रूप में पहुंच बना रहा है। उत्तर प्रदेश ने अटल भूजल योजना के मानक के अनुसार भूजल में सुधार के लिए अपनी सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचने की योजना निर्धारित की है। विशेष तौर पर निर्मित मोबाइल ऐप की मदद से जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण से जुड़े समुदाय भू-चिह्नित क्षेत्रों की पहचान के लिए नई पद्धतियां अपना रहे हैं।

चुनिंदा राज्यों के अनुभव को देखते हुए, अखिल भारतीय स्तर पर पानी की कमी झेल रहे क्षेत्रों के लिए नए कार्यक्रम तैयार करने का कार्य चल रहा है। भूजल के सतत या लगातार इस्तेमाल के लिए जल-जागरूक समुदायों का सशक्तीकरण, निर्णय लेने में लाभदायक भरोसेमंद जल डेटा और सहभागिता नियामक तंत्र, तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनकी मदद से जीवन, रोज़गार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा और हम जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी सामना कर सकेंगे। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र			
नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669

आगे बढ़ता स्वच्छता अभियान

अरुण बरोका

स्वच्छ भारत अभियान, लोगों के व्यवहार में बदलाव से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बन चुका है। इसने असंभव नजर आने वाले अभियान- खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य महज पांच साल में हासिल किया है। प्रधानमंत्री के बेहतर नेतृत्व और इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने की वजह से यह संभव हुआ है। जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े 130 करोड़ लोगों के योगदान की वजह से इस अभियान को बड़ी सफलता मिली है।

स्वच्छ भारत अभियान की वजह से ग्रामीण स्वच्छता के कवरेज का दायरा महज पांच साल में 100 प्रतिशत तक पहुंच गया। साल 2014 में यह आंकड़ा 38.7 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया। इस दौरान देशभर में 10.25 करोड़ से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया और सभी राज्यों और जिलों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर लिया। इस पूरी कवायद में सरकार ने 130 हजार करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया। शौचालय की जरूरत वाले हर परिवारों को शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये मुहैया कराए गए। यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), बीएमजीएफ, डालबर्ग और अन्य वैश्विक एजेंसियों का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हासिल की गई उपलब्धियों का देश के आर्थिक-शैक्षणिक माहौल, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि पर व्यापक असर हो सकता है। भारत ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के

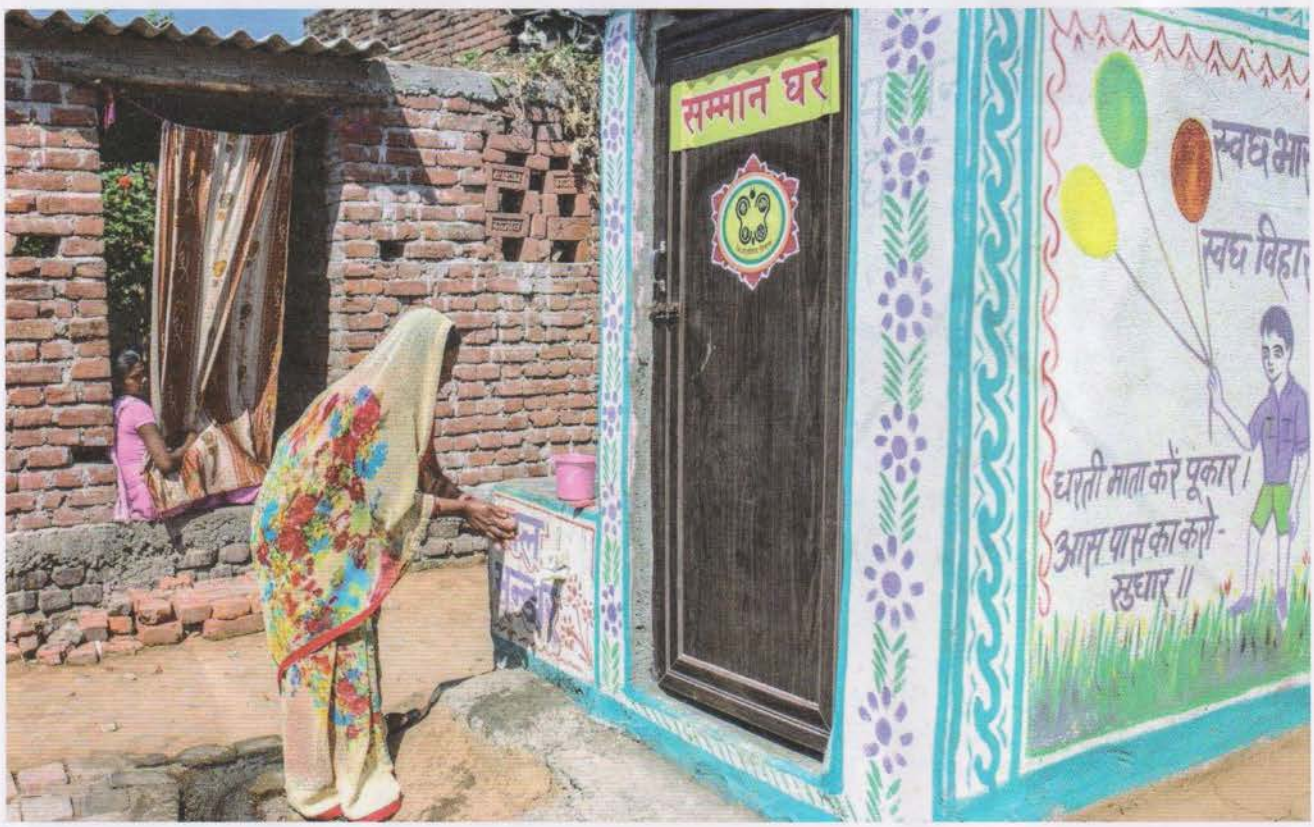

लेखक पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। ईमेल: arun.baroka@nic.in

2 अक्टूबर 2019: सच हुआ स्वच्छ भारत का सपना

55 करोड़ लोगों का व्यवहार बदला

10.28 करोड़ नए टॉयलेट बने

6,03,175 गांवों को तीसरे पक्ष से खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाणपत्र मिला

706 जिलों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया

36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया

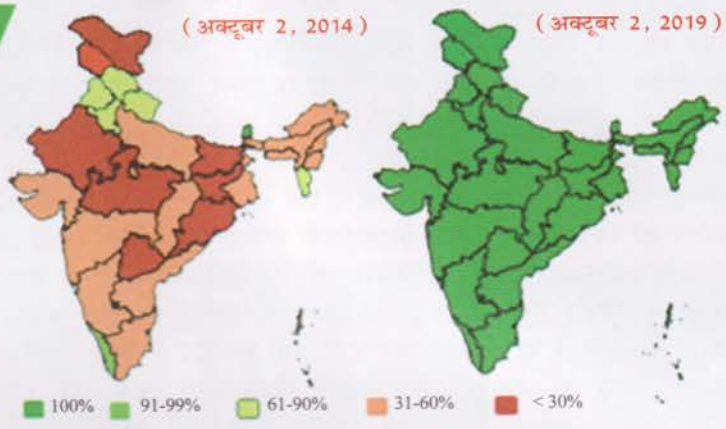

घोषित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजे) लक्ष्य को तय समय से 11 साल काफी पहले ही हासिल कर लिया। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी के लिए स्वच्छता हासिल करने के लक्ष्य के तहत साल 2030 का समय निर्धारित किया है।

इस अभियान की सफलता के चार प्रमुख पहलू हैं- राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारी और जन भागीदारी। चूंकि प्रधानमंत्री खुद इस अभियान की देखरेख कर रहे थे, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान सही मायनों में जनता का ऐसा व्यापक आंदोलन बन गया, जिसकी कल्पना काफी कम लोगों ने की थी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में कहा था, ''हालांकि, अब सवाल यह है कि हमने जो भी हासिल किया है, क्या वह पर्याप्त है? इसका जवाब काफी स्पष्ट है। फिलहाल हमने जो हासिल किया है, वह सिर्फ एक चरण है। स्वच्छ भारत की दिशा में हमारी यात्रा इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी।''

फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई। इसका कुल बजट 1,40, 881 करोड़ रुपये का है और इसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने पर फोकस किया जाएगा। इस बीच, साल 2020-21 के लिए 15वें वित्त कमीशन की रिपोर्ट भी जारी गई। इसमें भी स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए स्वच्छता संबंधी अनुदान (ग्रांट) मुहैया कराया गया है। स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के दूसरे चरण के लिए इस तरह से योजना तैयार की गई है कि यह वित्त पोषण के अलग-अलग माध्यमों और केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच संमिलन का नया मॉडल बन सके। पेयजल और स्वच्छता विभाग, अभियान के दूसरे चरण को 2020-21 से 2024-25 के बीच लागू करेगा। दूसरे चरण का यह अभियान, घरों में शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के निर्माण के साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (मसलन कंपोस्ट पिट, सोक पिट, बायो गैस संयंत्र आदि) को बढ़ावा देगा।

इस अभियान की सफलता के चार प्रमुख पहलू हैं- राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारी और जन भागीदारी। चूंकि प्रधानमंत्री खुद इस अभियान की देखरेख कर रहे थे, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान सही मायनों में जनता का ऐसा व्यापक आंदोलन बन गया, जिसकी कल्पना काफी कम लोगों ने की थी।

स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण: ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्ति) से ओडीएफ प्लस

स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का मकसद देश के गांवों को 'ओडीएफ प्लस गांव' बनाना है। इसका मतलब ऐसे गांव से है जहां खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति आगे भी कायम रहेगी और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पूरी तरह से साफ नजर आएगा। अभियान के दूसरे चरण में 'स्वच्छ दृश्य' को भी पारिभाषित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी गांव के कम से कम 80 प्रतिशत घरों और सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा और जमा हुआ पानी, कम से कम होना चाहिए। साथ ही, गांव में प्लास्टिक के कचरे का ढेर नहीं हो। किसी गांव को ओडीएफ प्लस बनाने में ये लक्ष्य भी मददगार हो सकते हैं: निजी शौचालयों का निर्माण, शौचालयों में जरूरत के हिसाब से बदलाव, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण, प्रकृति में आसानी से नष्ट हो जाने वाले कचरे का प्रबंधन,

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन और मलयुक्त गाद प्रबंधन।

अत:, ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए किसी गांव को ये बातें सुनिश्चित करनी होंगी: 1. सभी घरों में ऐसे शौचालय हों जिनका इस्तेमाल किया जा सके। 2. सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत घरों में इस्तेमाल किए जा सकने वाले लायक शौचालय हों। साथ ही, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हों। 3. सार्वजनिक जगहें साफ दिखें। 4. कम से कम 80 प्रतिशत घरों और सभी सार्वजनिक संस्थानों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो। 5. गांव में प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग रखने और उसे इकट्ठा करने की व्यवस्था हो। 6. खुल में शौच से मुक्ति की स्थिति बने रहने, साबुन से हाथ धोने, विभिन्न माध्यमों के जरिये प्रकृति में नष्ट हो जाने वाले कचरे जैसी थीम पर आधारित कम से कम पांच ओडीएफ प्लस आईईसी दीवार पेंटिंग गांव में मौजूद हो।

स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का मकसद देश के गांवों को 'ओडीएफ प्लस गांव' बनाना है। इसका मतलब ऐसे गांव से है जहां खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति आगे भी कायम रहेगी और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पूरी तरह से साफ नजर आएगा।

स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के लिए नियोजन

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता के लिए विकेन्द्रीकृत उपायों को बढ़ावा देता है। इसलिए, यह जरूरी है कि हर ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के तहत अपने गांव के लोगों के लिए एकीकृत तरीके से ग्राम कार्ययोजना तैयार करे और इसमें महिलाओं और अन्य वंचित लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। दरअसल, इसका मकसद यह है कि ग्राम कार्ययोजना के अमल का फायदा सभी लोगों को बराबर-बराबर मिल सके। इस योजना को ग्राम सभा में पेश कर सभी की अनुमति ली जानी चाहिए। जहां तक जिला स्तर की बात है, तो ग्राम कार्ययोजनाओं को इकट्ठा करने के बाद के बाद हर जिले को जिला स्वच्छता योजना तैयार करनी होगी। राज्य जल और स्वच्छता समिति की तरफ से हर साल तय की गई तारीख के मुताबिक, जिलों को हर साल योजना तैयार करनी होगी। साथ ही, राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे एमआईएस में अपलोड करना होगा। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को हर साल परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) और सालाना कार्यान्वयन योजना (एआईपी) तैयार करनी होगी, ताकि जिला स्वच्छता योजनाओं पर एकीकृत तरीके से काम कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसके बाद, राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एनएसएससी) पीआईपी और एआईपी को मंजूरी देती है। साथ ही, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को हर साल 1 मार्च तक इन योजनाओं को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर अपलोड करना होगा।

क्षमता निर्माण

स्वच्छाग्रही, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के असली सिपाही हैं। लोगों के व्यवहार में बदलाव और शौचालयों के निर्माण व इस्तेमाल को बढ़ावा देने में इनकी अहम भूमिका रही है। अभियान के दूसरे चरण में भी इन स्वयंसेवकों की भूमिका अहम है। ये स्वच्छाग्रही इन अभियानों के साथ लगातार जुड़कर क्षमता को और मजबूत बनाने और लोगों को प्रोत्साहित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

पंचायती राज संस्थानों की भूमिका

संविधान के 73वें संशोधन (1992) के मुताबिक, स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। लिहाजा, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) को लागू करने में ग्राम पंचायत की भूमिका अहम है। अभियान के दूसरे चरण में भी पंचायती राज संस्थानों की बड़ी और काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। खास तौर पर 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वच्छता गतिविधियों के लिए तय किए गए प्रावधानों के बाद यह भूमिका और अहम हो जाती है। ग्राम पंचायत के ढांचे में काम करने वाले सभी संस्थानों और समितियों को अपने कार्यक्रमों में स्वच्छता को प्राथमिकता देनी होगी। हर ग्राम पंचायत को हर वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम स्वच्छता योजना तैयार करनी होगी और इसे जीपीडीपी नियोजन के नियमों के मुताबिक तय सॉफ्टवेयर और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एमआईएस में फीड करना होगा। अगर हम पंचायती राज संस्थानों की अहम भूमिकाओं की बात करें, तो इनमें फंड हासिल करना (राज्य सरकारों के तय निर्देशों के आधार), सामुदायिक शौचालयों और एसएलडब्ल्यूएम आधारभूत संरचना के वित्त पोषण के लिए इन फंडों का योगदान लेना आदि प्रमुख हैं।

निगरानी और मूल्यांकन

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के दूसरे चरण की निगरानी और मूल्यांकन के काम की अगुवाई पेयजल और स्वच्छता विभाग कर रहा है। विभाग यह काम राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों के साथ मिलकर कर रहा है। इस निगरानी और मूल्यांकन के दो पहलू हैं: पहला ओडीएफ प्लस गांवों का दर्जा सुनिश्चित करना और दूसरा इस अभियान पर होने वाले खर्च और इसके लिए तैयार हुई संपत्तियों पर भी नजर रखना। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए पर्याप्त जागरुकता गतिविधियां चलाई गई या नहीं। साथ ही, गांव का खुले शौच से मुक्ति का दर्जा बरकरार है या नहीं, गांव स्वच्छ दिखता है या नहीं। निगरानी संबंधी गतिविधियों का मकसद अभियान के लिए बेहतर और असरदार नतीजे हासिल करना है। इसके तहत, कार्यक्रम की प्रगति के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन, एक तय अवधि पर समीक्षा, फील्ड दौरा, थीम को लेकर सलाह-मशवरा जैसी चीजें शामिल हैं। संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में गुणवत्ता और परिमाण के स्तर पर प्रगति की निगरानी की बात कही गई है।

आगे की राह

पेयजल और स्वच्छता विभाग ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन (धूसर जल और मलयुक्त गाद प्रबंधन) के साथ-साथ प्रकृति में आसानी से नष्ट होने वाले अपशिष्ट, पशुओं से संबंधित अपशिष्ट (गोबर) और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन की दिशा में काम शुरू किया है, जिसका मकसद अपशिष्ट को धन में बदलना है। इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में राज्य और जिला स्तर पर योजना तैयार कर इस पर अमल शुरू हो गया है। इस अभियान को लेकर सरपंचों की अगुवाई में गांवों में नए किस्म का उत्साह है। स्वच्छता अभियान रफ्तार पकड़ चुका है और उम्मीद है कि ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्ति) की सफलता की तरह ही 2025 तक ओडीएफ प्लस का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। ■

तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास और जल संरक्षण के लिए एकीकृत जल प्रबंधन

भरत लाल

''...जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद-बूंद पानी को रोकने का काम हो, समुद्री पानी को वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का विषय हो, किसानों के लिए *'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप', माइक्रो इर्रीगेशन* का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, पानी का महत्व समझें, हमारे शिक्षा कर्मों में भी बच्चों को भी बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। पानी संग्रह के लिए, पानी के स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में चार गुना से भी ज्यादा उस काम को करना होगा। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते...''

(15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन से उद्धृत)

भारत में वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत संसाधन है जबकि यहां मानव आबादी विश्व की 18 प्रतिशत और पशुधन 15 प्रतिशत है। इस दृष्टि से गुजरात की स्थिति काफी खराब है। इसका भौगोलिक क्षेत्र देश का 6.4 प्रतिशत, मानव आबादी 5 प्रतिशत और पशुधन 2 करोड़ से अधिक है, जबकि यहां मीठे पानी की उपलब्धता देश की कुल उपलब्धता का केवल 2 प्रतिशत ही है। यहां तक कि राज्य में पानी के वितरण में काफी असमानता भी है। राज्य में कुल उपलब्ध जल का 70 प्रतिशत केवल लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र को मिलता है (देखें तालिका-1)।

तालिका 1: असमान वितरण: गुजरात के विभिन्न हिस्सों में वर्षा और पानी की उपलब्धता:

क्षेत्र	क्षेत्र में हिस्सा	औसत वार्षिक वर्षा (मिमी में)	जल उपलब्धता में हिस्सा
दक्षिण और मध्य गुजरात	24.26 प्रतिशत	1,114	69 प्रतिशत
उत्तर गुजरात	19.63 प्रतिशत	694	11 प्रतिशत
सौराष्ट्र	32.82 प्रतिशत	659	17 प्रतिशत
कच्छ	23.29 प्रतिशत	402	3 प्रतिशत

गुजरात को भारत के डेयरी उद्योग की राजधानी माना जाता है। गुजरात के किसान और उनके परिवार उद्यमी और बहुत मेहनती हैं। पशुपालन ग्रामीण परिवारों की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। मवेशियों के लिए स्वच्छ पानी की पर्याप्त और सुनिश्चित उपलब्धता सुनिश्चित करना उत्पादकता के लिए आवश्यक है।

गुजरात में वार्षिक वर्षा काफी असमान - मध्य तथा दक्षिण गुजरात में 80-200 सेमी., उत्तर गुजरात तथा सौराष्ट्र में 40-80 सेमी.

चित्र 1 : गुजरात में बारिश का वितरण

लेखक अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन हैं। ईमेल: as.jjm@gov.in

चित्र 2 : वर्ष 2002 में गुजरात में पानी लेने के लिए एकत्रित

चित्र 3 : वर्ष 2002 में टैंकर से पानी भरते लोग

और कच्छ में 40 सेमी. से कम होती है। गुजरात में पानी का असमान वितरण एक अजीब स्थिति पैदा करता है, जिसमें राज्य के 1 चौथाई क्षेत्र में पर्याप्त पानी होता है जबकि तीन-चौथाई क्षेत्र में पानी की कमी है। विशेष रूप से कच्छ में पानी की बहुत कमी है, इसका क्षेत्र तो राज्य का 23.29 प्रतिशत है, लेकिन पानी की उपलब्धता केवल 3 प्रतिशत है।

एक अनुमान के अनुसार, 2011 में, राज्य में प्रति व्यक्ति पानी की वार्षिक उपलब्धता देश के 1,720 घन मीटर के मुकाबले केवल 920 घन मीटर थी। प्रति व्यक्ति पानी की न्यूनतम आवश्यकता कम से कम 1,000 घन मीटर वार्षिक होती है।

गुजरात में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6 प्रतिशत है, लेकिन यहां पानी की कमी वाला क्षेत्र देश का 12.36 प्रतिशत है। गुजरात के कुल क्षेत्रफल के लगभग 58.6 प्रतिशत क्षेत्र में शुष्क, अर्ध-शुष्क और लवणता की स्थिति के कारण पानी की कमी है। गंभीर रूप से पानी की कमी झेल रहे राजस्थान के बाद, यह देश का दूसरा राज्य है।

पश्चिमी भारत, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अजीबोगरीब मृदा-जलवायु परिस्थितियों के कारण नियमित रूप से पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहां टैंकरों और पानी की गाड़ियों से पेयजल आपूर्ति की जाती रही है। 1980 के दशक के मध्य में, लगातार तीन वर्ष सूखा पड़ने के कारण पानी की अत्यधिक कमी के परिणामस्वरूप फसलों की पैदावार और चारे की कमी के साथ-साथ पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए भी पानी की कमी हो गई।

एक बार फिर 1999-2002 के दौरान, गुजरात को गंभीर सूखे जैसे हालात और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। इस दौरान टैंकरों और रेलगाड़ियों के जरिए बड़े पैमाने पर पेयजल पहुंचाने सहित विभिन्न प्रयास किए गए थे। सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र और उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हर साल कुछ हजार टैंकरों की सेवाएं लेनी पड़ती थीं। हर साल, 6-8 महीनों के लिए, समूचा प्रशासन को पानी की कमी विशेष रूप से पेयजल की आपूर्ति के प्रबंधन में जुटा रहता था। 26 जनवरी, 2001 में आए भूकंप, जिसका मुख्य केंद्र कच्छ था, के कारण जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे सहित जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था, जिससे क्षेत्र में जल संकट और अधिक बढ़ गया।

अक्टूबर, 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में पानी की कमी को अतीत की बात बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। इसके मद्देनजर दृढ़ कई नीतिगत निर्णय लिए गए जिनसे राज्य में पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। मांग और आपूर्ति के प्रबंधन के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जल क्षेत्र को एकीकृत किया गया था।

बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और बेहतर जीवन की लोगों की आकांक्षाओं के कारण पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, जल सुरक्षा को प्राप्त करने के वास्ते निम्नलिखित व्यापक कार्यनीति अपनाई गई:

1. पानी से संबंधित सभी निर्णय लेने में, लोगों की भागीदारी गैर-समझौतावादी सिद्धांत बन गई। लोगों को सभी जल संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों में शामिल किया गया;

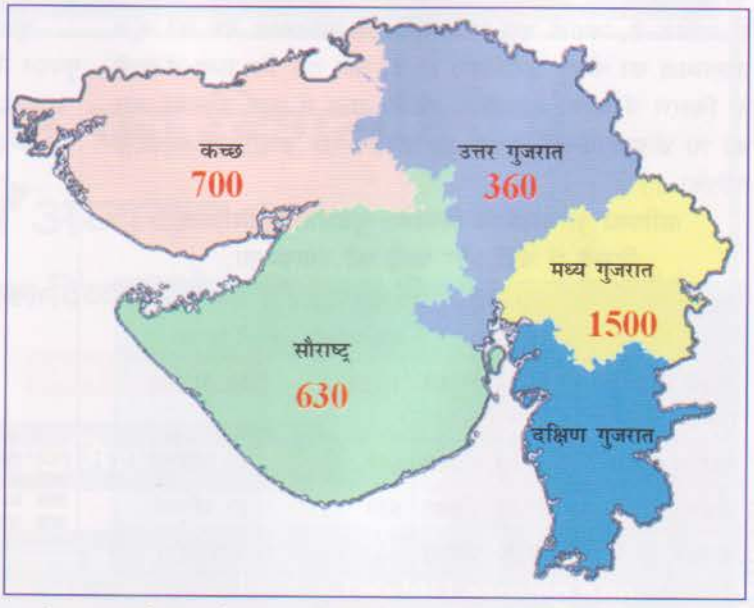

चित्र 4 : वर्ष 2011 में गुजरात में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घनमीटर में

चित्र 5 : वैस्मो द्वारा प्रायोजित सामुदायिक मीटिंग

चित्र 6 : ग्राम कार्य योजना (वैप) को अंतिम रूप देते हुए

2. उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए जल संभर सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक नियोजन और निगरानी के साथ वर्षा जल संचयन या कृत्रिम पुनर्भरण किया गया;
3. नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को पूरा किया गया और वितरण नहर नेटवर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई;
4. प्रचुर जल वाले दक्षिण तथा मध्य गुजरात से उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ तक पानी के अंतर घाटी अंतरण की योजना बनाई गई;
5. मौजूदा नहर प्रणाली को मजबूत करने, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन और माइक्रो सिंचाई को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया;
6. प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के लिए किसानों को शिक्षित करने के वास्ते कृषि विस्तार गतिविधियों को एक अभियान के रूप में शुरू किया गया था;
7. यह निर्णय लिया गया कि लोगों को अपने घरों में पीने का पानी मिलना चाहिए और इसके लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए तीन संगठनों के रूप में पेयजल आपूर्ति क्षेत्र को पुनर्गठित किया गया-
   क. अधिक मात्रा में जल अंतरण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए गुजरात वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
   ख. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के प्रबंधन के लिए गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड,
   ग. जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन - योजना बनाने, कार्यान्वित करने, प्रबंधन करने, संचालित करने तथा अपनी स्वयं की जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए स्थानीय गांव समुदाय को सशक्त बनाकर और सुविधाएं प्रदान कर गांवों में विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित, समुदाय-प्रबंधित जल आपूर्ति प्रणालियों के नियोजन के लिए फरवरी, 2002 में बनाया गया एक अनूठा संगठन है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ने व्यक्तिगत रूप से राज्य में जल संरक्षण अभियान का नेतृत्व किया और घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में की अवधारणा दी। किसानों को उनके खेत में और आसपास चेकडैम, तालाब आदि बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

सामुदायिक प्रेरण और उनके सहयोग के लिए जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन के तहत, गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की गई थी। परिणामस्वरूप, बड़े पैमाने पर जल संसाधनों को मजबूत करने और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन के साथ-साथ जल आपूर्ति कार्य को एक अभियान के रूप में शुरू किया गया। गैर सरकारी संगठनों

चित्र 7 : पानी समिति द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया

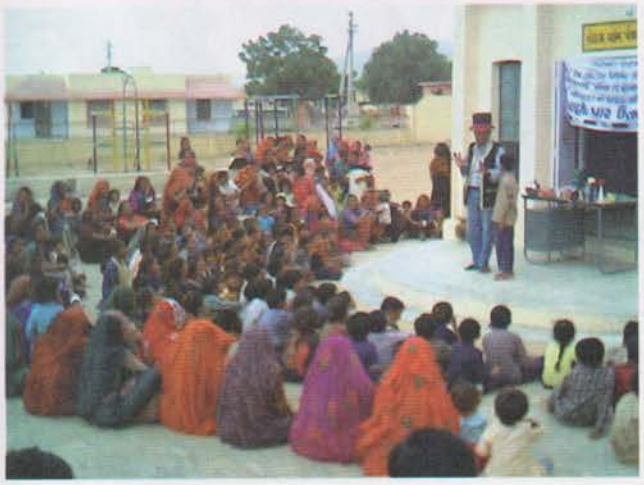

चित्र 8 : सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम

पहले

बाद में

चित्र 9 : राणेज गांव, बनासकांठा में जल संरक्षण कार्यों की भंडारण क्षमता 5 लाख क्यूबिक फीट बढ़ाई गई

की मदद से, सभी गांवों ने पेयजल सुरक्षा हासिल करने के लिए अपने गांव की कार्ययोजना तैयार करना शुरू कर दिया।

प्रत्येक गांव में पांच व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के तहत एक विशेष प्रस्ताव जारी किया। जिसमें ग्राम पंचायत की उप-समिति के रूप में पानी समिति के नाम से मशहूर ग्राम जल और स्वच्छता समिति बनाने का प्रावधान किया गया। इस समिति में 10-15 सदस्य होते हैं जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि, उनकी आबादी के अनुपात में होते हैं।

ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति, गांवों में पेयजल स्रोत प्रबंधन, पीने के पानी की आपूर्ति, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन और संचालन तथा रखरखाव का आधार बन गई। इसके कारण स्थानीय समुदाय के साथ गांव-स्तर पर जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व का विकास हुआ। वर्षा जल संचयन और जलदायी स्तर के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया, ताकि स्थानीय जल स्रोत पूरे वर्ष भर बने रहें।

ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति ने हर घर से जल वितरण शुल्क एकत्र करने का निर्णय लिया, ताकि जल आपूर्ति प्रणालियों का संचालन और रखरखाव ठीक से हो सके। विशेष रूप से सूखाग्रस्त उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते, नर्मदा के पानी को नहर नेटवर्क की एक शृंखला के माध्यम से इन क्षेत्रों में ले जाया गया। नर्मदा से बाढ़ के पानी को उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरित करने का एक अनूठा तरीका अपनाया गया जिसमें नर्मदा मुख्य नहर के समानांतर, उत्तरी तरफ 332 कि.मी. लंबी सुजलाम सुफलाम नहर का निर्माण किया गया था। इससे भूजल पुनर्भरण में मदद मिली।

जल संरक्षण अभियान के हिस्से के रूप में, लगभग 1.85 लाख चेकडैम, 3.22 लाख खेत तालाब और बड़ी संख्या में बोरिबंध का

चित्र 10 : पशुओं के लिए पर्याप्त सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने वाले मवेशी नांद

चित्र 11 : गुजरात पेयजल आपूर्ति ग्रिड

निर्माण खेतों में पानी देने के लिए किया गया था। राज्य में लगभग 31,500 तालाबों को गाद रहित और गहरा किया गया, 1,000 से अधिक बावड़ियों को साफ किया गया और पुनर्जीवित कर उपयोग में लाया गया।

इन सभी प्रयासों के बावजूद, पानी की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से सूखे के वर्षों में एक चुनौती थी। पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक राज्यव्यापी पेयजल आपूर्ति ग्रिड की योजना बनाई गई थी। इस परियोजना के तहत बड़ी मात्रा में जल अंतरण के लिए 2,900 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, 270 जल उपचार संयंत्र, 350 बड़े पंपिंग स्टेशन, 1,073 एलिवेटेड भंडारण जलाशय और 1,883 भूजल भंडारण संरचनाएं बनाई गई हैं। यह ग्रिड 5 नगर निगमों और 106 नगर निकायों सहित 207 यूएलबी और लगभग 14,000 गांवों को पेय जल उपलब्ध करा रहा है।

पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से लवणता वाले भूजल क्षेत्रों में, विलवणीकरण संयंत्र लगाए जा रहे हैं और अब तक, राज्य के तटीय क्षेत्रों में 270 एमएलडी पानी का उत्पादन करने वाले 4 ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं।

पानी के इस्तेमाल की आदतों में बदलाव, जल संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो सिंचाई को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। 2005 में, गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में जल के कम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तब से, 12.28 लाख किसानों ने कुल लागत के 70 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ उठाया है और इन माइक्रो सिंचाई प्रणालियों के तहत 19.67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया गया है।

गुजरात को जल सुरक्षा राज्य बनाने के लिए, 2018 में सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत तालाबों, नहरों, टैंकों, चेकडैम और जलाशयों की सफाई तथा गहरीकरण, जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत, वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण सहित जल संरक्षण संबंधी कई कार्य किए गए। 41,000 से अधिक जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण के अलावा, 16,588 तालाबों को गहरा किया गया और 8,100 चेकडैम से गाद हटाया गया। इससे 420 करोड़ क्यूबिक फीट अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता उपलब्ध हुई।

सूखाग्रस्त सौराष्ट्र क्षेत्र में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना शुरू की गई जिसके पूरा होने पर, मानसून के दौरान, नर्मदा के अधिशेष जल को अंतरित किया जाएगा और सौराष्ट्र के लगभग 115 जलाशयों में संग्रहीत किया जाएगा। इस काम से सौराष्ट्र में 8.25 लाख एकड़ क्षेत्र को फायदा होगा। यह योजना पूरा होने के अग्रिम चरण में है।

जनजातियों द्वारा बसाए गए दक्षिणी और पूर्वी गुजरात में, लघु लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। इससे जनजातीय समुदायों से संबंधित लगभग 3.50 लाख एकड़ कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई मिलती है, जिससे उनकी आय में सुधार होता है।

इस एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण ने गुजरात को 70.80 लाख हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता से 68.88 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करने में मदद की। राज्य में कुल सिंचाई योग्य क्षेत्र 2001 में 38.77 लाख हेक्टेयर से 77 प्रतिशत तक बढ़कर 68.68 लाख हेक्टेयर हो गया। उपयोग योग्य भूजल पुनर्भरण में 2002 की तुलना में, 2017 तक 50 प्रतिशत यानी लगभग 700

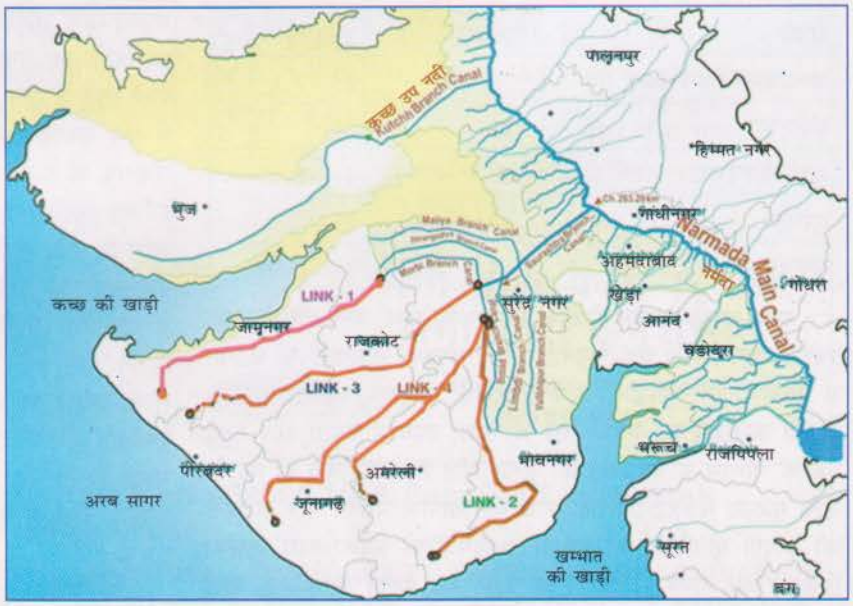

चित्र 12 : सॉनी योजना

चित्र 13 : घर पर नल से पानी भरती महिला

एमसीएम/वर्ष की वृद्धि हुई। पूरे राज्य में भूजल तालिका में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में 20 प्रतिशत यानी 19.48 लाख से अधिक, बुवाई क्षेत्र माइक्रो सिंचाई के तहत आने से 12.28 लाख किसानों को लाभ हो रहा है। राज्य में यूएलबी के 647 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाता है जो कुल ताजे पानी का लगभग 17 प्रतिशत है। 2001 के बाद से, राज्य में कृषि उत्पादन में 255 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 2: 2002 और 2017 में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूजल विकास का स्तर

(संख्या, मूल्यांकन इकाइयों को इंगित करती है)

श्रेणी	2002	2017
अत्यधिक दोहन किए गए	30	25
संकटमय	12	05
अर्द्ध संकटमय	63	11
सुरक्षित	104	194
लवणीय	14	13

राज्य-व्यापी पेयजल ग्रिड के निर्माण के साथ, जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन तथा बड़े पैमाने पर जल संरक्षण अभियानों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत संवर्द्धन, मांग-संचालित, समुदाय-प्रबंधित पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को बढ़ावा देने के साथ, राज्य में टैंकरों और रेलवे रेक के माध्यम से पेय जल की ढुलाई बीते दिनों की बात हो गई है। आज गुजरात में, 82 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दर्शन का पालन करते हुए, कुल 18,191 गांवों में से 8,214 में , हर घर नल जल की आपूर्ति हो रही है और यह सुनिश्चित किया जा जा रहा है कि एक भी घर पानी से वंचित न रहे। ग्राम जल और स्वच्छता समितियां/पानी समितियां गांव में पानी की आपूर्ति का प्रबंधन कर रही हैं और 76 प्रतिशत से अधिक परिवार मासिक जल सेवा शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।

ग्राम जल और स्वच्छता समिति को 2018 में प्रधानमंत्री सिविल सेवा पुरस्कार, 2009 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार और 2010 में सीएपीएएम अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले हैं।

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि के अच्छे नतीजे सामने आए हैं और आज गुजरात में पानी की कमी केवल पुरानी पीढ़ी की याद में है। गुणवत्ता और मात्रा के मामले में पर्याप्त पानी सुनिश्चित करके, गुजरात दोहरे अंकों की वृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसके अलावा, अब महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं। गुजरात में इस एकीकृत दृष्टिकोण की सफलता ने 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के गठन को प्रेरित किया। इसने सभी के लिए जल सुरक्षा हासिल करने और इसके संरक्षण के लिए सरकार को जल शक्ति अभियान शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया। 15 अगस्त 2019 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल आपूर्ति के लिए राज्यों के साथ भागीदारी से जल जीवन मिशन लागू करने की घोषणा की। यदि सूखाग्रस्त गुजरात में जल सुरक्षा हासिल की जा सकती है तो केंद्र सरकार द्वारा अपनाए जा रहे एकीकृत और केंद्रित दृष्टिकोण से देश में जल सुरक्षा प्राप्त करना भी संभव है। निस्संदेह इससे तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास तथा उच्च आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। ■

संदर्भ

1. डीओडब्ल्यूआर, आरडी एण्ड जीआर. भविष्य का मूल्यांकन जनसंख्या अनुमान पर आधारित है।

जल तक पहुंच, शिक्षा और अवसरों का खज़ाना

डॉ यास्मीन अली हक़

भारत सरकार और राज्य सरकारों के सुनियोजित प्रयासों के कारण जल जीवन मिशन के तहत 3.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पानी देने के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। परिणामस्वरूप, देश के 6.95 करोड़ (36.3 प्रतिशत) ग्रामीण घरों तक पेयजल की पहुंच सुनिश्चित हुई है। इससे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य की रफ्तार और स्तर तथा सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

देश भर में सरकारी अधिकारी, अध्यापक वर्ग और अभिभावक विमर्श कर रहे हैं कि कैसे स्कूलों को पुन: खोलकर उन्हें कोविड-19 की पहुंच से दूर रखा जाए। इस संबंध में बच्चों को स्कूलों में मास्क पहनने की नई पहल के साथ सामंजस्य बैठाना होगा और पानी और साबुन से लगातार हाथ धोना भी जरूरी होगा, जिसका अभ्यास गत वर्ष भी बेहद जरूरी रहा।

इस संबंध में शौचालयों में जल की निरंतर व्यवस्था से न केवल बच्चों की स्वच्छता सुनिश्चित होगी बल्कि रजोधर्म के दिनों में किशोर कन्याओं और अध्यापिकाओं को भी स्कूलों से दूर न रहने की प्रेरणा मिलेगी।

दरअसल, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह शिक्षा एवं सामाजीकरण के महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। आखिर, यही वह क्षेत्र हैं जहां बच्चे सकारात्मक और स्वस्थ आचार-व्यवहार सीखते हैं जबकि माताओं को यहां देखभाल और अभिभावकत्व से जुड़ी योग्यता के गुर सीखने को मिलते हैं। इसलिए, उक्त सुविधाओं के अभाव में स्वच्छता और आरोग्यता से जुड़ी बुनियादी आदतों को नहीं सिखाया जा सकता। और कहना ना होगा कि सफाई कर्मियों को संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण उपायों को अमल में लाना बेहद जरूरी होता है।

भारत में कोविड-19 महामारी के आगमन से पहले, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र पानी की लगातार सप्लाई की कमी झेल रहे थे। इनमें भी, पिछड़े समुदायों और क्षेत्रों की हालत अधिक खराब थी। 2019 में लोक सभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 160,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी की कमी थी और दूर-दराज के समुदायों में भी भारी किल्लत थी। पानी और स्वच्छता की कीमत के संबंध में जल प्राप्ति और स्वच्छता पर किए जाने वाले प्रत्येक डॉलर निवेश के बदले, स्वास्थ्य और उत्पादन मूल्य से औसतन 6.80 डॉलर का लाभ प्राप्त होता है। कुछ अन्य अध्ययनों के अनुसार, पानी तक पहुंच के कारण विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं की स्कूली अनुपस्थिति में भी कमी देखी गई है।

2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को पाइप के जरिए पानी की सप्लाई मुहैया कराने का है। इसके अलावा, जल के सतत इस्तेमाल में निवेश की उम्मीद के साथ-साथ महिलाओं एवं बालिकाओं का समय बचाने का भी लक्ष्य इससे जुड़ा है जिन्हें पानी के लिए घरों से दूर जाना पड़ता है।

भारत सरकार और राज्य सरकारों के सुनियोजित प्रयासों के कारण जलजीवन मिशन के तहत 3.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पानी देने के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। परिणामस्वरूप, देश के 6.95 करोड़ (36.3 प्रतिशत) ग्रामीण घरों तक

लेखिका भारत के लिए यूनिसेफ की प्रतिनिधि हैं। ईमेल: yhaque@unicef.org

पेयजल की पहुंच सुनिश्चित हुई है। इससे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य की रफ्तार और स्तर तथा सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

महामारी के कारण बंद होने पर स्कूलों और आंगनवाड़ियों तक पानी न पहुंचने के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दूर-दराज तथा अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के स्कूलों और आंगनवाड़ियों तक पाइप के जरिए पानी सप्लाई को प्राथमिकता देने का अधिकार दिया गया।

प्रधानमंत्री सहित सरकार के उच्चतम स्तर के नेतृत्व और प्रतिबद्धता के कारण ही इस अभियान को व्यापक सफलता प्राप्त हुई। अभियान की आधार-रेखा के मुताबिक, छह राज्यों ने 100 प्रतिशत स्कूलों को और अन्य पांच राज्यों ने अपने यहां 90 प्रतिशत स्कूलों को सुविधा उपलब्ध कराई। इसका अधिकांश श्रेय योजना की सम्मिलित और समावेशी प्रकृति को जाता है, जिसने इसे आगे बढ़ाया। अनेक सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों ने एकजुट होकर कर्मियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ ऐसे संस्थानों को चिह्नित किया जिनकी जरूरत सबसे अधिक थी।

अभियान के अंतर्गत महिलाओं को केवल लाभान्वित ही नहीं बल्कि समस्या निवारक, स्वयंसेवी समूहों की कार्यकर्ता, अध्यापक और आंगनवाड़ी कर्मी के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने समुदायों को पाइप से पानी की सप्लाई से जुड़े सूचना प्रसार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई। वहीं स्कूल प्रबंधक समितियां और बच्चे पानी की सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले वाहक साबित हुए।

अभियान के अंतर्गत महिलाओं को केवल लाभान्वित ही नहीं बल्कि समस्या निवारक, स्वयंसेवी समूहों की कार्यकर्ता, अध्यापक और आंगनवाड़ी कर्मी के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने अपने समुदायों को पाइप जल सप्लाई से जुड़े सूचना प्रसार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई। वहीं स्कूल प्रबंधक समितियां और बच्चे पानी की सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले वाहक साबित हुए।

इस अभियान में यूनिसेफ दोनों केंद्र एवं राज्य सरकारों का सहभागी रहा और सभी के लिए पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने के लक्ष्य प्राप्ति में साथी रहा है। इस कार्य से भारत सतत विकास लक्ष्य-6 प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ा है और वहीं बेहतर स्रोत प्रबंधन और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान के सहारे अन्य लक्ष्य प्राप्ति पर भी कार्य चल रहा है। अभियान को अमल में लाने के लिए, इसके आरंभिक चरण में सीमित गतिशीलता के समय स्कूलों और आंगनवाड़ियों में जल सप्लाई डेटा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके लिए, यूनिसेफ ने ग्रामीण जल वितरण विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख एवं प्रधान सचिवों से इस संबंध में अमलीकरण की प्राथमिकता तय करने को कहा। यूनिसेफ ने विभिन्न लाइन विभागों के बीच डेटा शेयर कर राज्यों को सहयोग दिया, जल सप्लाई स्रोतों के आधार

भारत । स्कूलों/आंगनवाड़ियों/ग्रामपंचायतों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि में नल से पानी की आपूर्ति

नल से पानी की सप्लाई वाले स्कूल	नल से पानी की सप्लाई वाले आंगनवाड़ी केंद्र	नल से पानी की सप्लाई वाली ग्राम पंचायत/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
5,45,442	4,88,881	1,15,357

पर स्कूलों और आंगनवाड़ियों को पाटने की योजनाएं विकसित कीं, साथ ही इसमें सौर-ऊर्जा जैसी संधारणीय तकनीकों की मदद से पानी को ऊपरी टैंकों तक पहुंचाने में राज्यों की मदद करना जिससे क्षेत्र-विशेष के प्रगति कार्य को बल मिले और प्रगति पर सतत निगाह रखने जैसे कार्य शामिल थे।

राजनीतिक पहल, लोक वित्त, विभिन्न साझीदारों से सहयोग और आमजन की सहभागिता के दम पर सरकार ने व्यापक परिवर्तन के लिए सफलता का मंत्र प्राप्त किया है। देश भर में 20 लाख आंगनवाड़ी कर्मियों और 52 लाख शिक्षकों के इस अभियान से जुड़ने के साथ, हमारे बच्चों के सामने सीखने के लिए अनंत विस्तार बिखरा है।

लिहाजा, जल जीवन मिशन केवल पेयजल उपलब्धता प्रदान करने वाला ही नहीं, बल्कि कार्यस्थल और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने वाला अभियान है, जिसके आधार पर उन्हें उनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए अधिक समय मिलता है। अभियान के आधार पर किशोर बालिकाओं को शिक्षा के साथ-साथ रजोधर्म स्वच्छता प्रबंधन में भी मदद मिलती है। इसके आधार पर हमारे सभी कार्यों में स्वच्छता और आरोग्यता को बढ़ावा और बच्चों को घर और बाहर सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है।

लाखों लोगों और विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में जल की सहभागिता को बढ़ाकर, उन्हें लगातार स्कूल भेजना, अध्यापिकाओं की कम अनुपस्थिति सुनिश्चित करना और उन्हें नए आरोग्य अभ्यास सिखाकर बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। यदि हम भारत को अधिकाधिक शक्ति संपन्न बनते हुए देखना चाहते हैं तो पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता देनी होगी। ■

सुरक्षित, पर्याप्त और स्थायी पेयजल

डॉ रोडेरिको एच ऑफरीन

हमें ग्रामीण आबादी को सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही इसकी स्थिरता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। पानी को केवल एक इंजीनियरिंग का मुद्दा ही नहीं बल्कि इसे स्वास्थ्य का मुद्दा बनाने के लिए पुनर्विचार और फिर से रणनीति बनाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि जल प्रणालियों का प्रबंधन करने और प्रतिक्रियात्मक कार्यों से दूर रहने के लिए सक्रिय तरीके सामने आ सके।

1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा-अता घोषणा ने 2000 तक 'हेल्थ फॉर ऑल' लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुरक्षित पानी और बुनियादी स्वच्छता की उपलब्धता की पहचान की थी। यद्यपि कई देश ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 के तहत तय उद्देश्यों के बावजूद भी पानी, स्वच्छता जैसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर अभी भी प्रभावी रहे हैं। लक्ष्य 6.1 का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और सस्ते पीने के पानी के लिए न्यायसंगत, सार्वभौमिक और समान रूप से व्यवस्था करना है। प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण, देशों ने स्वास्थ्य संबंधित सतत विकास लक्ष्य के तहत पानी के स्वास्थ्य पर असर के लिए दो लक्ष्य रखे हैं, अर्थात् प्रथम 2030 (3.3) से जल-जनित रोगों से निपटने के लिए; और दूसरा जल प्रदूषण और प्रदूषण (3.9) से मौतों और बीमारियों की संख्या को काफी हद तक कम करना है।

जल जीवनदायी है, फिर भी यह रोगजनकों और विषैले रसायनों का वाहक है, जिसका सेवन करने से बीमारियां और मौतें होती हैं। डायरिया रोग, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए तथा ई जैसे जल जनित रोग हैं। पानी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक है जिसमें हाथ की सफाई आदि का ध्यान रखा जाता है जो श्वसन रोगों और ट्रेकोमा के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें भारत में समाप्त किया जाना बाकी है। कोविड-19 महामारी ने पानी के लक्ष्यों में तेजी लाने की आवश्यकता को उजागर किया है। सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने से इस महामारी के निवारण में एक प्रमुख उपचार के साधन के रूप में स्वीकृत हुआ है। कई रोग वाहक जो लसीका फाइलेरिया, डेंगू, मलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस, आदि जैसे रोगों को जल निकायों में प्रजनन करते हैं। लिम्फेडेमा रोगियों (लसीका फाइलेरिया) के लिए रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता की रोकथाम के लिए पानी आवश्यक है। भारत में आठ अत्यधिक प्रभावित राज्यों में लगभग 396,000 लिम्फेडेमा रोगी हैं, जिन्हें अपने प्रभावित पैरों को साफ रखने और आगे उसे निरोधित करने लिए घर में पानी की आवश्यकता होती है। आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में, पीने का पानी लोगों को इन रसायनों के संपर्क में ला सकता है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से आर्सेनिकोसिस और फ्लोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा, सुरक्षित पेयजल का बच्चों की पोषण स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह घरेलू आर्थिक नुकसान को रोकता है और देश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

लेखक विश्व स्वास्थ्य संगठन के कंट्री डायरेक्टर हैं। ईमेल: wrindia@who.int

पानी की गुणवत्ता के मापदंड

क्र.	विशेषता	इकाई	आवश्यकता	वैकल्पित स्रोत के अभाव में अनुकेय सीमा
1.	पीएच वैल्यू	मिलीग्राम/लीटर	6.5–8.5	कोई ढील नहीं
2.	पूर्णत: घुलनशील ठोस	एनटीयू	500	2,000
3.	गंदगी	मिलीग्राम/लीटर	1	5
4.	क्लोराइड	मिलीग्राम/लीटर	250	1,000
5.	कुल क्षारीयता	मिलीग्राम/लीटर	200	600
6.	जल की कुल कठोरता	मिलीग्राम/लीटर	200	600
7.	सल्फेट	मिलीग्राम/लीटर	200	400
8.	आयरन	मिलीग्राम/लीटर	1.0	कोई ढील नहीं
9.	कुल आर्सेनिक	मिलीग्राम/लीटर	0.01	कोई ढील नहीं
10.	फ्लोराइड	मिलीग्राम/लीटर	1.0	1.5
11.	नाइट्रेट	मिलीग्राम/लीटर	45	कोई ढील नहीं
12.	कुल कोलीफार्म बैक्टीरिया	किसी भी 100 मि.ली. नमूने में पता नहीं लगाया जा सकता		
13.	ईकोलि या थर्मोटॉलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया	किसी भी 100 मि.ली. नमूने में पता नहीं लगाया जा सकता		

पीने के पानी में भारत की उपलब्धि

भारत सरकार ने अपने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में जबरदस्त प्रगति की है। 2019 तक, आबादी के 93 प्रतिशत[1] से अधिक लोगों को बुनियादी पीने के पानी को पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। स्वच्छ भारत अभियान के सफल कार्यान्वयन के बाद, सरकार ने अपने जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में SDG से छह साल आगे हर घर को सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए जो एक नया मिशन शुरू किया है, जो अति सराहनीय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 जो केवल सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता को एक क्रॉस-सेक्टोरल लक्ष्य के रूप में ही पहचानी नहीं जाती है अपितु पानी और स्वच्छता से संबंधित बीमारियों को खत्म करने की आवश्यकताओं पर भी बल देती है।[2]

ऐसा अनुमान है कि 15 अगस्त, 2019 को अपनी शुरुआत के बाद से जल जीवन मिशन के तहत 37 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है। ग्रामीण स्तर पर पानी की आपूर्ति की प्रगति की निगरानी के लिए एक वास्तविक समय (रीयल टाइम) डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो आज भी सक्रिय है।[3] इस सक्रियता का वातावरण और नई प्रतिबद्धता एक सुदूर गांव में अंतिम घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए एक नये परिवर्तन की क्षमताएं विकसित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की प्रतिबद्धताओं के कारण समाज के कमजोर तबके को पानी से संबंधित बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी और साथ ही पानी संग्रह करके रखने के अथाह परिश्रम से भी मुक्ति मिलेगी, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को करना पड़ता है। लड़कियों के पास पढ़ाई के लिए अधिक समय बच सकेगा और महिलाओं के पास उनके बच्चों की देखभाल तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी अधिक समय मिल सकेगा।

ऐसा अनुमान है कि 15 अगस्त, 2019 को अपनी शुरुआत के बाद से जल जीवन मिशन 37 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है, जो कि लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण घरों में है। मिशन ने 0.5 मिलियन ग्रामीण स्कूलों और 0.45 मिलियन शुरुआती बाल विकास केंद्रों को सुरक्षित पानी प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ग्रामीण स्तर पर पानी की आपूर्ति की प्रगति की निगरानी के लिए वास्तविक समय (रीयल टाइम) का डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो आज भी सक्रिय है।

हमें ग्रामीण आबादी को सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही इसकी स्थिरता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। पानी को केवल एक इंजीनियरिंग का मुद्दा ही नहीं बल्कि इसे स्वास्थ्य का मुद्दा बनाने के लिए पुनर्विचार और फिर से रणनीति बनाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि जल प्रणालियों का प्रबंधन करने और प्रतिक्रियात्मक कार्यों से दूर रहने के लिए सक्रिय तरीके सामने आ सके। जिसके लिए हम निम्नलिखित का प्रस्ताव करते हैं:

अभिसरण: स्वास्थ्य और जल

गांवों/प्रखंडों में पानी की योजनाओं को प्राथमिकता दें, जहां पानी से संबंधित बीमारी की घटनाएं (डायरियल, मिट्टी से संक्रमित

हेल्मिन्थ्स, लसीका फाइलेरिया, काला अजार आदि) अधिक है। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ काम करने की आवश्यकता होगी ताकि आम स्वास्थ्य-आधारित लक्ष्यों की पहचान की जा सके और संयुक्त रूप से सहमत लक्ष्य क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन योजना विकसित की जा सके। इसे मूलभूत रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं को विकसित करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

प्राथमिकताएं इस प्रकार से हो जो कि प्रगतिशील भी हो तथा साथ ही डेटा निगरानी और जल उपयोग या सेवा स्तरों के क्षेत्र निगरानी का मूल्यांकन डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के संयुक्त मोनिटरिंग कार्यक्रमों के तहत जल आपूर्ति, स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्य 6.1 जिसमें "सुरक्षित रूप से प्रबंधित" अथवा जल सेवाओं के तत्व जैसे गुणवत्ता, पहुंच और उपलब्धता भी सम्मिलित हो, उसे सुनिश्चित कर सकें। ऐसा करने के लिए, निगरानी क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।

जल सुरक्षा योजना के सिद्धांत के साथ एक व्यवस्थित जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण पेश करके जल योजनाओं के वर्तमान संचालन और प्रबंधन को मजबूत करें, जो कि पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए डब्ल्यूएचओ के अनुसार दिशानिर्देशों की केंद्रीय सिफारिश है। यह दृष्टिकोण पानी की मात्रा और गुणवत्ता के लिए जोखिम की पहचान करेगा, ताकि जब वे सामने आए तो समस्याओं को ठीक करने की पारंपरिक प्रणाली के विपरीत सुधारात्मक कार्रवाई

सुरक्षित पानी बीमारियों को रोकने और पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पानी और स्वास्थ्य के बीच का संबंध स्पष्ट है। हालांकि, हम आम तौर पर अलगाव में काम करते हैं। इसलिए, जल जीवन मिशन से अधिकतम स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य के साथ जुड़कर काम करने के तरीके को बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

को सक्षम किया जा सके। इसमें समुदाय और स्थानीय सरकार की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मास्टर प्रशिक्षकों का विकास इस दिशा में पहला कदम होगा।

पीने के पानी के गुणवत्ता की निगरानी एक ऐसी स्वतंत्र संस्था द्वारा विकसित की जानी चाहिए जो पानी की सेवाओं के प्रावधानों से प्रभावित हो। यह सत्यापन के रूप में कार्य करेगा कि जल प्रणालियां सुरक्षित पानी की आपूर्ति कर रही हैं। प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पानी की गुणवत्ता या पीएचईडी द्वारा पानी की गुणवत्ता की परिचालन निगरानी की जा सकती है। जल गुणवत्ता और उपलब्धता पर प्रमुख मापदंडों को शामिल करने के लिए वर्तमान डैशबोर्ड का विस्तार करने से जल जीवन मिशन की समग्र उपलब्धि को समझने में मदद मिलेगी।

पानी की गुणवत्ता निगरानी प्रणाली एक विशेष क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता के रुझान पर डेटा विश्लेषण के लिए काम करेगी; इसे पानी से संबंधित बीमारियों के विश्लेषण और नीतिगत कार्रवाई करने के लिए सबूत का उपयोग करने के लिए रोग निगरानी प्रणाली से भी जोड़ा जा सकता है।

सुरक्षित पानी बीमारियों को रोकने और पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पानी और स्वास्थ्य के बीच का संबंध स्पष्ट है। हालांकि, हम आम तौर पर अलगाव में काम करते हैं। इसलिए, जल जीवन मिशन से अधिकतम स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य के साथ जुड़कर काम करने के तरीके को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। जल क्षेत्र का लक्ष्य जल प्रणालियों और नलों का निर्माण करना होगा, लेकिन यदि नल सुरक्षित पानी नहीं देते और खास तौर पर तब पानी नहीं देते जब जरूरत हो तो योजनाओं का संपूर्ण महत्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः पेयजल की सुरक्षा, उपलब्धता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समुदाय और स्थानीय सरकार की भागीदारी के साथ पानी के लिए स्वास्थ्य आधारित लक्ष्य रखने और सक्रिय और निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दो स्तंभों के साथ सरकार का आयुष्मान भारत कार्यक्रम 500 मिलियन गरीब और कमजोर आबादी तक पहुंचता है और 150,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना करता है, स्वच्छ भारत 2.0, आत्मनिर्भर भारत पर नया अभियान और जल जीवन मिशन भारत में पहल कर रहा है स्वास्थ्य और पानी के लिए सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह एक लाभप्रद स्थिति में डालता है। ■

संदर्भ

1. डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की संयुक्त निगरानी रिपोर्ट, 2019 – घरेलू पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता पर प्रगति। 2000–2017
2. 2017 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
3. https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

सुनिश्चित जलापूर्ति के लिए तकनीकी नवाचार

प्रदीप सिंह
सिद्धांत मस्सन

क्रियान्वयन के दौरान पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के धन की विवेकपूर्ण व्यय की आवश्यकता है जबकि इसकी गति और पैमाना को ग्रामीण स्तर पर 'निगरानी डैशबोर्ड' के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रत्येक योजना की जानकारी को जल जीवन मिशन - एकीकृत प्रबंध प्रणाली (सेंट्रल जेजेएम इंटिगरेटेड मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम) में संग्रहित किया जा रहा है, जिसमें लागत का विवरण, आधारभूत संरचना तथा गांव के प्रत्येक घर के जल-स्रोतों का विवरण दिया जा रहा है।

साफ पीने योग्य पानी एक बुनियादी आवश्यकता है। किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए यह मूलभूत आवश्यकता है। नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 76वें चरण की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 87.6 प्रतिशत घरों में, शहरी क्षेत्रों के करीब 90.9 प्रतिशत घरों में तथा कुल मिलाकर लगभग 88.7 प्रतिशत घरों में प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से साल भर पीने योग्य पानी आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 95.5 प्रतिशत परिवारों ने पेय जल के उन्नत स्रोतों का प्रयोग किया है।

इसी समय में वर्ष 2001 और 2011 में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक औसत उपलब्धता क्रमशः 1,816 घन मीटर और 1,545 घन मीटर आंका गया था, जो कि वर्ष 2021 और 2031 में घटकर क्रमशः 1,486 घन मीटर और 1,367 घन मीटर रह जा जाएगा। इस प्रकार अब वो समय आ गया है जब हमें जल को पीने के लिए संरक्षित करके रखना चाहिये नहीं तो आगे चलकर पेय जल का संरक्षण हमें मजबूरी में करना ही पड़ेगा। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि पीने का पानी हमारे समाज के स्वास्थ्य और इसके विकास में रुकावट न बने। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक गांव के सभी घरों में नल के माध्यम से (फंक्शनल हाऊसहोल्ड टैप वाटर कनेक्शन - एफएचटीसी) पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

गांवों में लम्बी अवधि तक जल के वितरण के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए 3.60 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 6 लाख से ज्यादा गांवों को जल - जीवन मिशन के तहत समयबद्ध तरीके से बहुत ही विशिष्ट परिमाण में कम से कम 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल, 10500:2012 बीआईएस - भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों की गुणवत्ता के अनुसार नियमित और लंबे समय तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण से लेकर जल सेवा आपूर्ति के मानदंडों के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा और स्रोत और प्रणाली स्थिरता, धूसर जल प्रबंधन, संचालन और रखरखाव, सामुदायिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्तर पर पूंजी का अभिसरण किया जाए ताकि नियमित और दीर्घकालिक

प्रदीप सिंह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक हैं। ईमेल: pradeep.singh78@gov.in
सिद्धांत मस्सन आईओटी विशेषज्ञ हैं। ईमेल: siddhant.masson@tatasustainability.com

जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के स्मार्ट वाटर विलेज के विभिन्न आंकड़े दर्शाता डैशबोर्ड

आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। क्रियान्वयन के साथ ही साथ क्रियान्वयन के बाद के चरणों के उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए जल-जीवन मिशन को विशेष रूप से तकनीकी के प्रयोग पर केन्द्रित किया जा रहा है।

क्रियान्वयन के दौरान पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के धन की विवेकपूर्ण व्यय की आवश्यकता है जबकि इसकी गति और पैमाना ग्रामीण स्तर पर 'निगरानी डैशबोर्ड' के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रत्येक योजना की जानकारी को जल जीवन मिशन – एकीकृत प्रबंध प्रणाली (सेंट्रल जेजेएम इंटिगरेटेड मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम) में संग्रहित किया जा रहा है, जिसमें लागत का विवरण, आधारभूत संरचना तथा गांव के प्रत्येक घर के जल-स्रोतों का विवरण दिया जा रहा है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ऑनलाइन भुगतान के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रत्येक घर में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए घर के मुखिया के आधार संख्या को जोड़ा जा रहा है।

ग्रामीण जल आपूर्ति में हो रही समस्याओं को सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन, भारत में डिजिटल क्रांति का लाभ उठा रहा है। भारत में ग्रामीण जल आपूर्ति में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे स्रोतों का असमय सूखना, खराब गुणवत्ता का कच्चा पानी, पंपों के संयोजन में विफलता या पंप द्वारा अपर्याप्त ग्रहण, अपर्याप्त जल, या ट्रीटमेंट प्लांट में खराब गुणवत्ता वाले पानी का उत्पादन, जल भंडारण इकाई से पानी का बहना, लगातार पानी का रिसाव और छोटे-छोटे रिसाव को ढूंढना, और पाइप में अपर्याप्त दबाव आदि। इन समस्याओं के कारण कई मामलों में घर की महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार उन्हें घंटों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। इस वजह से कई बार उन्हें जल जनित बीमारियां हो जाती हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है अगर जल आपूर्ति योजना क्रियाशील रहती। इस वजह जो अवरोध होता है वह सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं होता, बल्कि अगर हम मजदूरी या वेतन में नुकसान और स्वास्थ्य सेवा में हुए खर्च की गणना करें तो वह आर्थिक भी होता है।

यह तय किया गया कि दूरस्थ निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई ओ टी) का प्रयोग किया जाए जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना संवेदक और संचार के बुनियादी ढांचे (सेंसर और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर) का प्रयोग करते हुए वास्तविक-समय की जानकारी दे सके। यह ना सिर्फ उस स्थान का प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रबंध करेगा, बल्कि उच्च अधिकारियों, जन-प्रतिनिधियों और जनता को वास्तविक समय में समस्या की जानकारी भी देगा।

इन मामलों को संबोधित किया जा सकता है अगर हमारे पास जल आपूर्ति की सही ढंग से जांच करें, और एक जिम्मेदार व्यक्ति के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करें। भारत जैसे विस्तृत और विविधता से भरे देश में ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली का प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रबंधन चुनौतिपूर्ण कार्य है। कई गांव तो काफी दूर दराज में स्थित हैं और वहां शारीरिक रूप से पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, जिससे निगरानी की परम्परागत विधि अप्रभावी हो जाती है। यहां तक कि दूसरे गांवों में इन मुद्दों या समस्याओं की दृश्यता भी काफी कम ही हो पाती है।

विभिन्न समुदायों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराने में ही कई दिन लग जाते हैं।

ऊपर वर्णित चुनौतियों के समाधान के लिए जल जीवन मिशन डिजिटल रूट का समर्थन करता है, ताकि प्रत्येक गांव में जल आपूर्ति की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके। यह तय किया गया कि दूरस्थ निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई ओ टी) का प्रयोग किया जाए जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना संवेदक और संचार के बुनियादी ढांचे (सेंसर और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर) का प्रयोग करते हुए वास्तविक- समय की जानकारी दे सके। यह ना सिर्फ उस स्थान का प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रबंध करेगा, बल्कि उच्च अधिकारियों, जन-प्रतिनिधियों और जनता को वास्तविक समय में समस्या की जानकारी भी देगा। जल जीवन मिशन (जे जे एम) एक डिजिटल वाल और रिमोट कमांड और नियंत्रण केंद्र के निर्माण की परिकल्पना कर रहा है जो लगभग 19 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में प्रतिदिन अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति और प्रबंधन की व्यवस्था की निगरानी करेगा।

अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचने के लिए तथा पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए जल जीवन मिशन ने दो प्रकार की पहल की है। इन चुनौतियों को स्वीकार कर उसका समाधान ढूंढने के लिए स्टार्ट अप और उद्यमियों, के साथ भागीदारी की गई। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक वृहत चुनौती की शुरुआत की गई।

इन परियोजनाओं के लिए प्रायोगिक अध्ययन किया गया जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि तकनीकी सक्षम वास्तविक समय (रियल टाइम) की निगरानी सकारात्मक व्यावहारिक बदलाव की अगुवाई करता है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण समुदायों को सामाजिक - आर्थिक और स्वास्थ्य मानदंडों में सुनिश्चित और अर्थपूर्ण लाभ मिला है:

जल का उचित वितरण - सभी समूहों को अब जल वितरण होगा (पर्याप्त मात्रा और जल दबाव के साथ) : दो समूहों में निम्न दबाव की समस्या की जानकारी के बाद समूह ने दो गेट वाल्व लगाया जिससे दबाव को नियंत्रित किया जा सके।

जल स्रोतों की लंबे समय तक निरंतरता : वास्तविक समय के आधार पर टी.वी. स्क्रीन डैशबोर्ड पर भूमिगत जल के तेजी से घटते स्तर को देखते हुए समुदायों में वर्षा जल संरक्षण की संरचना और जलविभाजन के प्रबंधन के प्रति जागरुकता आई है।

वितरण जलागार में नियमित रूप से क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया: टीवी स्क्रीन डैशबोर्ड पर क्लोरीन के स्तर को देख पाने के कारण एक दूसरा व्यावहारिक बदलाव आया। अब स्थानीय समुदाय संचालकों द्वारा नियमित रूप से कीटाणुशोधन किया जाने लगा।

प्रायोगिक क्षेत्रों में एक दूसरा लाभ भी दिखा जिसमें ग्राहकों के द्वारा कुशलता और जिम्मेदारी से जल का प्रयोग किया जाने लगा क्योंकि डाटा-इनेबल्ड लीक डिटेक्शन (डाटा सक्षम रिसाव अन्वेषण) और पूर्व निर्धारित रखरखाव और स्वचालन के जरिये घरेलू स्तर पर मीटरिंग (माप लेने) और संचालन के खर्च को कम किया गया।

एक सुनियोजित स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था से ये लाभ हो सकते हैं- गैर-राजस्व जल (जल रिसाव और अनधिकृत कनेक्शन) पंपों के स्वचालन और पूर्व- निर्धारित रखरखाव से मरम्मती और रखरखाव पर होने वाले व्यय में कमी, अत्यधिक श्रमशक्ति में कमी, संसाधनों का कुशलता से प्रयोग (जल और बिजली), और ग्रामीणों की मजदूरी और स्वास्थ्य सेवा के खर्चों में कमी।

अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचने के लिए तथा पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए जल जीवन मिशन ने दो प्रकार की पहल की है। इन चुनौतियों को स्वीकार कर उसका समाधान ढूंढने के लिए स्टार्ट अप और उद्यमियों, के साथ भागीदारी की गई । इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक वृहत चुनौती की शुरुआत की गई। आई ओ टी इंडस्ट्री को सटीक सिग्नल पहुंचाने में यह चुनौती सफल हुई और इसने आत्मनिर्भर भारत के विचार को प्रोत्साहन दिया। वर्तमान में चार स्वदेश विकसित समाधान सामने आए हैं जिनका प्रयोग देशभर में विभिन्न क्षेत्रों के गांवों की स्थिति के परीक्षण के लिए किया जा रहा है।

घरेलू स्तर तक जल की गुणवत्ता के प्रमाण के लिए जल जांच प्रयोगशालाएं ग्रामीण जल आपूर्ति और जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के नियंत्रण में है, इसे जनता के लिए खोला गया ताकि जल के नमूनों की जांच हो सके। प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दो प्रतिशत की पूंजी को विशेषकर इसी उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) द्वारा सभी प्रयोगशालाओं का प्रमाणन और मान्यता को अनिवार्य किया गया है ताकि प्रयोगशाला स्तर पर गुणवत्ता के परीक्षण को उन्नत किया जा सके। इसका भी उल्लेख किया गया है कि जल गुणवत्ता परीक्षण डाटा जैसे प्रयोगशाला में जांच का डाटा, गांवों में फील्ड टेस्ट किट (एफ टी के) और संवेदक यंत्र से लिये गए डेटा को वेब पोर्टल जिसे जेजेएम - डबल्यूक्यूएमआईएस (जल जीवन मिशन-जल गुणवत्ता जांच और निरीक्षण) में डाला जाएगा ताकि डाटा को दोबारा से जांचा जा सके और उस आधार पर समस्या का निदान तुरंत किया जा सके।

जल की गुणवत्ता की जांच के लिए एक छोटा यंत्र बनाने के लिए, तथा शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जल की जांच को सब तक पहुंचाने के लिए दूसरी तकनीकी चुनौती की शुरुआत डीपीआईआईटी के साथ की गई। जब यह यंत्र बन जाएगा तब जल की गुणवत्ता की जांच के लिए इसका प्रयोग घर में ही किया जा सकेगा। इससे लोगों का विश्वास सप्लाई किये हुए जल पर बढ़ेगा और उन्हें नल का पानी पीने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा और जल शुद्धिकरण संयंत्र में होने वाले अनावश्यक खर्च को भी कम करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान करने और घरेलू स्तर तक पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से देश भर में पहुंच रहा है। ■

संदर्भ

1. जेजेएम डैशबोर्ड को https//ejalshakti.gov.in/jjmreport वेबलिंक पर देखा जा सकता है।

नगरीय अनुभवों से सीखें गांव

अरुण तिवारी

जल जीवन मिशन ने तो मार्गदर्शी निर्देश लिखकर दे दिए हैं। अब गांवों की परीक्षा है कि वे इनकी पालना में अपनी समझ, साझा, सदाचार और सक्रियता का कितना विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। हम विचार करें कि कोई अवसर, भले ही एक पूरी यात्रा न होता हो; किंतु यात्रा मार्ग की मील का ऐसा पत्थर ज़रूर होता है, जिसका हासिल हमें यात्रा में आगे जाने की ऊर्जा देता है। नल से जल पहुंचाने में जल जीवन मिशन द्वारा प्रदत यह लोकतांत्रिक अवसर, गांवों को लोकतांत्रिक आज़ादी देने की यात्रा का पथ प्रदर्शक बन सकता है; बशर्ते, हम भारत के गांववासी इस अवसर को व्यर्थ न गवाएं।

यह गर्व की बात है और ऐतिहासिक पहल है कि जब किसी केन्द्रीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन की लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप स्थानीय जल प्रबंधन की योजना, क्रियान्वयन, कर्मचारी, निगरानी और संस्थागत अधिकारों को वास्तव में उन गांवों को सौंपने का कार्य किया है, जिन्हें पानी पीना है। यह सब कुछ संभव हो पाया है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए 'हर घर जल' तथा 'जल जीवन मिशन' के कारण।

यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर जलजीवन मिशन की शुरुआत से पहले यानी 2019 तक स्वच्छ-शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की मुहिम में भारत 1500 अरब रुपये से अधिक धनराशि खर्च कर चुका है; बावजूद इसके नतीजे अनुकूल नहीं थे। पेयजल की अशुद्धि से मरने वालों की संख्या बढ़ी थी। जल उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। वर्ष 1951 में जल उपलब्धता 5177 क्युबिक मीटर प्रति व्यक्ति थी। वर्ष 2050 में 1000 क्यूबिक मीटर के आसपास प्रति व्यक्ति हो जाने का आकलन है। जाहिर है पुराने ढर्रे से निकल कर नया रास्ता चुनना जरूरी हो गया था।

निस्संदेह, जल-जीवन मिशन ने एक नूतन पथ चुना है। ग्रामीण, नगरीय...हर घर को नल से जल देने का पथ। उपभोक्ता को जल प्रबंधन की जवाबदेही सौंपने का पथ। परम्परा, प्यासे को कुएं के पास जाने का निर्देश देती रही है। नल, पानी को प्यासे के पास ले जाने वाला अविष्कार है। अगर इस नये पथ की पड़ताल करें तो दो बुनियादी प्रश्न उठते हैं।

पेयजल यदि सीधे हैण्डपंप अथवा कुएं से मिले, तो क्या सभी को शुद्ध पीने का पानी मिलने की गारण्टी असंभव होगी? क्या हर घर को नल से जल पहुंचा देने मात्र से गारण्टी संभव हो जाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर पाए बग़ैर न तो शुद्ध पेयजल प्राप्ति को लेकर ज़रूरी सावधानियों के प्रति सजग हुआ जा सकता है और न ही उन व्यवस्थाओं तथा मार्गदेशी निर्देशों के महत्व को समझा जा सकता है, जो जल-जीवन मिशन के दस्तावेज़ में दर्ज हैं।

गौर करें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में प्रस्तुत 'वाटर एड' की रिपोर्ट में प्रति वर्ष 3.77 करोड़ भारतीय आबादी के जल-जनित बीमारियों से ग्रसित होने का आंकड़ा है। यहां जलजनित का अर्थ है - केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो तथा स्वास्थ्य-परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष-2018 पर आधारित आंकड़ों में जल-जनित बीमारियों से ग्रसितों की संख्या 36 हज़ार व्यक्ति प्रतिदिन, अर्थात् 1.314000 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष; तदनुसार हमारी तत्कालीन कुल आबादी का लगभग एक प्रतिशत। अप्रैल, 2021 में यह आंकड़ा भिन्न हो सकता है। किंतु इन आंकड़ों को सामने रखकर सरकार यह दावा तो कर ही सकती है कि भारत की बहुमत आबादी को उपलब्ध

लेखक, गांव तथा पानी के लोकतांत्रिक सरोकारों के प्रतिनिधि पत्रकार हैं।
ईमेल: amethiarun@gmail.com

पेयजल अभी भी जलजनित बीमारियों से सुरक्षित है। अब चूंकि भारत की 80 प्रतिशत आबादी को अभी हासिल पेयजल का मुख्य स्रोत भूगर्भ जल ही है; अत: उक्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि हां, बहुमत आबादी को आज भी कुआं, हैण्डपम्प, बोरवैल आदि से पीने योग्य पानी देना संभव है। लेकिन ये सभी भूजल के स्तर पर निर्भर है जो अधिकांश गांवों और शहरों में घटता जा रहा है या फिर प्रदूषित हो रहा है। उपभोक्ता की दृष्टि से संचालन में सुचारुपन के छह पैमाने हैं : स्रोत का टिकाऊपन, उपलब्ध पानी की पर्याप्त मात्रा, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, न्यूनतम लागत, उपयोग में अनुशासन तथा संचालन में स्वावलम्बन। ग्रामीण समुदाय की दृष्टि से एक अन्य बुनियादी ज़रूरत है- आपसी साझा।

कुआं-हैंडपम्प से पानी की निर्भरता का समर्थन करने वालों का तर्क है कि ये स्रोत 24 घंटे पेयजल सुलभता की गारंटी हैं। अत: लोग जितनी ज़रूरत, सिर्फ उतना निकालते हैं। ताज़ा निकालते हैं। कुआं-हैंडपम्प से मिलने वाले पानी की आपूर्ति व रखरखाव का खर्च न्यूनतम होता है। बिल नहीं देना पड़ता। पाइप लीकेज के कारण होने वाली पानी की बर्बादी शून्य है। कुआं-हैंडपम्प से पानी लेने के लिए बिजली, ईंधन जैसे सतत् खर्च वाले बाहरी संसाधन पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती।

उनका यह भी मानना है कि यदि नगरों तथा भौगोलिक विषमता के चलते पहाड़ी इलाकों के हर परिवार को नल से पानी पहुंचाने की आवश्यकता को एकबारगी मंज़ूर कर भी लिया जाए, तो मैदानी गांवों के पाइप से पानी के अनुभव प्रतिकूल हैं। पाइप से पानी की उपलब्धता, लोगों को पानी के मामले में पराधीन बनाती है। पाइप से पानी मिलने लगता है, तो लोग पानी के टिकाऊ जलस्रोतों के बारे में सोचना और करना - दोनों बंद कर देते हैं।

नल से पानी के नगरीय अनुभव

नल-जल प्रबंध के संबंध में नगरीय अनुभवों से गहरा कोई और

नहीं सिखा सकता।

एक नगरीय अनुभव शिमला: शिमला का नगरीय क्षेत्रफल मात्र 35.34 वर्ग किलोमीटर है। 1878 से जलापूर्ति का मुख्य स्रोत - 25 प्राकृतिक नाले, खुरली व हौज। फरवरी, 2016 - सीवेज मिश्रित पानी के कारण पीलिया फैला। मार्च, 2018-19 प्राकृतिक नालों में से 17 हुए बेपानी। बेपानी होने के मुख्य कारण : राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन में त्रुटि और दिसम्बर में पड़ने वाली बर्फ का फरवरी में पड़ना। परिणाम : नगरीय जलापूर्ति हुई तीन दिन में एक बार; वह भी मात्र दो घण्टे। 40 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कर्ज से नई परियोजना। ब्याज और शुल्क मिलाकर लागत इससे भी ज्यादा। नए संस्थागत प्रबंधन तंत्र के रूप में शिमला जल प्रबंधन निगम का गठन। नया स्रोत-21 किलोमीटर दूर सतलुज नदी। वर्ष 2021 - आपूर्ति हुई दैनिक। जलापूर्ति लागत 117 रुपये प्रति किलोलीटर। सभी लीकेज दुरुस्त करने के बाद लागत घटकर हुई 90 रुपये प्रति किलोलीटर।

जल-जीवन-मिशन ने नल-जल का कम से कम 30 वर्ष की गारण्टी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए है। शिमला के परम्परागत जल-तंत्र ने 150 वर्ष तक की गारण्टी दी। विशेष यह कि शिमला की जल-गारंटी प्रकृति ने नहीं, राजमार्ग के डिजाइन में त्रुटि के कारण हुई।

सीख स्पष्ट है कि स्रोत समृद्ध-सुरक्षित तो जल गारण्टी सुरक्षित। जलापूर्ति तंत्र, यदि पानी को गुरुत्वाकर्षण अनुकूलता के अनुसार स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने के सिद्धांत पर आधारित है तो लागत कम आएगी; व्यावधान भी कम होंगे।

गर्मी के दिनों में भारत के कई नगरों में 17 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन जलापूर्ति का आंकड़ा है। दुनिया के 200 नगर डे जीरो श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं। 'जीरो डे' का मतलब है कि नलों में पानी की आपूर्ति बंद है। टैंकरों के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 25 लीटर की औसत से पानी पहुंचाया जा रहा है। विज्ञान पर्यावरण केंद्र ने भारत के चेन्नई और बेंगुलुरु शहर को सावधान किया है।

प्रदूषण के दो चित्रों पर गौर फरमाइए - ''प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर, भदोही, बनारस, चंदोली, बलिया, बक्सर तक की 300 किलोमीटर लम्बी गंगा तटवर्ती पट्टी में गंजेटिक पर्किसन और गंजेटिक डिमेंशिया के रोगी बढ़े हैं। मोटर न्यूरान नामक जो बीमारी, इस पट्टी के लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है, उसका एक कारण गंगा में मौजूद धात्विक प्रदूषण है। यह बीमारी अंगों में कसाव के साथ फड़फड़ाहट जैसे लक्षण लेकर आती है। खेती

ताकि व्यर्थ न जाएं अवसर

मार्गदर्शी निर्देश : एक लोकतांत्रिक अवसर

भारतीय संविधान ने ग्रामसभा व नगर स्तरीय निर्वाचित इकाइयों को 'सेल्फ गवर्नमेन्ट' यानी 'स्वयं में सरकार' कहा है। 73वें संविधान संशोधन ने राज्यों को राज्य स्तरीय पंचायती अधिनियम बनाने का अधिकार देते हुए अपेक्षा की थी कि वे ग्राम सभाओं को 'स्वयं में सरकार' के उनके दर्जे के अनुरूप कार्य करने का अवसर देंगी। सरकार के मंत्रालय व विभाग होते हैं। राज्यों ने इसी तर्ज पर ग्राम पंचायतों को वित्त, नियोजन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल, स्वास्थ्य कार्य संबंधी समितियों के गठन के अवसर तो दिए, किंतु ग्रामसभा को महत्वहीन ही रखा। लिहाजा, आज भी ज़मीनी हक़ीक़त यही है कि ज्यादातर राज्य सरकारें और पंचायत प्रतिनिधि खुद को विकास संबंधी केन्द्र और राज्य के अनुसूचित 29 विषयों की क्रियान्वयन एजेन्सी मात्र ही मानते हैं।

इस दिशा में बदलाव की खिड़की खोली, वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित 'ग्राम पंचायत विकास योजना' ने। अपनी ग्राम पंचायत की पंचवर्षीय योजना खुद बनाने और उसे मंजूर करने का सर्वोपरि अधिकार ग्रामसभाओं को सौंप दिया गया। अब जल जीवन मिशन ने इसी लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ने का जज्बा दिखाया है।

गौर कीजिए कि ग्राम स्तरीय पानी समितियां पहले से हैं। ग्राम स्तरीय पेयजल प्रबंधन का दायित्व पहले भी पानी समिति का ही था। किंतु यह पहली बार हुआ है कि ग्राम स्तरीय पेयजल प्रबंधन की तैयारी, नियोजन, डिज़ाइन, क्रियान्वयन, प्रचालन, खरीद, कनेक्शन देना, पानी का वितरण, खाता, रिकॉर्ड, कर्मचारी की नियुक्ति, काम की निगरानी आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी व अधिकार वास्तव में पानी समितियों को सौंप दिए गए हैं। इसका दस्तावेज़ी सबूत देखना हो, तो जल जीवन मिशन द्वारा ग्राम पंचायत तथा पानी समितियों द्वारा घरों में स्वच्छ जल प्रदान किए संबंधी मार्गदर्शिका देखिए।

पानी कनेक्शन देना, मीटर की जांच करना, टूट-फूट की मरम्मत, 24 घण्टे जलापूर्ति, एवज् में मासिक शुल्क तय करने से लेकर संग्रह करने तक की जिम्मेदारी पंचायतों को निभानी है। सरपंच को देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पानी समिति चयन में सहयोग, प्रशासन-पंचायत के बीच समन्वय, रिकॉर्ड रखने तथा ग्राम सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की है। जल ग्रामसभा का प्रावधान किया गया है। पानी प्रबंधन की ग्राम कार्य योजना के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार, ग्रामसभा का है।

प्रत्येक घर को पानी कनेक्शन देना अनिवार्य अवश्य किया गया है, किंतु साथ में शुल्क तय करने तथा अक्षम उपभोक्ता को जलोपयोग शुल्क में छूट देने का अधिकार भी पानी समिति को होगा। पानी समिति को दिए ये अधिकार यह सुनिश्चित कर सकें कि नई पेयजल व्यवस्था, पानी के बिल में मनमानी वृद्धि व रखरखाव के नाम पर लूट का पर्याय न बन सकें, इसके लिए पानी समितियों को पूरी ईमानदारी, सहभागिता व सक्षमता से अपने दायित्व का निर्वाहन करना होगा।

पेयजल व्यवस्था के रखरखाव हेतु भी 15वें वित्त आयोग की निधि का प्रावधान तो है, किंतु कुछेक व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर शेष सभी के लिए सामुदायिक अंशदान ज़रूरी किया गया है। हिमालयी, पूर्वोत्तर व अन्य पहाड़ी प्रदेश तथा 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति-जनजाति आबादी वाली ग्राम पंचायतों को 5 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान देना होगा; अन्य पंचायतों को 10 प्रतिशत। अच्छी बात यह भी है कि नकदी के अलावा वस्तु व श्रम के रूप में प्राप्त अंशदान भी स्वीकार्य होगा। सामुदायिक अक्षमता की स्थिति में अंशदान किस्तों में देने की छूट रहेगी। पानी समिति को अधिकार दिया गया है कि व्यक्तिगत अक्षमता की स्थिति में अंशदान में छूट दे सके।

प्रेरक प्रावधान है कि परियोजना सफल होने पर 10 प्रतिशत अंशदान के बराबर धनराशि को प्रोत्साहन राशि के रूप में वापस किया जाएगा।

यह अवसर पथ प्रदर्शक बन सकता है...

जल जीवन मिशन ने तो मार्गदर्शी निर्देश लिखकर दे दिए हैं। अब गांवों की परीक्षा है कि वे इनकी पालना में अपनी समझ, साझा, सदाचार और सक्रियता का कितना विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। हम विचार करें कि कोई अवसर, भले ही एक पूरी यात्रा न होता हो; किंतु यात्रा मार्ग की मील का ऐसा पत्थर ज़रूर होता है, जिसका हासिल हमें यात्रा में आगे जाने की ऊर्जा देता है। नल से जल पहुंचाने में जल जीवन मिशन द्वारा प्रदत यह लोकतांत्रिक अवसर, गांवों को लोकतांत्रिक आज़ादी देने की यात्रा का पथ प्रदर्शक बन सकता है; बशर्ते, हम भारत के गांववासी इस अवसर को व्यर्थ न गवाएं।

में प्रयोग होने वाले इंडोसल्फान ऑग्नोफास्फोरस, डीडीटी, लिन्डेन, एन्ड्रिन जैसे रसायनों के रिसकर गंगा में मिलने से इन इलाकों में पेट व पित्ताश्य की थैली के कैंसर रोगी बढ़े हैं। शोधकर्ता आशंकित है कि गंगा प्रदूषण, अनुवांशिक दुष्प्रभाव भी डाल सकता है। इसके लिए फिलहाल, गंगा के जलीय जीवों पर अनुवांशिक प्रभावों का अध्ययन भी शुरू किया गया है।''

यह समाचार जनवरी - 2020 का है। समाचार, डॉक्टर सूरज द्वारा 2500 मरीजों पर किया गए शोध पर आधारित है। डॉक्टर सूरज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के शोधार्थी हैं। स्पष्ट है कि नल से पानी के साथ जल स्रोत की सुरक्षा और उन्हें संरक्षित करने की भी आवश्यकता होगी।

रसायन, कपड़ा, चमड़ा, ताप-विद्युत आदि अधिक प्रदूषक उद्योगों के प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिशें जब तक लीकप्रूफ नहीं हो जाती, तब तक जलापूर्ति का स्रोत चाहे सतही अथवा भूगर्भीय, हम उसके साफ होने की गारण्टी नहीं दे सकते।

पोषकता का पक्ष अहम

जल-स्रोत सुरक्षा की दृष्टि से आइए आगे बढ़ें। गौर करें कि स्वच्छ मतलब कचरा मुक्त। शुद्ध मतलब स्वच्छ भी, पोषक भी। अब चूंकि कोई आंकड़ा कोई भी नई व्यवस्था बनाने से पहले यह सुनिश्चित तो करना ही होगा कि पेय-जलापूर्ति का मूल स्रोत पोषक तत्वों से युक्त भी हों और हानिकारक तत्वों से मुक्त भी। किंतु आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी तक़नीक यह सुनिश्चित नहीं कर सकती।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का राज्य सरकारों का आदेश है कि जिन इलाकों में एक लीटर पानी के घुलनशील ठोस तत्वों की कुल मात्रा 500 मिलीग्राम से कम पाई जाए, वहां आरओ मशीनों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करें। क्यों? क्योंकि आरओ तकनीक पोषक तत्वों को निकाल बाहर करती है। आरओ मतलब स्वच्छ पानी, किंतु सबसे कमज़ोर पानी।

जल जीवन मिशन की विशेषता एवं तैयारियां

जल जीवन मिशन द्वारा की तैयारियों का विश्लेषण करें: प्रत्येक परिसम्पत्ति की जियो टैगिंग। प्रत्येक कनेक्शन होगा सेंसरयुक्त। कनेक्शनधारी का आधार नंबर होगा दर्ज। राज्य प्रमाणित पानी परीक्षण प्रयोगशालाओं का बनाया जा रहा देशव्यापी नेटवर्क। सूचना व पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। राज्य व ज़िला स्तरीय जल-स्रोतों की होती रहेगी क्रमानुसार 13 बुनियादी गुणवत्ता आधारित औचक जांच। ब्लॉक अधिकार क्षेत्र के 100 फीसदी यानी सभी जल-स्रोतों की वर्ष में एक बार रासायनिक, दो बार जीवाणु जांच का प्रावधान। फील्ड किट जांच की उपलब्धता। जांच हेतु पांच ग्रामीणों को प्रशिक्षण। किसी एक समर्पित को सौंपी जाएगी पूरी जिम्मेदारी। अशुद्धि पाए जाने पर जल शुद्धिकरण संयंत्र। मरम्मत व रखरखाव का प्रशिक्षण व अभियांत्रिकी विभाग की सहयोगी भूमिका।

शुद्धता सुनिश्चित करने में नई तक़नीकें सहायक सिद्ध होगी। गुणवत्ता तथा मात्रा की दूरदर्शी निगरानी आवश्यक है ही। कारणों के निवारण की ओर ले जाने वाले 6 मूल कदम हैं : प्रदूषित जल का अधिकतम शोधन, पुर्नोपयोग, वर्षाजल का अधिकतम संचयन, भूजल की न्यूनतम निकासी, अनुशासित जलोपयोग और स्थानीय ज़रूरत का स्थानीय प्रबंधन।

सुखद है कि जल-शक्ति मंत्रालय के आंकड़े और दस्तावेज़ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किंतु वह झरने, तालाबों, झीलों, नदियों आदि सतही स्रोतों को सीधे पीने योग्य बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ने में जनभागीदारी के बिना केवल सरकार के कंधों पर सब कुछ डाल कर नहीं रहा जा सकता। 'आत्मनिर्भर भारत' के आइने को सामने रखें और निम्नलिखित सुझावों पर विचार करें; सिर्फ सरकारें नहीं, हम भारत के लोग भी।

जल स्वावलम्बन सूत्र

1. भूजल स्तर में गिरावट का संकट का मूल कारण, भूजल-संचयन की तुलना में भूजल-निकासी का अधिक होना है। जल निकासी एवं संचयन में संतुलन स्थापित करने में जवाबदेही सुनिश्चित वाली नीति यह हो कि जिसने प्रकृति से जितना और जैसा लिया, वह प्रकृति को कम से कम उतना और वैसी गुणवत्ता का जल लौटाए; किसान भी, फैक्टरी मालिक भी।
2. बाध्यता हो कि सभी ग्राम पंचायतें अधिकारिक रूप से प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्रवार भूजल-निकासी की एकसमान अधिकतम गहराई तय करे। उससे नीचे जाने की अनुमति सिर्फ लगातार पांच साला सूखे से उत्पन्न आपात स्थिति में ही हो। यह गहराई, 'डार्क ज़ोन' घोषित किए जाने के लिए तय गहराई से हर हाल में कम से कम 10 फीट कम ही हो। पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के शासकीय योजना लाभ वापस लिए जा सकें। किसी ग्राम पंचायत में 10 से अधिक परिवारों द्वारा ऐसा करने पर संबंधित ग्राम पंचायत को वित्तीय आवंटन रोक दिए जाएं।
3. जलवायु परिवर्तन के संकेत सावधान कर रहे हैं कि यदि समय रहते नहीं चेता गया तो परम्परागत खेती बचेगी नहीं। यदि हमारा इलाका बाढ़ क्षेत्र से सुखाड़ क्षेत्र होने की ओर अग्रसर है, तो भी धान, गन्ने जैसी फसलों को सिर्फ इसलिए बोते जाना कि परम्परा से हम इन्हें ही बो रहे हैं; क्या समझदारी होगी? आवश्यक है कि जल और वायु बदल रहें हैं तो कृषि चक्र, बीजों के चुनाव और सिंचाई के तौर-तरीके भी बदलें। रासायनिक उर्वरकों, खर-पतवार व कीटनाशकों ने पानी की गुणवत्ता की गारण्टी छीन ली है। प्राकृतिक खेती की ओर लौटे बगैर यह गारण्टी हमेशा असंभव ही रहने वाली है। अत: स्थानीय भूगोल तथा जलवायु अनुकूल बीजों, प्रजातियों, तौर-तरीकों व खान-पान को प्राथमिकता देकर अपनाएं। धरती सिर्फ ज़रूरत पूर्ति के लिए है। अत: सिर्फ अजीविका चलाने वाली कृषि हो। अधिक धन की मांग करने वाले ग्रामीण सपनों की पूर्ति के लिए उपलब्ध ग्राम्य उत्पाद, शिल्प व कौशल आधारित आय मार्ग प्रशस्त करने पर ध्यान दिया जाए।
4. स्वच्छ भारत मिशन का निर्देश था कि जल स्रोत से 30 फीट की दूरी के भीतर शौचालय का निर्माण न किया जाए। गंगा में मलीय कॉलीफॉर्म की बढ़ी मात्रा प्रमाण है कि इस निर्देश की कई स्थानों पर अनदेखी हुई है। शौचालय के टैंक भी तल से सील नहीं किए गए। इस कारण आज नहीं तो कल, निकटस्थ जल स्रोत प्रदूषित होने की आशंका है।
5. विशेष रूप से उद्योगों और चारदीवारीयुक्त आवासीय परिसर वाली नई बसावटों को उनके उपयोग का पानी स्वयं शोधित करने तथा शोधित जल के पुर्नोपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उनके सीवेज को पाइप से जोड़ने की बजाय, उनके परिसर के भीतर शोधित करने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई जाए। शोधित मल को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए।
6. सभी राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र की प्रत्येक नदी, जल संरचना तथा वन/उद्यान क्षेत्र की भूमि का चिन्हीकरण, सीमांकन तथा उसका भू-उपयोग अधिसूचित करे। ऐसी भूमि के भू-उपयोग बदलने की इज़ाजत किसी को नहीं हो।
7. विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हीं संस्थानों के भूगोल तथा पर्यावरण व सिविल इंजीनियरिंग प्राध्यापकों हेतु एक अंशकालिक 'ग्राम्य जल प्रबंधन प्रशिक्षक प्रमाणपत्र कोर्स' तैयार किया जा सकता है। इसी तर्ज पर पंचायती पानी समितियों तथा संबंधित स्वयंसेवी प्रतिनिधियों हेतु 'ग्राम्य जल प्रबंधन प्रेक्टिसनर्स कोर्स' तैयार किया जा सकता है। ऐसे प्रशिक्षितों व तकनीकी सलाहकारों की अतिरिक्त सेवाएं लेने के लिए क्षेत्र पंचायत वार पैनल तैयार किए जा सकते हैं। ■

ऐतिहासिक पल

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (इंडिया@75) के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का शुभारंभ

आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक शृंखला है। यह महोत्सव जनभागीदारी की भावना में एक जन-उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।

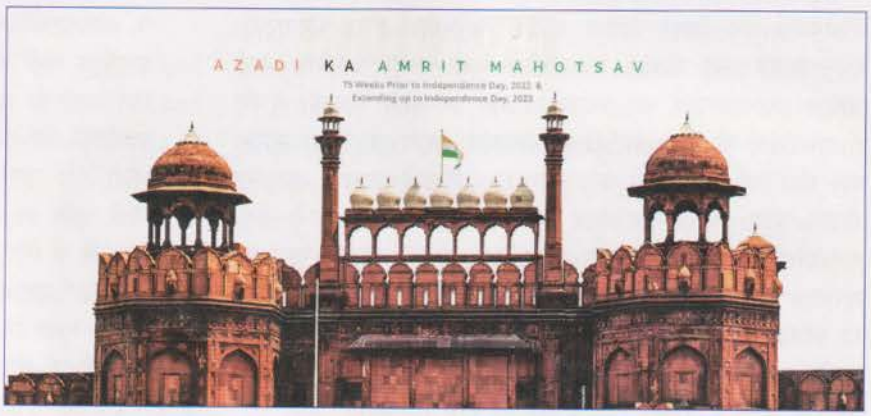

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च, 2021 अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 'पदयात्रा' (फ्रीडम मार्च) को झंडी दिखाई तथा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (इंडिया@75) के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडिया@75 समारोहों के लिए अन्य विभिन्न सांस्कृतिक और डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया।

साबरमती आश्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व "आज़ादी का अमृत महोत्सव" आरंभ किए जाने की चर्चा की जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। उन्होंने महात्मा गांधी और महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री ने पांच स्तंभों- फ्रीडम स्ट्रगल अर्थात स्वतंत्रता संग्राम, तथा आईडियाज़ एट 75 यानी 75 पर विचार, एचीवमेंट्स एट 75 यानी 75 पर उपलब्धियां, एक्शन्स एट 75 यानी 75 पर कार्रवाइयां तथा रिज़ाल्व्ज़ एट 75 यानी 75 पर संकल्प को प्रेरणा मानते हुए सपनों और दायित्वों को बनाए रखने तथा आगे बढ़ने के मार्गदर्शी बल के रूप में दोहराया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है। इसका अर्थ हुआ स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणाओं का अमृत; नए विचारों और संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत।

यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जो न केवल भारत को अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, बल्कि उन लोगों को भी समर्पित है जो माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना से ओतप्रोत भारत 2.0 को क्रियाशील बनाने की शक्ति तथा क्षमता रखते हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान दर्शाने का अवसर है। "आज़ादी का अमृत महोत्सव" की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को शुरू हुई। ■

भारत में स्वच्छता अभियान का इतिहास

देश के गांवों के लिए पहला स्वच्छता अभियान 1954 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। 1981 की जनगणना के मुताबिक, देश में ग्रामीण स्वच्छता का कवरेज सिर्फ 1 प्रतिशत था, लिहाजा पेयजल और स्वच्छता के लिए तय अंतरराष्ट्रीय दशक (1981-90) के दौरान ग्रामीण स्वच्छता पर खास जोर दिया गया। भारत सरकार ने 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और महिलाओं के लिए निजता और गरिमा सुनिश्चित करना था। साल 1999 से 'पूर्ण स्वच्छता अभियान' के तहत 'मांग आधारित' फॉर्मूला अपनाया गया। इसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास और क्षमता विकास पर जोर दिया गया, ताकि स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। इससे स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए मांग में बढ़ोतरी हुई। साथ ही, लोगों को अपनी आर्थिक हैसियत के मुताबिक उचित विकल्प चुनने का अवसर भी मिला। निजी शौचालयों के निर्माण के लिए, गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को वित्तीय मदद मुहैया कराई गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शौचालय का इस्तेमाल कर सकें।

1 अप्रैल 2012 को 'निर्मल भारत अभियान' की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत 'पूर्ण स्वच्छता अभियान' की अगली कड़ी के तौर पर की गई थी। इस कार्यक्रम का मकसद नई रणनीतियों और कई उपायों के जरिये ग्रामीण समुदाय में स्वच्छता के दायरे का विस्तार करना था। 'निर्मल भारत अभियान' के तहत ग्राम पंचायतों को निर्मल बनाने की दिशा में काम किया गया। 'निर्मल भारत अभियान' के तहत निजी शौचालय बनाने के लिए मदद में बढ़ोतरी की गई और मनरेगा के साथ इस मद में और गुंजाइश बढ़ाई गई। ऊपर बताए गए कार्यक्रमों की मदद से देश में ग्रामीण स्वच्छता के स्तर पर कुछ हद तक प्रगति हुई। हालांकि, 2011 की जनगणना के मुताबिक, ग्रामीण स्वच्छता का कवरेज (निजी शौचालय के साथ मकान) सिर्फ 33 प्रतिशत था। ■

विश्व जल दिवस के अवसर पर 'वर्षा जल संचयन अभियान' का शुभारंभ

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के साथ जल संकट की चुनौती समान रूप से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों में जल प्रशासन को प्राथमिकता दी है। पिछले 6 वर्षों में, इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी अभियान, प्रति बूंद अधिक फसल अभियान और नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन तथा अटल भूजल योजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 मार्च, 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'जल शक्ति अभियान: वर्षा जल संचयन (कैच द रेन)' अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के सरपंचों और वार्ड पंचों के साथ भी बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर **'कैच द रेन अभियान'** की शुरुआत के साथ केन-बेतवा लिंक नहर के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता नदियों को जोड़ने के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की परिकल्पना और स्वप्न को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज का समझौता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों

परिवारों के हित में होगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जल सुरक्षा और प्रभावी जल प्रबंधन के बिना तेजी से विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास और भारत की आत्मनिर्भरता की परिकल्पना, हमारे जल स्रोतों और हमारी जल कनेक्टिविटी पर निर्भर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के साथ जल संकट की चुनौती समान रूप से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों में जल प्रशासन को प्राथमिकता दी है। पिछले 6 वर्षों में, इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी अभियान, प्रति बूंद अधिक फसल अभियान और नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर भारत वर्षा जल का प्रबंधन करता है, भूजल पर देश की निर्भरता कम होती है। इसलिए, 'कैच द रेन' जैसे अभियानों की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को जल शक्ति अभियान में शामिल किया गया है।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद इतने कम समय में लगभग 4 करोड़ नए परिवारों को पाइपलाइन के जरिये पेयजल कनेक्शन मिले हैं। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी और स्थानीय शासन मॉडल जल जीवन मिशन के मूल में हैं।

प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई सरकार पानी की जांच को लेकर इतनी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पानी की जांच के इस अभियान में ग्रामीण बहन-बेटियों को हिस्सेदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की अवधि के दौरान, लगभग 4.5 लाख महिलाओं को पानी की जांच के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हर गांव में कम से कम 5 प्रशिक्षित महिलाएं पानी की जांचकर रही हैं। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि जल प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ बेहतर परिणाम मिलना निश्चित है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जिसे भारत में जल प्रबंधन के इतिहास में सकारात्मक रूप से दर्ज किया जाएगा। श्री शेखावत ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए सर्वसम्मति केन्द्र सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप से प्राप्त की गई जो जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में अथक प्रयास कर रही है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से देश की पहली नदी परियोजना को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह समझौता अन्य राज्यों के लिए सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का पालन करने और उन्हें बरकरार रखने के लिए सही मायने में अनुकरणीय है।

श्री शेखावत ने कहा कि देश में जल शक्ति अभियान "जब पानी बरसे, जहां भी बरसे वर्षा जल संचयन" की शुरूआत प्रधानमंत्री ने की है, जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता में बारिश का पानी के पानी का दोहन करने की क्षमताएं बनाना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे ये सभी उपाय देश में एकीकृत जल प्रबंधन के लिए गंभीरता को दर्शाते हैं।

इस अवसर पर जल शक्तिराज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना जल्द ही हकीकत में बदलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश केन-बेतवा नदी परियोजना को आपस में जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना से पानी के बंटवारे पर एक समझौते तक पहुंच गए हैं। उन्होंने राज्यों, एनडब्ल्यूडीए - राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण और जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में उनकी ईमानदारी और समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जल जीव मिशन के तहत चालू घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अंडमान और निकोबार ने स्वयं को तीसरा राज्य/संघ शासित प्रदेश घोषित किया है।

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय में सचिव और अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। ■

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

रजि.सं. डी.एल.(एस)-05/3231/2021-23
Reg. No. DL(S)-05/3231/2021-23 at RMS, Delhi
28 मार्च, 2021 को प्रकाशित
• 2-3 अप्रैल, 2021 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2021-23
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2020

भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों,
भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा
नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
आधिकारिक जानकारी देने वाला
वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्य: प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24365609
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फॉलो करें @DPD_India

प्रकाशक व मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए चन्दु प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल